¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ
¨ÉÉSÉ 2014

|ÉvÉÉxÉ ºÉ¨{ÉÉnEò
®ÉPÉ´ÉåpÉ ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É

ºÉ¨ÉÉx´ÉªÉ
ºÉÉ®¶É Êi´ÉÉ®Ò

ºÉ¨{ÉÉnEò
®ÉVÉÒ´É Êi´ÉÉ®Ò

={É ºÉ¨{ÉÉnEò
®ÉVÉxÉÉ ÉSÉiÉ±É

+ÉEò±{ÉxÉ
+É±ÉÉÉEò ¨É{ÉiÉ
Ê´ÉxÉªÉ ¶ÉÉEò® ®ÉªÉ

´ÉEòºÉÉ<]
+Éi¨ÉÉ®É¨É ¶É¨ÉÉ

Eò¨{ªÉÚÉ]ÉÉ
+±{ÉxÉÉ ®ÉÉ`É®

BEò |ÉÉiÉ : nÉºÉ ¯û{ÉªÉ
´ÉÉÉ¹ÉEò : nÉ ºÉÉè ¯û{ÉªÉ

ºÉ{ÉEò
¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ
¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
40, |É¶ÉÉºÉÉxÉEò IÉjÉ, +®Éä É½±É
¦ÉÉ{ÉÉ±É-462011
¡ÉäxÉ : 2764742, 2551330
¡èCºÉ : 0755-4228409



EòÉ¶ÉÉ ´ÉÉÉ¹ÉEò ºÉÉ½ªÉEò ¶ÉÖ±Eò ÉÉ±ÉB +{ÉxÉÉ bÉ}]/
¨ÉxÉÒ+Éb® ¨ÉvªÉ|Én¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, ¦ÉÉ{ÉÉ±É Eò xÉÉ¨É ºÉ ¦ÉVÉ*

¨ÉvªÉ|Én¶É {ÉSÉÉÉªÉEòÉ ¨É ´ªÉHò Ê´ÉSÉÉ® ±ÉJÉEòÉ Eò +{ÉxÉ ½,
<ºÉEò ÉÉ±ÉB ºÉ¨{ÉÉnEò Eò ºÉ½¨ÉÉ +É´É¶ªÉEò xÉ½Ó ½*


## <ºÉ +Eò ¨É

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और इन्फोसिस के कार्यकारी अध्यक्ष एन.आर. नारायण मूर्ति ने इंदौर में इन्फोसिस के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव सामुदायिक नेतृत्व पर केन्द्रित 'जन उत्सव' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।


**खास खबरें :** नर्मदा-क्षिप्रा का मिलन देश में मार्गदर्शक बना रहेगा : श्री आडवाणी 3

**समृद्धि :** ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के अवसर 5

**उपलब्धि :** ब्रिटिश सांसदों ने मध्यप्रदेश के विकास को सराहा 6

**समावेशी विकास :** विकास का रोडमैप दृष्टि पत्र 2018 8

**अनुकरणीय :** गाँव के दबंगों के खिलाफ सशक्त सरपंच 11

**महिला सशक्तीकरण :** मध्यप्रदेश सरकार और यू.एन. वूमन के बीच एम.ओ.यू. 12

**जैविक खेती :** मध्यप्रदेश में जैविक खेती के लिए सामयिक पहल 16

**साक्षात्कार :** जैविक कृषि से स्वावलम्बन 24

**जैविक खेती :** विश्व को भारत की देन 25

**जैविक कृषि नीति :** मध्यप्रदेश की जैविक कृषि नीति 40

**आपकी बात :** नदियों को जोड़कर 48

Ê|ÉªÉ {ÉÉ`öEòÉ,

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी नदियों को जोड़ने की परियोजना का सपना मध्यप्रदेश में साकार हो गया। प्रदेश के इंदौर जिले के ग्राम उज्जैनी में क्षिप्रा के उद्गम स्थल में 432 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी को क्षिप्रा से जोड़ा गया। इस अवसर पर पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि नर्मदा और क्षिप्रा नदी को जोड़ने का कार्य अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। इसी खबर को हमने खास खबरें स्तंभ में प्रकाशित किया है।

मध्यप्रदेश विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। प्रदेश के उद्योगों में निवेश की सम्भावनाओं पर चीन के विदेश मामलों के उपमंत्री श्री आई पिंग ने मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से चर्चा कर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना और निवेश में रुचि दिखाई। इस खबर को हमने समृद्धि स्तंभ में प्रकाशित किया है।

विगत दिनों ब्रिटिश सांसदों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने मध्यप्रदेश का भ्रमण कर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी ली और प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों को सराहा। इस दौरान ब्रिटिश सांसदों ने प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए डीएफआईडी द्वारा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस जानकारी को हम उपलब्धि स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास की कल्पना के आधार पर दृष्टि पत्र 2018 बनाया है इस दृष्टि पत्र में प्रत्येक विभाग की कार्ययोजना बनाई गई है इस माह पंचायिका में दृष्टि पत्र 2018 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की कार्ययोजना को प्रकाशित किया जा रहा है। लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं को पंचायतराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जिसमें प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पंचायत प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बखूबी कर रही हैं। इसी की मिसाल है सतना जिले की रामपुर ब्लॉक की एक महिला सरपंच मुन्नी साकेत। इसकी तथा-कथा को अनुकरणीय स्तंभ में प्रकाशित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों भोपाल में शौर्या दलों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए शौर्या दलों का गठन प्रदेश के प्रत्येक गाँव और शहरों के प्रत्येक वार्डों में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना होगा इस खबर को महिला सशक्तीकरण स्तंभ में यथावत प्रकाशित किया गया है। जैविक खेती कृषि की वह विधा है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए प्राकृतिक संतुलन को कायम रख भूमि और जलवायु को प्रदूषित किये बिना, दीर्घकालिक और टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस बार पंचायिका में जैविक खेती से होने वाले लाभ और जानकारी को जैविक खेती स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। 'साक्षात्कार' स्तंभ में इस बार बड़वानी जिले के निवाली विकासखण्ड के ग्राम तालाव की महिला उद्यमी मुन्नी बेन जाधव से हुई बातचीत के अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। प्रदेश में कृषि को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक कृषि नीति बनाई गई है इसका प्रकाशन भी पंचायिका में किया जा रहा है।



(®PÉ´ÉÒ® ¸ÉÒ´ÉÉºiÉ´É)

# नर्मदा-क्षिप्रा का मिलन देश में मार्गदर्शक बना रहेगा - श्री आडवाणी

पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना पूरे देश में मार्गदर्शक का कार्य करेगी। श्री आडवाणी 25 फरवरी को उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा मिलन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और योग गुरु बाबा रामदेव के साथ नर्मदा जल से भरे हुए कलशों को क्षिप्रा नदी में प्रवाहित कर परियोजना का लोकार्पण किया।

श्री आडवाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नर्मदा और क्षिप्रा को जोड़ने का कार्य न सिर्फ अन्य प्रदेशों, बल्कि आने वाली केन्द्र सरकारों के लिये मार्गदर्शक का काम करेगा।

उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने की बात पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाकर योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिये थे। लेकिन इस योजना पर अमल मध्यप्रदेश सरकार ने किया है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना मालवा को रेगिस्तान बनने से बचाने के लिये आवश्यक थी। यह पहला चरण है। इसके आगे नर्मदा का पानी गंभीर, पार्वती और कालीसिंध नदियों में मिलेगा। श्री चौहान ने कहा कि अटल जी के सपने को पूरा करते हुए मध्यप्रदेश की धरती पर इन नदियों के मिलन से 3000 गाँव तथा 72 शहरों में पीने का पानी मिलेगा और 16 लाख एकड़ में सिंचाई होगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब करवट ले रहा है। इन्फोसिस इंदौर में और नर्मदा उज्जैन में आई है। इसके साथ ही नीमच में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण हो रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि नर्मदा-क्षिप्रा का मिलन एक ऐसी अनुभूति है, जो आध्यात्मिक आनंद देती है। क्षिप्रा नदी सूख गई थी और उज्जैन नगरी आभा-विहीन हो गई थी, किन्तु नर्मदा के भक्त श्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा का क्षिप्रा से मिलन करवाया। अब मालवा अपने पुराने वैभव को फिर से प्राप्त कर सकेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन दोनों पवित्र नदियों का मिलन ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने अटल जी का सपना पूरा करने पर मध्यप्रदेश सरकार को बधाई दी। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि आज के युग के भागीरथ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा को क्षिप्रा में लाये जाने के लिये कोटि-कोटि बधाई के पात्र हैं। क्षिप्रा के प्रवाहमान होने से पेयजल के साथ-साथ किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

नर्मदा नदी के क्षिप्रा से मिलन के अवसर पर राम घाट और दत्त अखाड़े को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने पलक-पाँवड़े बिछाकर माँ नर्मदा का भक्ति भाव से स्वागत किया। मौसम की प्रतिकूलता के बाद भी बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। क्षिप्रा के दोनों तट पर स्थित मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। क्षिप्रा के बीचों-बीच आकर्षक मंच बनाया गया था। जैसे ही नर्मदा का जल कलशों में भरकर अतिथियों ने क्षिप्रा में प्रवाहित किया, वैसे ही राम घाट की ओर जमकर आतिशबाजी की गई। पुलिस बैण्ड ने मंगल धुन बजाई। राम घाट तथा दत्त अखाड़े पर मौजूद दर्शकों ने करतल ध्वनि से माँ नर्मदा का स्वागत किया।

# नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का हुआ लोकार्पण

मालवांचल सहित मध्यप्रदेश 25 फरवरी को दो पवित्र नदियों, नर्मदा और क्षिप्रा के ऐतिहासिक मिलन का साक्षी बना। पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इंदौर जिले में क्षिप्रा के उद्‌गम स्थल मुण्डला दोस्तदार-उज्जैनी में 432 करोड़ रुपये लागत से बनी मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक परियोजना का लोकार्पण किया। श्री आडवाणी का कहना था कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दो नदियों को जोड़कर अद्‌भुत करिश्मा कर दिखाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दो नदियों का यह संगम देश का नया तीर्थ-स्थल बनेगा। आगामी सिंहस्थ में भगवान महाकाल का अभिषेक अब पवित्र नर्मदा जल से होगा। यह परियोजना केवल 14 महीने की अल्प अवधि में पूरी हुई है।

श्री आडवाणी ने कहा कि जब भी मध्यप्रदेश आता हूँ सदैव मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मध्यप्रदेश की उन्नति के लिये किये गये नये-नये प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अभी 14 माह पहले क्षिप्रा सूखी थी। मालवा के मरुभूमि बनने की आशंका व्यक्त की जा रही थी। यह परियोजना मालवांचल के लिये फलदायी होगी। आगे कालीसिंध, पार्वती तथा गंभीर नदियों को नर्मदा से जोड़ने के श्री चौहान के संकल्प से पूरे मालवा को जल मिलेगा।

श्री आडवाणी ने कहा कि कभी सूखा न पड़े, कभी पानी की दिक्कत नहीं हो इसके लिये पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने देश की नदियों को जोड़ने की घोषणा की थी। तत्कालीन मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में इस कार्य के लिये टास्क फोर्स गठित की गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में सन् 2012 में निर्णय करते हुए मंत्रियों-अधिकारियों की समिति बनाकर हर दो माह में बैठक करने के आदेश दिये थे। श्री आडवाणी ने कहा कि नदी जोड़ो की ऐसी ही परियोजना गुजरात की साबरमती नदी में नर्मदा का जल पहुँचाकर पूरी की गयी है।

श्री आडवाणी ने कहा कि नदी जोड़ने की योजना में नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ने के पश्चात अब नर्मदा को कालीसिंध, गंभीर, पार्वती आदि से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। धीरे-धीरे मालवा की नदियां जुड़ जायेंगी। पूरे मालवा में खूब पानी होगा एवं क्षेत्र हरा-भरा होगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा था कि देश में नदी जोड़ने की योजना पर कार्य क्यों नहीं हो रहा। इस बात पर हमें गर्व करना चाहिए कि इस दिशा में मध्यप्रदेश ने अनुकरणीय कार्य किया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के माध्यम से नर्मदा का पानी मालवा की किस्मत बदलने आया है। इससे मालवा के एक बड़े क्षेत्र को सिंचाई, पीने के लिए तथा उद्योगों के लिए पानी मिलेगा। मालवा की धरती का भू-जल स्तर बढ़ेगा और एक बार फिर मालवा में डग-डग रोटी तथा पग-पग नीर होगा। उन्होंने कहा कि आज मालवा की धरती पर नर्मदा को लाने का सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। ग्राम उज्जैनी नया तीर्थ बनेगा।

श्री चौहान ने कहा कि नदी जोड़ो अभियान के दूसरे चरण में 2200 करोड़ की लागत से गंभीर नदी में नर्मदा का जल लाया जायेगा। इसके बाद कालीसिंध और पार्वती नदियों को भी नर्मदा से जोड़कर 16 लाख एकड़ में सिंचाई, तीन हजार गाँवों तथा देवास-शाजापुर सहित 72 शहरों में पेयजल पहुँचाया जायेगा। उज्जैन से नीमच तक फसलें लहलहायेंगी और उद्योगों को भी भरपूर पानी मिलेगा। श्री चौहान ने परियोजना को पूरा करने में जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री रजनीश वैश्य सहित उनके अधिकारी-कर्मचारी दल की विशेष सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नव-निर्माण की शुरुआत हो गई है। हम समाज के हर वर्ग के सहयोग से प्रदेश को देश का नम्बर एक राज्य बनायेंगे। प्रदेश कृषि के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आज प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलती है। उद्योग एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। एक दिन पहले इंदौर में इन्फोसिस की आधार-शिला रखी गई।

नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक परियोजना में ग्राम सिसलिया से क्षिप्रा उद्‌गम स्थल तक 348 मीटर ऊँचाई में 3 स्थान से पंप कर 48 किलोमीटर पाइप लाइन से पानी पहुँचाया गया है। इसके आगे कोई 115 किलोमीटर दूरी तक क्षिप्रा नदी के जरिये महाकाल की नगरी उज्जैन में रामघाट तक ग्रेविटी के माध्यम से बहकर पानी पहुँचेगा। परियोजना की क्षमता 432 एमएलडी है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव से चीन के विदेश मामलों के उप मंत्री श्री आई पिंग की मुलाकात।

**चीन के उप मंत्री श्री आई पिंग ने कहा कि वे प्रदेश के विकास से बहुत प्रभावित हैं और वर्तमान परिदृश्य में यहाँ निवेश की व्यापक संभावनाएँ हैं। चर्चा के दौरान श्री गोपाल भार्गव ने श्री आई पिंग को बताया कि मध्यप्रदेश विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में एक है। यहाँ एग्रो-प्रोसेसिंग तथा कृषि उपकरण, उन्नत कृषि एवं उद्यानिकी तकनीक, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खिलौने तथा चमड़े के उत्पादन की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।**

# ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश के अवसर

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय तथा सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव से 22 फरवरी को चीन के विदेश मामलों के उप मंत्री श्री आई पिंग ने मुलाकात की। श्री आई पिंग भारत की यात्रा के दौरान एक दिवसीय मध्यप्रदेश के प्रवास पर आये थे। उन्होंने चीन के उद्योगपतियों द्वारा मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में उद्योगों की स्थापना तथा निवेश के संबंध में मंत्री श्री भार्गव से विस्तार से चर्चा की।

श्री आई पिंग ने कहा कि वे प्रदेश के विकास से बहुत प्रभावित हैं और वर्तमान परिदृश्य में यहाँ निवेश की व्यापक संभावनाएँ हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में किये जा रहे सकारात्मक प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में चीन के अनेक उद्योगपति प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं। श्री आई पिंग ने कहा कि उनकी मध्यप्रदेश यात्रा से चीन के निवेशकों को प्रोत्साहित करने और यहाँ निवेश के लिये उनके विश्वास को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। श्री आई पिंग ने इस दौरान मंत्री श्री गोपाल भार्गव को आगामी जून माह में चीन की यात्रा के लिये भी आमंत्रण दिया। इस मौके पर नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमण्डल भी मौजूद था। श्री भार्गव ने सभी अतिथियों को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। मुलाकात में श्री गोपाल भार्गव ने चीन के उप मंत्री श्री आई पिंग को बताया कि मध्यप्रदेश विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में एक है। यहाँ एग्रो-प्रोसेसिंग तथा कृषि उपकरण, उन्नत कृषि एवं उद्यानिकी तकनीक, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खिलौने तथा चमड़े के उत्पादन की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। श्री भार्गव ने कहा कि साँची को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन के रूप में विकसित करने के क्षेत्र में निवेश की प्रचुर संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विशेष चाइनीज इकानॉमिक जोन की स्थापना कर यहाँ आजीविका और रोजगार के साधन मुहैया करवाने में चीन सहयोग कर सकता है।

श्री भार्गव ने प्रदेश की महत्वपूर्ण विशेषताओं सुशासन व्यवस्था तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों से भी अवगत करवाया। उन्होंने चीन के उप मंत्री को बताया कि देश के मध्य में स्थित होने से देश के प्रमुख शहरों से यहाँ सड़क, रेल एवं वायु मार्ग द्वारा आवागमन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उन्होंने राज्य शासन की आकर्षक औद्योगिक नीति, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता, इंजीनियरिंग तथा मैनेजमेंट क्षेत्र में दक्ष व्यक्तियों के साथ ही कुशल और अकुशल श्रमिकों की व्यापक उपलब्धता के बारे में बताया।

# ब्रिटिश सांसदों ने मध्यप्रदेश के विकास को सराहा

## डी.एफ.आई.डी. देगा ग्रामीण विकास में सहयोग

**कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ब्रिटिश संसद सदस्यों ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव से उनके निवास पर मुलाकात कर सुदूर ग्रामीण अँचलों में तीव्र गति से हुए विकास के लिये राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। ब्रिटिश सांसदों ने ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिये डीएफआईडी द्वारा हरसंभव सहायता मुहैया करवाने का आश्वासन दिया।**

कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के ब्रिटिश संसद सदस्यों ने मध्यप्रदेश की विकास उपलब्धियों की व्यापक सराहना की है। प्रदेश के भ्रमण पर आये ब्रिटिश सांसदों के प्रतिनिधिमण्डल ने 19 फरवरी को सुबह पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव से उनके निवास पर भेंट की। उन्होंने मध्यप्रदेश में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति तथा सुदूर ग्रामीण अँचलों में तीव्र गति से हुए विकास के लिये राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। ब्रिटिश सांसदों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में निरंतर तीसरी बार प्रदेश सरकार का सफल नेतृत्व करने को सुखद बताया।

ब्रिटिश सांसद श्री लियेम बायर्न के नेतृत्व में प्रदेश के भ्रमण पर आये इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद बेरोनेस ब्लेकस्टोन, सर्वश्री सायमन बर्न्स, स्टीफन हेपबर्न, बेरोनेस मंजूर, बेरोनेस नार्थ एवर, श्री वीरेन्द्र शर्मा, डॉ. राबर्टा ब्लेकमेन वुडस शामिल थे। ब्रिटिश दल ने प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिये शुरू की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना तथा बालिका विवाह की रोकथाम के लिये संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की उपलब्धियों को भी सराहा। उन्होंने सुदूर ग्रामीण अँचलों में आवागमन के लिये बारहमासी सड़कों के निर्माण, अल्ट्रा-स्मॉल बैंकों की स्थापना के जरिये हर पाँच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग की सुविधाओं की उपलब्धता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के जरिये ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने के लिये इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सम्पर्क सुविधाओं के विकास के प्रयासों पर भी चर्चा की। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाली पेंशन और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति तथा जननी सुरक्षा योजना में दी जाने वाली राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे पहुँचाने के मकसद से शुरू हुए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन की विशेषताओं को भी उन्होंने जाना। आश्वस्त किया कि ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिये डीएफआईडी द्वारा हरसंभव सहायता मुहैया करवाई जायेगी।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तीकरण से ग्रामीण जन-जीवन में आये सार्थक बदलाव के बारे में बताया। ग्रामीण अँचलों में स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार के लिये शुरू हुई पंच परमेश्वर योजना, ग्रामीण अँचलों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करने के लिये चलाये जा रहे मर्यादा अभियान तथा स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की विशेषताएँ भी बतायी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के वित्तीय सहयोग से राज्य के आदिवासी बहुल 9 जिलों में सफलतापूर्वक संचालित हुई मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी रेखांकित किया।

● **देवेन्द्र जोशी**

# पंचायतों का सशक्तीकरण

त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने 19 फरवरी को मध्यप्रदेश के भ्रमण पर आये 14वें वित्त आयोग के सदस्यों से भेंट की। उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने, ग्रामीण अँचलों में अधोसंरचना विकास तथा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में जरूरी वित्तीय प्रावधानों के बारे में आयोग से चर्चा की। आयोग के सदस्यों को बताया गया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के दायित्वों में हो रही बढ़ोत्तरी के साथ ही वे और ज्यादा सशक्त होकर कार्य कर सकें, इस मकसद से उन्हें अधिक धनराशि की जरूरत होगी। प्रदेश में अगले वर्ष जनवरी, 2015 में पंचम स्थानीय निर्वाचन (पंचायत चुनाव) सम्पन्न होंगे। इस संबंध में लगभग 3 लाख 97 हजार पंचायत प्रतिनिधियों को मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान कर उनके क्षमता संवर्द्धन के बारे में भी आयोग को सुझाव दिये गये।

**त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने 19 फरवरी को मध्यप्रदेश के भ्रमण पर आये 14वें वित्त आयोग के सदस्यों से भेंट की। उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने, ग्रामीण अँचलों में अधोसंरचना विकास तथा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के संदर्भ में जरूरी वित्तीय प्रावधानों के बारे में आयोग से चर्चा की। पंचायत प्रतिनिधियों ने आयोग के सदस्यों को बताया कि त्रि–स्तरीय पंचायतों के दायित्वों में हो रही बढ़ोत्तरी के साथ ही वे और ज्यादा सशक्त होकर कार्य कर सकें, इस उद्देश्य से उन्हें अधिक धनराशि की जरूरत होगी।**

इस अवसर पर आयोग को बताया गया कि प्रदेश की 9,253 ग्राम-पंचायतों द्वारा पेयजल व्यवस्था के लिये नल-जल योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। यह पंचायतें स्वयं जल-कर लगाकर पेयजल योजनाओं के रख-रखाव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। इन पेयजल योजनाओं के विद्युत बिलों के भुगतान के लिये राज्य-स्तर से वर्ष 2011-12 में 78 करोड़ रुपये और वर्ष 2012-13 में 89 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये गये हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि ग्रामीण अँचलों में बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता तथा पर्यावरण विकास के महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। इनमें आंतरिक सड़कों का निर्माण, नाली निर्माण, पंचायत भवनों का निर्माण, पहुँच मार्ग निर्माण, पुल-पुलियाओं का निर्माण तथा स्वच्छता के लिये शौचालय निर्माण के कार्य पिछले वर्षों से हो रहे हैं।

भवनविहीन पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण तथा विभिन्न ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्यों के लिये भी अत्याधिक राशि की आवश्यकता 14वें वित्त आयोग को बतलाई गई। ई-गवर्नेंस व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के लिये समस्त ग्राम-पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत भी पंचायत प्रतिनिधियों ने दर्शाई। उन्होंने बताया कि पंचायत वेब पोर्टल पर डाटा एकत्रीकरण, ई-पंचायत कक्षों के निर्माण, अल्ट्रा स्मॉल बैंकों की स्थापना और समस्त पंचायत में कानकरंट ऑडिट के लिये भी 14वें वित्त आयोग से राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिये। सशक्त आधारभूत संरचनाओं के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये पंचायतों को वांछित राशि मिलने पर वे अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वाह कर सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के साथ पठित 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश की सभी 23 हजार 6 ग्राम-पंचायतों द्वारा इन जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन किया जा रहा है। विभिन्न विभाग की महती योजनाओं का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है, लेकिन इनके सुचारू क्रियान्वयन के लिये आवश्यकतानुसार मैदानी अमले का हस्तांतरण त्रि-स्तरीय पंचायतों को किया जाना जरूरी है। ग्राम-पंचायतों को मिलने वाली अनाबद्ध राशि से वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्राथमिकता तय कर विकास कार्य सम्पन्न कर रही हैं। त्रि-स्तरीय पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाने वाली राशि का राज्य-स्तर पर किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जाता है। राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि समय पर मुहैया होती है। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 77 के अनुसार पंचायतें प्रकाश-कर, जल-कर, सम्पत्ति-कर आदि अधिरोपित करने में सक्षम हैं, जिससे पंचायतों को आय प्राप्त होती है। तालाबों की नीलामी, गौण खनिजों की नीलामी, साप्ताहिक हाट-बाजार तथा पशु-मेला भी पंचायतों की आय के स्रोत हैं।

मध्यप्रदेश में पंचायतों को कराधान के लिये प्रोत्साहित करने के मकसद से वर्ष 2010-11 में 36 करोड़ तथा वर्ष 2011-12 में 64 करोड़ रुपये कर प्रोत्साहन के बतौर दिये गये हैं।

● देवेन्द्र जोशी

# विकास का रोडमैप दृष्टि पत्र 2018

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जन संकल्प-2013 व दृष्टि पत्र-2018 के बिन्दु



**मध्यप्रदेश सरकार ने तीसरी बार सत्ता संचालन हाथ में लेते ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विचार और विकास की भावी कल्पना के आधार पर दृष्टि पत्र 2018 बनाया है। इस दृष्टि पत्र में हर विभाग की अगले पाँच वर्षों की कार्य योजना समाहित है। विगत दिनों मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रत्येक विभाग की इस कार्य योजना पर चर्चा की और मध्यप्रदेश के समावेशी विकास के लिए कार्य शुरू कर दिया गया। जन संकल्प 2013 तथा दृष्टि पत्र के इन बिन्दुओं में शामिल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बिन्दुओं को प्रकाशित किया जा रहा है ताकि विभागीय अमले तथा पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के रोडमैप का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।**

- सुशासन (1.3) - अन्त्योदय मेलों से आगे जाकर अब चिन्हित शासकीय सेवाओं की 'होम डिलीवरी'।
- सुशासन (1.5) - सभी विभागों में बजट एवं वित्तीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ का गठन। लेखा नियमावली में भी तदनुसार संशोधन।
- सुशासन (1.7) - नये विकासखण्डों के निर्माण के लिए अनुशंसा करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा जो अपनी अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजेगी।
- सुशासन (1.9) - सभी विभागों में उनके द्वारा किय जा रहे कार्यों के बाहरी मूल्यांकन हेतु व्यवस्थायें।
- सुशासन (1.18) - सभी विभागीय प्रशिक्षणों में सूचना का अधिकार अधिनियम का अनिवार्य पाठ्यक्रम।
- सुशासन (1.23) - हमने ई-गवर्नेंस की दृष्टि से निर्माण विभागों में ई-टेण्डरिंग, ई-मेजरमेंट, ई-पेमेंट जैसी बहुत सी प्रणालियां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये शुरू की हैं। अब इन्हें अन्य महत्वपूर्ण विभागों में भी प्रयुक्त करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।
- सुशासन (1.24) - सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कम्प्यूटर साक्षरता सुनिश्चित करने का अभियान चलाया जायेगा।
- सुशासन (1.25) - हर विभाग अपना ई-गवर्नेंस प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित करने के लिये बजट में राशि सुरक्षित करवायेगा। न्यूनतम 2 प्रतिशत बजट राशि विभाग को ई-गवर्नेंस पर व्यय करनी होगी।
- किसान (2.5) - मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना।
- किसान (2.6) - मुख्यमंत्री ग्रामीण आश्रय योजना। गांवों में भवनहीन कृषि मजदूरों एवं किसानों को विभिन्न योजनाएं एकीकृत कर राज्य शासन के वित्तीय सहयोग से 10 लाख घर।
- किसान (2.20) - खेतीहर मजदूरों का कुशल श्रमिकों में बदलने का वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- गांव-गरीब-मजदूर (3.3) - गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का जीवन बीमा।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.7) - ग्रामीण हाट बाजारों को स्थानीय करों से मुक्ति।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.8) - ग्रामीण क्षेत्र के स्वामित्व वाले रहवासी मकानों का पट्टा या अधिकार पुस्तिका (Title Deed) ताकि उसके आधार पर वे बैंक ऋण, शासन सुविधा आदि प्राप्त कर सकें।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.9) - जो गांव प्रधानमंत्री सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सड़क योजना में शामिल कर पाँच वर्षों में सभी गांवों को सड़क सुविधा।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.10) - पंचायतों को पेयजल योजना, संधारण, रखरखाव एवं ग्रीष्म काल का बिजली बिल का भुगतान शासन स्तर पर।
- गांव-गरीब-मजदूर (3.35) - ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रखरखाव तथा बिल (ग्रीष्म ऋतु में) राज्य सरकार द्वारा।
- नारी शक्ति (4.1) - शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को उद्योग/व्यापार हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण।
- नारी शक्ति (4.19) - मर्यादा अभियान के तहत ग्राम एवं नगर दोनों में सार्वजनिक सुलभ काम्प्लेक्स की व्यवस्था।
- युवा (5.36) - ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर अटल खेल स्टेडियम।
- युवा (5.37) - हर पंचायत में खेल एवं युवा क्लब का गठन।
- युवा (5.38) - ग्रामीण खेलकूद, पंचायत से प्रदेश स्तर तक। वार्षिक कैलेन्डर तथा पुरस्कार।
- उद्योग एवं व्यापार (8.20) - स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये उनके द्वारा विनिर्माण कर बेची जाने वाली हस्तनिर्मित वस्तुओं को कर मुक्त करने की नीति।
- उद्योग एवं व्यापार (8.24) - कारीगरों एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादों के लिये भोपाल हाट की तर्ज पर जिला मुख्यालयों पर हाट बाजार क्षेत्र विकसित किये जाकर उन्हें उत्पाद विक्रय में सहयोग किया जावेगा।
- उद्योग एवं व्यापार (8.33) - ग्रामीण बाजारों को अपग्रेड करने का अभियान चलाया जायेगा और उनमें स्वच्छता तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी, और इसी बात का आकलन किया जायेगा कि क्या कुछ नयी हाट-जरूरतें नये स्थानों पर विकसित हुयीं। तदनुसार नये हाट क्षेत्रों का विकास किया जायेगा।
- कर्मचारी (18.4) - 50 वर्ष के ऊपर के शासकीय कर्मचारियों की अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के तरह अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.A.1.2.3) - मिट्टी और भूमि के उपयोग, जलग्रहण क्षेत्र का विकास, खेती की पद्धतियों, कृषि संसाधन की सूचना और फसल मौसम की निगरानी के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली/रिमोट सेंसिंग आधारित प्रणाली को आरम्भ किया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.A.1.A.2) - बंजर और नदी घाटी भूमि का चारा उत्पादन के लिये विकास, किसान के खेतों पर भूमि सुधार के लिये खेत पर ही प्रयोग करने की पहल।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.A.2.1) - मेढ़ बंधान और जल निकासी नालियों के रख-रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- कृषि, सिंचाई और विविधकरण (1.A.2.3) - बंजर भूमि को परिवर्तित करने और उस पर खेती करने के लिये, विशेष रूप से राज्य के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों में एक ठोस रणनीति का कार्यान्वयन।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.A.2.4) - निजी स्वामित्व वाली पड़त भूमि को खेती योग्य बनाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.A.2.5) - एक-फसली भूमि को दो-फसली को तीन-फसली बनाने के उद्देश्य से योजनाओं की पहल।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.A.2.6) - बीहड़ों, विशेष रूप से चम्बल के बीहड़ों को विकसित करने के लिये विशेष कार्यक्रम।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.B.1.1) - प्रति वर्ष 2 लाख हेक्टे. अति. क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.B.1.6) - रेन वाटर हार्वेस्टिंग और भू-जल पुनर्भरण को जल संग्रहण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.B.1.7) - कुल 5 लाख हेक्टे. क्षेत्र में फील्ड चैनल्स और वाटर कोर्स का निर्माण।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.B.2.2) - कृषि जल प्रयोग की दक्षता में 10% की वृद्धि की जायेगी।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.B.2.6) - वाल्मी और संबंधित संस्थाओं को सशक्त कर संस्थागत प्रशिक्षण क्षमताओं का विस्तार।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.C.1.3) - किसानों को उनके द्वार पर गुणवत्ता वाले पौधे उपलब्ध कराने के लिये 100 नर्सरियों का सशक्तीकरण किया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.C.2.3) - एक भोपाल-इन्दौर उद्यानिकी गलियारा विकसित किया जायेगा। साथ ही जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, झाबुआ, छिन्दवाड़ा और छतरपुर के आस-पास भी उद्यानिकी समूह विकसित किये जायेंगे।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.C.3.2) - उद्यानिकी फसलों के फसलोत्तर प्रबंधन की सुविधा हेतु कलेक्शन सेंटर्स, राइपनिंग चेम्बर्स और शीत भवन सुविधायुक्त एकीत बैंक हाउस आदि की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.D.1.2) - खेत मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने/पुनः स्थापित करने के लिये प्रमाणित जैविक खादों के प्रयोग को अधिक बढ़ावा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.D.1.3) - उद्यानिकी फसलों के लिये कम लागत वाली वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों को बढ़ावा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.E.2.1) - भण्डारण क्षमता में 150 लाख एमटी तक का विस्तार। इसमें से कम से कम 110 लाख एमटी निजी क्षेत्र और 40 लाख एमटी शासकीय क्षेत्र में रहेंगे।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.G.1.9) - सबसे गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने हेतु व्यवस्थित कुक्कुट पालन और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन को बढ़ावा दिया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.H.1.1) - मौजूदा जल क्षेत्र का 100% मत्स्य उत्पादन के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.I.1.1) - लगभग 4000 हेक्टे. नये क्षेत्र को मलबरी रेशन उत्पादन से जोड़ा जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.I.1.2) - रेशम उत्पादन क्षमता वाले 5 नये क्लस्टर्स को विकसित किया जायेगा।
- कृषि, सिंचाई और विविधिकरण (1.I.2.1) - टसर कीट पालन के वर्तमान वन क्षेत्र 25000 हेक्टे. को बढ़ाकर 40000 हेक्टे. किया जायेगा।
- शिक्षा (2.A.3.2) - माध्यमिक स्कूल स्तर पर बालिकाओं के नामांकन और निरंतरता का सतत् प्रयास प्रत्येक बसाहट के पांच कि.मी. की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल में बालिकाओं के लिये सुविधा का विस्तार। सभी

स्कूलों में बालिकाओं के लिये शौचालय एवं पेयजल सुविधा की अनिवार्यता।

- शिक्षा (2.A.4.4) - आंगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों में खेल अधोसंरचना का विस्तार करना।
- महिला सशक्तीकरण (4.2.1) - महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विषय में साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाना तथा आवश्यक योजनाओं की पहचान करना।
- महिला सशक्तीकरण (4.2.2) - आजीविका और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के स्व-सहायता समूह तंत्र का विस्तार और व्यवसायिक तंत्रों की अगली और पिछली कड़ियों में समन्वय स्थापित करना।
- कौशल विकास (5.1.3) - आदिवासी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास की अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करने हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।
- कौशल विकास (5.4.2) - सम्प्रेषण हुनर, कार्य कौशल और व्यक्तित्व विकास में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सभी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेश।
- समावेशी विकास (6.1.1) - भूमिरहित और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे सूक्ष्म उद्योग में अवस्थापना की दिशा में स्व-सहायता समूहों का सशक्तीकरण, विस्तार एवं इनकी गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।
- समावेशी विकास (6.12) - प्रतिकूल परिस्थिति वाले औसत भूमिहर समूहों की आय में उत्पादकता और उनके उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार द्वारा वृद्धि।
- समावेशी विकास (6.2.1) - औसत से कम भूमिहर समूहों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों और क्लस्टर्स हेतु विशेष कार्यक्रमों के सृजन के उद्देश्य से उनकी पहचान।
- समावेशी विकास (6.3.5) - बच्चों को पूरक पोषण, आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और प्राथमिक शिक्षा जैसी मूलभूत सेवायें प्रदान करने हेतु विस्तृत पैकेजों का समुचित उपयोग करना।
- समावेशी विकास (6.4.1) - शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आवश्यक क्षेत्रों को पहचानना और अंतराल भरने के कार्य को सुगम बनाने के लिये विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता देना और इन विभागों के हितग्राहियों को योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाने के योग्य बनाना।
- सड़कें, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा (8.A.2) - सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी गांवों तक सड़क की पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति।
- सड़कें, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा (8.A.2.1) - बारहमासी सड़कों के द्वारा वर्ष भर सभी गांवों के लिये सम्पर्क।
- सड़कें, विद्युत आपूर्ति और नवकरणीय ऊर्जा (8.A.2.4) - निस्तार पत्रक/वाजिबुलअर्ज में सूचीबद्ध खेत-सड़कों का बारहमासी ग्रेवल सड़कों में उन्नयन एवं खसरा में आवश्यक प्रविष्टियां।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.1) - पक्के आवास की उपलब्धता का विस्तार।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.1.1) - विभिन्न योजनाओं के तहत न्यूनतम 10 लाख घरों का निर्माण।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2) - नागरिक अधोसंरचना में सुधार।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.1) - आंतरिक सड़क एवं जल निकासी में सुधार।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास (11.2.1.1) - पंच परमेश्वर योजना के तहत जल निकासी एवं सर्विस डक्ट सहित आंतरिक सीसी सड़कों का निर्माण किया जायेगा। कम से कम 75 प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.2) - स्वच्छता सुविधाओं की सुनिश्चित उपलब्धता।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.2.1)- नल जल सप्लाई से जुड़े सभी ग्रामों को वर्ष 2018 तक मर्यादा अभियान की रणनीति अपनाते हुये खुले में शौच मुक्त बनाना।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.2.2.2)- पांच हजार तक या इससे ऊपर की आबादी वाले गांवों को बसाहटों में समग्र अपशिष्ट निपटान प्रणाली योजना बनाकर क्रियान्वित की जायेगी।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.3) - ग्रामों में सार्वजनिक सेवा प्रदाय में सुधार।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.3.1) - नागरिक सेवाओं की पहचान, विशेषतः स्वच्छता एवं मैला निपटान एवं ग्राम पंचायत को यह सेवायें प्रदान करने हेतु अधिकार एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- ग्रामीण आवास एवं रहवास विकास (11.4.3) - ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना निर्माण एवं रखरखाव के लिये फिसकल डिसीप्लिन हेतु वित्तीय साधनों का विस्तार।
- पर्यावरण प्रबंधन (13.3.1) - किसानों की भूमि पर इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये उभरते कृषि वानिकी क्षेत्र में प्रयासों का विस्तार।
- पर्यावरण प्रबंधन (13.3.2) - बंजर भूमि तथा खुले मैदानों को कृषि योग्य बनाने हेतु सामाजिक वानिकी का सुदृढ़ीकरण।
- पर्यावरण प्रबंधन (13.4) - वृक्ष आच्छादन का विस्तार एवं वन्य जीवन संरक्षण।
- पर्यावरण प्रबंधन (13.4.1) - बिगड़े वन क्षेत्रों में वृक्ष सघनता में वृद्धि।
- पर्यावरण प्रबंधन 13.4.2) - गैर वन क्षेत्रों के साथ बंजर भूमि, बीहड़, नहरों के किनारे एवं परित्यक्त खनन स्थलों पर वृक्ष आच्छादन में वृद्धि।
- पर्यावरण प्रबंधन (13.5) - भू-जल स्रोतों का पुनर्रुद्धार।
- पर्यावरण प्रबंधन (13.5.4) - स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा समुचित मूल्य निर्धारण तंत्र के जरिये भूमिगत जल एवं सतही जल का सिंचाई के लिये संयोजित उपयोग।
- संस्कृति, विरासत और पर्यटन (15.8) - इको तथा एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा।
- संस्कृति, विरासत और पर्यटन (15.8) - संरक्षित वन क्षेत्रों के आस-पास ईको एवं एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ, इन गतिविधियों को प्रमुख और सैटेलाइट पर्यटक परिपथों पर विकसित करना।
- नारी शक्ति (A.2.2) - आजीविका और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं के स्व-सहायता समूह तंत्र का विस्तार और इन व्यवसायिक तंत्रों की अगली और पिछली कड़ियों में समन्वय स्थापित।
- सुशासन (16.4.4) - एक समेकित पोर्टल, स्टेट सर्विस डिलिवरी गेटवे के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं (जिनमें ई-डिस्ट्रिक्ट, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट आदि के तहत प्रस्तावित सेवायें शामिल हैं) जैसे कल्याण योजना भुगतान को ऑनलाइन प्रस्तावित किया जायेगा।
- सुशासन (16.4.7) - सभी विभागों द्वारा ई-गवर्नेंस प्लान अनिवार्यतः बनाया जायेगा।
- सुशासन (16.5.1) - पेपरलेस ऑफिस वातावरण को बढ़ावा दिया जायेगा और सरकार कार्यालयों के अंदर दक्षता सुधारने हेतु प्रोसेस री-इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। शासकीय सेवा में सुधार हेतु फाइल प्रबंधन, ज्ञान प्रबंधन, कर्मचारी जानकारी, और सूचना सेवायें ई-ऑफिस प्रणाली के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेंगी।
- सुशासन (16.6) - सरकारी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
- सुशासन (16.7) - पारदर्शी और सहभागी शासन को बढ़ावा।

# मुन्नी साकेत

## MÉÉ´É Eò n¤ÉMÉÉ Eò ÉÊJÉ±ÉÉ¡ò ºÉ¶ÉHò ºÉ®{ÉSÉ

**देश में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले मध्यप्रदेश में पंचायत निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बाद से अक्सर जब भी महिला सरपंच की बात आती है तो सिर ढंककर सरपंच पति के पीछे चलने वाली स्त्री का चेहरा ही सामने आता है लेकिन अब वक्त बदल रहा है, आज सरपंच यदि महिला है तो वह सुशासन भी खुद ही चला रही है इसी की एक मिसाल हैं महिला सरपंच मुन्नी साकेत।**

जो गलत पहले हो चुका है उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। इस बात में यकीन रखती हैं मरोहा की सरपंच मुन्नी साकेत। सतना जिले के रामपुर ब्लॉक की मुन्नी स्वयं भले ही पढ़ी लिखी ना हों लेकिन वह शिक्षा का महत्व जानती हैं और इसलिए आज अपने गांव में रहने वाली बेटियों के लिए शासन की मदद से स्कूल खुलवा रही हैं। नारी सशक्तीकरण का यह चेहरा मध्यप्रदेश में देखने को मिल रहा है। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू करने वाले मध्यप्रदेश में पंचायत निकायों में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी होने के बाद से अक्सर जब भी महिला सरपंच की बात आती है तो सिर ढंककर सरपंच पति के पीछे चलने वाली स्त्री का चेहरा ही सामने आता है लेकिन अब वक्त बदल रहा है, आज सरपंच यदि महिला है तो वह सुशासन भी खुद ही चला रही है इसकी मिसाल खुद महिला सरपंच मुन्नी साकेत भी हैं।

**बंद कराई शराब की दुकानें :** लोकतंत्र में दलित वर्ग को मिले आरक्षण की वजह से ही मुन्नी को सरपंच की कुर्सी संभालने का मौका चार साल पहले मिला था। आज भी गांवों में ठाकुरों की दबंगई चलती है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सब चुनौतियों का डटकर सामना करने वाली मुन्नी ने बताया कि शुरुआत में गांव के ठाकुर हम पर हंसते थे और कहते थे कि बड़ी नेता बनी फिरती हो कुछ दिन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। काम करना आसान नहीं है लेकिन जागृति महिला पंच सरपंच संगठन से जुड़कर हमें पता चला कि हमारे अधिकार क्या हैं और हम गांव के हित के लिए कैसे और क्या कर सकते हैं। इसी कड़ी में जब गांव में शराब की दुकानों को बंद कराने की ठानी। हमारी इस मुहिम में गांव की महिलाओं ने भी हमारा साथ दिया, इस मुहिम के कारण अब हमारे गांव में शराब की दुकान कोई नहीं खोल सकता है।

**जहां होता है बाल विवाह पहुंच जाते हैं रोकने :** मुन्नी ने बताया कि मैं पर्याप्त शिक्षित नहीं हूं और गांव में रहने के कारण मेरे माता-पिता ने भी उस दौर में मेरा विवाह कच्ची उम्र में करा दिया था। तब भले नासमझ थी लेकिन अब कच्ची उम्र में बेटी की शादी से क्या-क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बात को जानती हूं, इसलिए सरपंच बनने के बाद से अब जहां भी पता चलता है कि बाल विवाह हो रहा है, वहां जाकर दोनों ही परिवार को समझाइश देकर शादी टलवाने के लिए पहुंच जाती हूं। मुन्नी ने बताया कि लोगों को समझाती हूं कि बिटिया बोझ नहीं है, इसलिए हाथ बाद में पीले करना पहले उसके हाथ में कागज, कलम दो ताकि वह शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बने।

**अस्पताल में जाकर रोका गर्भपात :** हमें आज कानून का ज्ञान है इसलिए क्या सही है और क्या गलत अब हम खुद समझ सकते हैं, यह कहना है मुन्नी का। एक घटना का जिक्र करते हुए सरपंच मुन्नी साकेत ने बताया कि एक बार गांव के नजदीक के एक अस्पताल में एक व्यक्ति डॉक्टर की मदद से अपनी पत्नी का गर्भपात कराने पहुंचा, वजह वही थी सोनोग्राफी में लड़की होने की बात सामने आना। हमने अस्पताल में जाकर उसे और डॉक्टर दोनों को समझाया यदि बच्ची को जन्म नहीं लेने दोगे तो दोनों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करा दूंगी। इस तरह एक अजन्मी बच्ची की जान इसलिए बचा सकी क्योंकि अपना अधिकार जानती थी।

**जो कभी हंसते थे, अब वही डरते हैं :** मुन्नी ने बताया कि गांव के जो दबंग लोग हमारा मखौल उड़ाते थे और सोचते थे कि हमें डरा लेंगे और अपनी मनमानी कर लेंगे, अब वह यह समझ चुके हैं कि हम नहीं डरेंगे। मुन्नी कहती हैं कि यदि व्यक्ति की नीयत अच्छी हो और विकास करने की चाह हो तो बदलाव लाया जा सकता है। मुन्नी ने बताया कि कभी एक हाथ तक का घूंघट करने वाली महिला को सब कमजोर समझते थे लेकिन आज गांव के सभी लोग मेरे अच्छे काम की ना सिर्फ सराहना करते हैं बल्कि सहयोग भी करते हैं। यह देखकर अच्छा लगता है। दबंगों से ना डरके निडरता से शासन चला रही मुन्नी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ गांव का विकास है।

**सरपंचों का अधिकार छीनती है धारा 40 :** पंचायत प्रतिनिधियों पर गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही धारा 40 को लेकर पिछले दिनों मुन्नी साकेत ने क्षेत्र की अन्य महिला जनप्रतिनिधियों के साथ राजधानी आकर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के समक्ष पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात भी रखी।

**● सर्जना चतुर्वेदी**

# मध्यप्रदेश सरकार और यू.एन. वूमन के बीच एम.ओ.यू.

## गाँव-गाँव में गठित होंगे शौर्या दल

> शौर्या दल के राज्य स्तरीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना होगा। इसके लिए मध्यप्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी पहल की गयी है। यू.एन. वूमन, मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित शौर्या दलों के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि महिला सशक्तीकरण के लिये अब शौर्या दलों का गठन प्रदेश के हर गाँव और शहर के हर वार्ड में किया जायेगा। नये बनने वाले राशन कार्डों में परिवार के मुखिया के नाम की जगह परिवार की महिला का नाम होगा। कार्यक्रम में शौर्या दलों के गठन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन और यू.एन. वूमन के बीच एम.ओ.यू. किया गया।

श्री चौहान ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिये महिलाओं को आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना होगा। इसके लिए प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को मजबूत बनायें। मध्यप्रदेश में इस दिशा में प्रभावी पहल की गयी है। बेटा और बेटी में भेदभाव की भावना को बदलने के लिये मिलकर काम करना होगा। ऐसे समाज में बदलाव लाना होगा, जो भेदभाव करता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं के सम्मान की परम्परा रही है। राज्य सरकार ने बेटी बचाओ अभियान, लाड़ली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजनाएं शुरू की हैं। स्थानीय निकाय और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। शौर्या दल महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता लायें। गाँवों को नशामुक्त बनायें और महिलाओं को उनके कल्याण की योजनाओं के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने में सभी सहयोग करें।

महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश के छह जिलों में शौर्या दलों का गठन किया गया था। इन दलों ने महिलाओं के प्रति भेदभाव को रोकने में प्रभावी काम किया है। अब इन दलों का गठन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। महिलाओं के प्रति अत्याचार की समस्या को लोगों की मानसिकता में परिवर्तन कर दूर किया जा

सकता है। यू.एन. वूमन की डॉ. रेबेका रिचमेन ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। पंचायतों में 15 लाख महिलाओं का चुनाव एक बड़ी सफलता है। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी, गाँव की बेटी योजना और बेटी बचाओ अभियान जैसे सफल कार्यक्रम चलाये गये हैं। जेण्डर आधारित बजट की पहल करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

अब यू.एन. वूमन, मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में सहयोग करेगी। कार्यक्रम में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की कंट्री कोआर्डिनेटर सुश्री मीरा मिश्रा ने कहा कि शौर्या दल लोगों की मानसिकता बदलने के लिये बेहतर काम कर रहे हैं। यू.एन.डी.पी. की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर सुश्री अलेक्जेन्ड्रा सोलोविवा ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण हाट कार्यक्रम को पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा अवार्ड मिला है।



# पंचायतों में महिला शक्ति

**तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए एक तिहाई भागीदारी का प्रावधान रखा गया। सबसे पहले मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया गया। कानूनी प्रावधान के बावजूद पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों को कार्य करने में कई व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन विसंगतियों को दूर करने और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने प्रशिक्षण व अन्य कई प्रयास किए। आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंचायतों में महिलाओं के सशक्तीकरण और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर होने वाले प्रयासों, सम्भावनाओं और कानून के प्रावधान को प्रकाशित किया जा रहा है।**

तिहत्तरवें संविधान द्वारा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाया गया, जिसमें पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया गया। पंचायतों के बढ़ाए हुए वित्तीय आवंटन और कार्य की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सौंपी गई बढ़ती हुई मांगों के समक्ष निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की विशेष जरूरतों को सकारात्मक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति और उनकी भागीदारी के बीच की खाई को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है (i) जहां महिलाएं उपस्थित नहीं थीं, (ii) जहां महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन उनके साथ पुरुष संबंधी थे और इस प्रकार भाग नहीं लिया, और (iii) जहां महिलाओं ने भाग लिया लेकिन अपने पुरुष संबंधियों की ओर से बात की।

कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में काफी परिवर्तन लाने में सक्षम रही हैं। हालांकि, जोखिम और अनुभव के साथ, महिलाएं स्थानीय शासन के बल के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बना रही हैं। महिला प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों में अक्सर बाल विवाह, कन्या भ्रूण और शिशु हत्या, मदिरा सेवन जैसे कठिन मुद्दे और आजीविका, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, पूर्ण स्वच्छता अभियान, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी के काम, स्वास्थ्य संस्थानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कुछ हद तक मुद्दे, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, से जुड़े होते हैं। इन समस्याओं के अपने व्यक्तिगत अनुभव के कारण, महिला प्रतिनिधि इस तरह

की समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप लाने के मामले में सबसे आगे हैं। युवा प्रतिनिधियों के लिए अनुभव की कमी और पितृसत्तात्मक संस्कृति का होना एक असुविधा है। इसे दूर करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गयी। इसके तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण में शामिल है -

- आम समस्याओं, मुद्दों और बातचीत के आदान-प्रदान की सुविधा और उन्हें संख्या की शक्ति देने के लिए प्रत्येक राज्य में 2-3 दिनों का एक सम्मेलन।
- राज्य की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों द्वारा एक राज्य विशेष चार्टर को अपनाना जो राज्य की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में पंचायत महिला शक्ति अभियान को आगे ले जाने के लिए रास्ते का नक्शा दिखाता है।
- राज्य स्तरीय कोर एजेंसी की पहचान करना।
- राज्य स्तरीय संसाधन प्रकोष्ठ का गठन जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी से संबंधित अद्यतन जानकारी रखने और ज्ञान का समर्थन करने वाले संस्थानों के रूप में काम करते हैं।
- अपने स्वयं के निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ एक संघ का गठन।
- प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

## पंचायतों में

# महिला प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद 243घ के प्रावधानों के अनुसार, पंचायतों में सभी स्तरों पर सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से महिलाओं द्वारा भरा जाना चाहिए और अध्यक्षों के पद भी उनके लिए आरक्षित हैं। आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का कानून है। सिक्किम में, महिलाओं के लिए आरक्षण 40 प्रतिशत है। इस पहल के परिणामस्वरूप, पंचायतों के 28 लाख निर्वाचित सदस्यों में, लगभग 10 लाख महिलाएं हैं। भारत में पंचायती राज के राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में महिलाओं की ताकत को काफी बढ़ते हुए देखा गया है। गुणात्मक और मात्रात्मक अर्थों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी के मामले में हुई प्रगति को दस्तावेजबद्ध करने के क्रम में, पंचायती राज मंत्रालय ने एसी नील्सन-ओआरजी-एमएआरजी को राज्यों में एक देशव्यापी सर्वेक्षण का कार्य सौंपा। सर्वेक्षण अनुसार -

- पांच में से चार निर्वाचित प्रतिनिधियों के परिवार में से कोई भी राजनीति से संबद्ध नहीं था।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से लगभग 86 प्रतिशत ने राजनीति में पहली बार प्रवेश किया था
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का बड़ा अनुपात इसे अपने आत्मसम्मान (79 प्रतिशत), विश्वास (81 प्रतिशत) और निर्णय लेने की क्षमता (74 प्रतिशत) में वृद्धि का कारण मानता है।
- इनके एक बड़े हिस्से (72 प्रतिशत) को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से 62 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने नामांकन बढ़ाने और घरेलू हिंसा कम करने के प्रयास किए।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रदर्शन

में 3 कारकों का अत्यधिक सकारात्मक संबंध था- (i) जब वे दूसरी बार के लिए चुनी गईं (ii) जब उन्होंने क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया और (iii) जब उन्हें स्कूल स्तर से परे शिक्षित किया गया।

रिपोर्ट के आधार पर, यह पाया गया है कि अब ग्राम सभा की बैठकों में पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, पोषण, प्रतिरक्षण, पानी, खाद्य सुरक्षा, कृषि जैसे महिलाओं के कल्याण और हित को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज प्रणाली के प्रभावी हितधारकों के रूप में कार्य करने में सक्षम करने और उनकी क्षमता में निरंतर निर्माण के लिए निम्न पहल की गई।

- ग्राम सभा की विचार-विमर्श और निर्णय लेने की बैठकों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने ग्राम सभाओं को अपने प्रभावी और पारदर्शी कार्य के लिए मजबूत बनाया है
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई)
- क्षमता निर्माण घटक के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)
- पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए)।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को आजीविका और संबंधित मुद्दों के बारे में प्रभावी ढंग से संवेदनशील बनाने के लिए विषयों को चिन्हित किया है और सभी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत इन पहलुओं को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित करने के लिए अनुरोध किया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को आगे सशक्त करने के क्रम में, सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों को निम्नानुसार सीएसएस लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं -

सभी राज्य तथा संघ शासित सरकारें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) महिला सरपंचों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों से संबंध रखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित कर सकती हैं। किसी भी तरीके से उन्हें कोई शारीरिक क्षति, मारपीट या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव या अशिष्टता नहीं होनी चाहिए और इसका शीघ्र हल किया जाना चाहिए। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के रिश्तेदारों द्वारा परोक्षी उपस्थिति के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है वे अधिकारी जिनकी उपस्थिति में ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं उनके खिलाफ विभागीय आदेश जारी किया जाना चाहिए।

पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि ग्राम सभा की बैठकों से पहले महिला सभा, पल्ली सभा की बैठक आयोजित की जाए और महिला सभा के निर्णयों, सिफारिशों को अनिवार्य रूप से ग्राम सभाओं में रखा जाए। ग्राम सभा में इन प्रस्तावों पर विचार करना जरूरी होना चाहिए। ग्राम सभा के कोरम में महिला मतदाताओं की संख्या के कम से कम आधे को शामिल करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जिन राज्यों में इस तरह का प्रावधान अनिवार्य नहीं है उन्हें ऐसा करना चाहिए।

महिलाओं की तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने, अशांत क्षेत्रों की समस्याओं, कृषि अधिग्रहण की वजह से विस्थापन आदि के लिए कार्रवाई की किसी भी एकीकृत योजना में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए, बच्चों और महिलाओं के मुद्दों से संबंधित मामलों को महिला सभा में उठाया जा सकता है।

# मध्यप्रदेश में जैविक खेती के लिए सामयिक पहल

जैविक कृषि एक सम्पूर्ण कृषि कार्यमाला है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए प्राकृतिक संतुलन को कायम रखकर भूमि, जलवायु को प्रदूषित किये बिना, दीर्घकालीन व टिकाऊ उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति में जीवांश एवं प्रकृति प्रदत्त संसाधनों एवं कार्बनिक अवशिष्ट यथा स्थान उपयोग किया जाता है। ताकि उत्पादन व्यय कम होकर अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जैविक खेती से लक्षित उत्पादन प्राप्त करना संभव है। बहुआयामी प्रयासों से जिसमें लघु उपायों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। उस समन्वित उपाय के तीन प्रमुख घटक तत्व हैं। एकीकृत पौध संरक्षण प्रबंधन, एकीकृत कीट व व्याधि प्रबंधन और एकीकृत मृदा जल प्रबंधन, इन तीनों घटकों को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर ही टिकाऊ खेती करना संभव होगा।

राज्य शासन ने जल स्त्रोतों तथा मिट्टी को संरक्षित व प्रदूषण मुक्त एवं स्वस्थ्य पर्यावरण निर्माण करने के लिए विभिन्न स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अपनाया है। एकीकृत पौध पोषण तथा एकीकृत कीट एवं व्याधि प्रबंधन के लिए कृषि विभाग ने प्रत्येक विकासखंड के एक चयनित जैविक ग्राम में जैविक कृषि तकनीक को विस्तृत रूप से अपनाया है। जिससे भूमि में जीवांश जीवाणुओं का संरक्षण हो, फसल अवशेषों को यथास्थान उपयोग, उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती के तरीकों का विकास व खेती को लाभप्रद बनाना है। जैविक पौध पोषण के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा चयनित जैविक खेती गांव में कृषकों द्वारा जैविक खादों का उपयोग किया गया है इसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।

आधुनिक कृषि में किसानों ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों की भूख शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, परन्तु उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ भूमि के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आ रही है। असंतुलित उर्वरकों का उपयोग, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग व फसल अवशेषों का जलाना इत्यादि से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। परिणामस्वरूप आदानों का उपयोग बढ़ाना पड़ रहा है। कृषकों पर कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिक लागत का बोझ पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जैविक कृषि विधि ही एकमात्र साधन है जो भूमि का स्वास्थ्य सुधार कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकती है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही मध्यप्रदेश शासन के कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने देश में सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर जैविक कृषि को अपनाया है।

जल ही जीवन है जीवन का आधार मृदा है। हमारे देश में दोनों ही प्राकृतिक संसाधन जल एवं भूमि सीमित है। इनका सही दोहन ही आने वाली पीढ़ी की अर्थव्यवस्था की धरोहर होगी। भारत में प्रतिवर्ष 5.33 अरब टन मिट्टी का कटाव होता है जो अपने साथ 53.3 लाख टन नत्रजन, स्फुर व पोटाश बहाकर ले जाता है। जिसकी कीमत दो हजार करोड़ से अधिक है। वास्तव में बड़ी मात्रा में हमारी विदेशी मुद्रा

उर्वरक क्रय करने में खर्च होती है। इस नुकसान को कम करने के लिए राज्य शासन ने वृहद रूप में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अपनाया जिसके तहत जल व मिट्टी संरक्षण कार्य में मदद मिली है। मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग ने वैज्ञानिक आधार पर यह निश्चित किया कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्य में बनायी जा रही संरचनाओं के अलावा मिट्टी में ही ऐसी क्षमता पैदा की जाये कि उसका क्षरण कम हो। मिट्टी के कण आपस में एक दूसरे को अधिक शक्ति से पकड़कर रखें व जल का भी उपयुक्त संरक्षण हो। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना जैविक खेती को अपनाकर ही संभव हो सकता है।

खेतों में फसल उत्पादन में जिन 16 तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें प्रमुख रूप से नत्रजन, स्फुर, फासफोरस तत्व का महत्व सबसे अधिक होता है। इन तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी से जहां फसल उत्पादन में गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से फसल की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता में कमी आयी है अथवा पहले जैसा उत्पादन लेने में डेढ़ से दो गुना अधिक उर्वरक देना पड़ रहा है। जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। स्फुर की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक पी.एस.बी. कल्चर, लिग्नाइट चारकोल के काले चूर्ण में मिलाकर जैव उर्वरक बनाया जाता है। कल्चर के प्रति ग्राम भाग में इन जीवाणु की संख्या 10 करोड़ के बराबर होती है। ऐसे जीवाणु के कार्यशीलता जमीन में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। इस कल्चर के उपचार से करीब 25-30 किलो प्रति हैक्टेयर स्फुर युक्त रासायनिक उर्वरक की बचत हो सकती है। इससे विभिन्न फसलों के उत्पादन में 15 से 30 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन में पाया जा सकता है। राज्य शासन ने प्रदेश के सभी जिलों के 3130 ग्रामों का चयन कर कृषि विभाग ने जैविक खेती कार्यक्रम लागू किया है। इससे प्राप्त परिणामों एवं इस कार्यक्रम के प्रति कृषकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए लगभग एक हजार से अधिक ग्रामों में जैविक खेती कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

● **रामसिंह मीणा**

# मध्यप्रदेश में जैविक खेती

**उद्देश्य :** भूमि में जीवांश एवं जीवाणुओं का संरक्षण करना, गैर रासायनिक विधियों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाये रखना, पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना, प्राकृतिक संसाधनों तथा फसल व्यर्थ (Crop-Waste) या कार्बनिक व्यर्थ (Organic-Waste) का यथा स्थान सदुपयोग करना, जल स्रोतों तथा मिट्टी को प्रदूषण मुक्त रख स्वस्थ्य पर्यावरण का निर्माण करना, उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती के तरीकों का विकास आदि फलदायी बनाकर किसान को स्वावलंबी बनाना, इस तरह कृषि तथा कृषक दोनों को स्वावलंबी बनाना। **योजना का क्षेत्र -** वर्ष 2013-14 में यह योजना प्रदेश के 16 जिलों के 32 विकासखण्डों में क्रियान्वित है।

**हितग्राही कृषक :** जैविक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के कृषकों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जाता है।

**परियोजना की रणनीति -** जैविक प्रोत्साहन योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत संचालनालय स्तर से जिलावार, जिलास्तर पर विकासखण्डवार तथा विकासखण्ड स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है जिसका अनुमोदन विकासखण्ड स्तर जिला पंचायत की कृषि इकाई समिति द्वारा किया जाता है योजना के अंतर्गत निम्नानुसार घटकों में अनुदान देकर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है -

**परियोजना कार्यक्रम - (वर्ष 2013-14) -** 1. कम्पोस्ट तकनीकी विधियों, 2. नीलहरित काई, 3. हरीखाद बीज उत्पादन, 4. बायोगैस, 5. वर्मी कम्पोस्ट पिट, 6. काऊ कम्पोस्ट, 7. जैव कीटनाशक, 8. जैव उर्वरक, हार्मोन्स, 9. प्रदर्शन, 10. कृषक खेत पाठशाला, 11. कृषक प्रशिक्षण, 12. जैविक हाट।

**पर्यावर्णीय प्रभाव :** पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव संभावित नहीं है।

**प्रौद्योगिकी मुद्दे :** जैविक उत्पादों को बाजार में विकसित करना।

**प्रबंधन व्यवस्था :** जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर संचालक, जिला स्तर पर उप संचालक, विकासखण्ड स्तर पर क्रियान्वयन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा कराया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग एवं समन्वय का संबंध शासन स्तर पर राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति से संचालनालय स्तर पर संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला स्तर पर उप संचालक द्वारा कराया जाता है।

**वित्त पोषण :** राज्य पोषित योजना है इसमें शत-प्रतिशत राज्य शासन की ही भागीदारी है व योजना का अनुमोदन राज्य योजना आयोग द्वारा किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-13 से 2016-17) के लिये राशि रु. 7000.00 लाख का अनुमोदन परियोजना परीक्षण समिति से प्राप्त है। वर्ष 2012-13 के लिए 500.00 लाख, वर्ष 2013-14 के लिए 1200.00 लाख एवं वर्ष 2014-15 के लिये योजना अंतर्गत राशि रुपये 2000.00 लाख प्रावधान अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2013-14 में यह योजना 16 जिलों के 32 विकासखण्डों में ही क्रियान्वित है, कृषकों की रुचि एवं जैविक खेती की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2014-15 में यह स्वीकृत 16 जिलों के समस्त 77 विकासखण्डों में किया जाना प्रस्तावित है।

# किसानों के लिए लाभकारी है
# जैविक खेती

मध्यप्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश जैविक खेती की अकूत संभावनाओं से भरा है। राज्य की अर्थ-व्यवस्था के समग्र विकास में कृषि के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए मध्यप्रदेश में शासन ने अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। राज्य की कृषि, अनेक कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों का वृहद मिश्रण है, जो उस पर निर्भर विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों की जीविका का आधार है। जैविक खेती राज्य में कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसके अंतर्गत संसाधन प्रबंधन, तकनीकी विकास एवं व्यापक प्रसार उत्पादन वृद्धि के लिये प्रभावी अनुसंधान द्वारा देश के प्रगतिशील राज्यों के समकक्ष उत्तरोत्तर बढ़ती वृद्धि दर प्राप्त करना आदि विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर जैविक कृषि की रणनीति तैयार की गई है। मंडला, डिण्डोरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, झाबुआ, खरगोन, नीमच, मंदसौर, बुरहानपुर, बैतूल, सीहोर, अलीराजपुर, बड़वानी और दमोह जिलों में जैविक खेती की जा रही है।

संपूर्ण विश्व में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन के लिए तरह-तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान-प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है, साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। प्राचीनकाल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान-प्रदान का चक्र निरन्तर चलता रहा था। फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारत में प्राचीनकाल से कृषि के साथ-साथ गौ-पालन किया जाता है था। कृषि एवं गौ-पालन संयुक्त रूप से अत्याधिक लाभकारी व्यवसाय था, जो प्राणि-मात्र और वातावरण के लिए अत्यन्त उपयोगी था। बदलते परिवेश में गौ-पालन धीरे-धीरे कम हो गया तथा कृषि में तरह-तरह की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। फलस्वरूप जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वातावरण प्रदूषित होकर, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर, जैविक खादों एवं दवाइयों का उपयोग कर, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इससे भूमि, जल एवं वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। भारत में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का मुख्य आधार और कृषकों की मुख्य आय का साधन खेती है। हरित क्रांति के समय से बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आय की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। अधिक उत्पादन के लिये खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे सामान्य व छोटे कृषक के पास कम जोत में अत्याधिक लागत लग रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इन सभी समस्याओं से निपटने के लिये गत वर्षों से निरन्तर टिकाऊ खेती के सिद्धान्त पर खेती करने की सिफारिश की गई। इसे प्रदेश के कृषि विभाग ने बढ़ावा दिया, जिसे हम 'जैविक खेती' के नाम से जानते हैं। जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से काश्त लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल-धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है, पर्यावरण की दृष्टि से भूमि के जल-स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है।

जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। इस प्रकार जैविक खेती मृदा की उर्वरता एवं कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है इसके साथ ही कृषक को आय अधिक प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में भी जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में कृषक अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक समय में निरन्तर बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यन्त लाभदायक है।

**● ऊषा मीणा**

“कृषि रसायनों ने हमारी मिट्टी, पानी, हवा और सम्पूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। सबसे गंभीर प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर हुए हैं। कैंसर, हृदयरोग, नपुंसकता, गुर्दे, लिवर, आँखों, बालों, मस्तिष्क व आंतों में आने वाले विकारों की तह में इन कृषि रसायनों का बड़ा योगदान होता है। उपभोक्ताओं व किसानों की उम्र में 5 से 15 वर्ष तक कमी हो चुकी है। इन्हीं रसायनों व नए बीजों की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में व्यवसाय व हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है।”

# कैसे कटे, कृषि रसायनों का जाल?

हमारी आज की बाजार व्यवस्था में फसल के रंग-रूप और आकार को ही गुणवत्ता का आधार मानकर मूल्य निर्धारण किया जाता है। भुगतान वजन के आधार पर किया जाता है। चाहे वह फसल पर्यावरण व स्वास्थ्य की कीमत पर ही क्यों न उगाई गई हो। फसल के पोषणमान, स्वाद, टिकाऊपन तथा फसल के पीछे की सोच का फसल मूल्य से कोई संबंध नहीं रहा। आंखें देखती हैं सब्जी, अनाज, दाल या फल को, लेकिन उसमें उनका अपना नैसर्गिक पोषण, स्वाद व अन्य गुण नहीं होते। रसायन आधारित खेती से ऐसी ही फसलें हम पैदा कर रहे हैं। सिर्फ फसल उगाने के तरीके में फर्क करने से ही उसके पोषणमान में 100 गुना से भी ज्यादा अंतर आना संभव है। यानि कि 100 से भी ज्यादा टमाटरों से आपको जो पोषण नहीं मिल सकता वह सिर्फ 1 टमाटर से ही मिल सकता है। लेकिन ऐसी बातें कितने लोग जानते और सोचते हैं? आज तो चाहे उत्पादक हों, चाहे उपभोक्ता। सभी की सोच एक ही है पैसा-पैसा और सिर्फ पैसा। इसके अलावा कुछ और सोचने के लिए समय किसके पास है?

अधिकांश कृषक अधिक कमाई के लालच में जहरीली रासायनिक दवाईयों में उर्वरकों के उपयोगों के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। यही जहरीले रसायन फलों, सब्जियों, अनाजों, दालों, मसालों, खाद्य तेलों, दूध, अंडे, मांस, पानी आदि के साथ आपके शरीर में प्रवेश कर आपकी सेहत को तबाह करते हैं। उस गलती की सजा सभी पाते हैं, जो करते कुछ लोग हैं। कृषि रसायनों ने हमारी मिट्टी, पानी, हवा और सम्पूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। सबसे गंभीर प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर हुए हैं। कैंसर, हृदयरोग, नपुंसकता, गुर्दे, लिवर, आंखों, बालों, मस्तिष्क व आंतों में आने वाले विकारों की तह में इन कृषि रसायनों का बड़ा योगदान होता है। उपभाक्ताओं व किसानों की उम्र में 5 से 15 वर्ष तक कमी हो चुकी है। इन्हीं रसायनों व नए बीजों की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में व्यवसाय व हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है।

इन रसायनों व बीजों की वजह से कृषक कर्ज में डूब रहे हैं और आत्महत्या के लिए बाध्य हो रहे हैं। कृषि रसायनों और बीजों के व्यवसाय से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निगाहों में भारत की समृद्ध जैव विविधता खटक रही है। इसे समाप्त करने में वे काफी सफल भी रही हैं। एक बार यदि हमने अपने पारम्परिक बीज खो दिए तो हम हमेशा के लिए इन कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे। तब हमें हमेशा उनके द्वारा पेटेंट किए बीज उनके मनमाने दामों पर खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपने इन नापाक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व अधिक उपज, कीट रोधित, रोग रोधित, खरपतवारनाशी रसायन रोधिता का दावा करने वाले संकर बीज, जीन अंतरिक बीज तथा अगली पीढ़ी की अंकुरण क्षमता रहित टर्मिनेटर बीज भारतीय किसानों में प्रसारित कर रहे हैं। स्मरणीय है कि स्वपरागित फसलों में अल्प मात्रा में ही सही लेकिन परपरागण भी होता है। इस तरह इन

जीन अंतरित बीजों के परागकण हमारी स्थानीय वनस्पतियों के साथ गर्भाधान कर उनके अनुवांशिक गुणों को नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। पर्यावरण व जन स्वास्थ्य के लिए भी ऐसी किस्में गंभीर खतरा बन सकती हैं।

विश्व के अनेक भागों में हुए शोध कार्य से तथाकथित वरदान माने जाने वाले कृषि रसायनों के परिणाम सामने आ रहे हैं

**मानसिक क्षमता में कमी-** नार्थ डाकेटा यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 7 से 12 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर अध्ययन कर पाया है कि कृषि रसायनों का भरपूर प्रयोग करने



वाले फार्मों में तथा उनके समीप रहने वाले बच्चों का आई.क्यू. लेवल फार्म से दूर रहने वाले बच्चों की तुलना में काफी नीचा है। वृद्धों के भूलने की बीमारी अलजाइमर्स का संबंध भी कृषि रसायनों से जुड़ा पाया गया है। यानि ये रसायन मनुष्य की मानसिक क्षमता को भी कम कर रहे हैं।

**यौन अक्षमता -** डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि रासायनिक खाद, कीटनाशी फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी रसायनों के उपयोग के दौरान संपर्क में आने पर वे किसानों के आंख, नाक, त्वचा और होठों की कोशिकाओं के मार्फत शरीर में प्रवेश कर रक्त के साथ वीर्य में पहुँचकर उसकी पी.एच. कम करके उसे अम्लीय बना देते हैं तथा प्रति एम.एल. वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 7.5 करोड़ से घटकर 4.4 करोड़ रह जाती है। क्षतिग्रस्त शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। इन सब बातों से उनकी प्रजनन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

**अनुवांशिकता में हस्तक्षेप -** केरेबियन देशों में गन्ने की सघन खेती वाले क्षेत्रों में लड़कियों में 7 वर्ष की उम्र में ही माहवारी शुरू हो गई। पक्षियों के अंडों के छिलके इतने पतले हो गए कि वे असानी से फूट जाते थे। डी.डी.टी. से सेक्स में परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। यानि कि, ये रसायन हमारी अनुवांशिकता के वाहक क्रोमोजोम्स पर स्थित जीन्स की संरचना में भी अवांछित परिवर्तन करने में सक्षम हैं।

**घटती उम्र -** मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में सब्जियों की खेती में कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग करने वाले ग्राम बड़गांव माली में विगत कई वर्षों से कोई भी व्यक्ति साठ वर्ष की उम्र तक नहीं पहुँच पाया है। यहां 25 वर्षीय युवा 50 वर्ष के अधेड़ नजर आते हैं।

**भोजन से रोग -** चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूँ की फसल में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने से रोटी में भी उर्वरक अवशेष बढ़ते जा रहे हैं। लम्बे समय तक ऐसे गेहूँ के प्रयोग से हार्ट तथा लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं या लकवा भी हो सकता है।

**शरीर में रक्त के साथ बह रहे हैं कृषि रसायन भी -** पंजाब के भटिंडा और मुक्तसर जिलों के ग्रामीणों के रक्त के नमूनों की जांच करने पर सबसे खराब नमूनों में 13 तरह के कीटनाशक पाए गए।

**भोपाल गैस कांड -** सन् 1984 में बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के भोपाल स्थित कारखाने से रात्रि के समय लीक हुई मिथाइल आइसो सायनाइड गैस से 5 लाख 72 हजार लोग प्रभावित हुए। रिसाव के 25 साल बाद भी करीब एक लाख लोगों का लम्बा इलाज चल रहा है। प्रभावितों की दूसरी तथा तीसरी पीढ़ी में भी विकलांगता व अन्य जन्मजात विकृतियां पाई जा रही हैं। महिलाओं में प्रजनन संबंधी समस्याओं तथा कैंसर रोगियों की संख्या में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है।

**कृषि रसायनों की घटती क्षमता बढ़ती कीमतें -** सन् 1980 में एक किलो उर्वरक के प्रयोग से अनाज उत्पादन में 12-14 किलो की वृद्धि होती थी। सन् 2000 में यह वृद्धि 7 किलो रह गई थी और अब यह और तीव्र गति से घट रही है। किन्तु इनकी कीमतें उसी तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। इसी प्रकार अनेक कीटनाशी रसायन जो शुरुआती दौर में 30-40 रुपये प्रति लीटर मिलते थे, आज बाजार में 8500 रुपये प्रति लीटर कीमत के कीटनाशी रसायन उपलब्ध हैं। कीटों में प्रतिवर्ष नए-नए रसायनों के लिए प्रतिरोध क्षमता विकसित होती जा रही है। आखिर इस दुष्चक्र का अंत कहां जाकर होगा?

उपरोक्त उदाहरण इशारा कर रहे हैं कि गत आर्थिक वर्षों में सरकार ने कृषि में सिर्फ रासानिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक इकाईयों व आयातकों चाहे वे स्वदेशी हो या बहुराष्ट्रीय संगठन हो, को एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी है। ताकि कृषकों को उर्वरक कम दामों पर उपलब्ध हो सके। यह सहायता लगभग 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर होती है।

कीट, रोग, खरपतवार नाशी रसायनों के लिए दी अनुदान सहायता इसके अतिरिक्त है। क्या इस सकल राशि में से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत भाग कटौती करके जैविक कृषि में आगे आने वाले कृषकों को 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष मात्रा 3 वर्ष तक सहायता नहीं दी जा सकती है? प्रति वर्ष 10 प्रतिशत रकबा जैविक खेती में बदलकर 10 वर्ष में हम संपूर्ण भारत को एक कृषि रसायन मुक्त राष्ट्र में बदल सकते हैं, वह भी बगैर किसी अतिरिक्त लागत के तथा उत्पादन में किसी बड़ी गिरावट की आशंका को निर्मूल साबित करते हुए। इस तरह 12 वर्ष बाद हमें किसानों को उर्वरक अनुदान सहायता देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अन्यथा 12 वर्षों में यह राशि एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर हमें 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपये करना होगी। जो लगभग 20 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर होगी। तब प्रति हैक्टेयर, जो राशि हम अनुदान के रूप में देंगे क्या उतनी कीमत की फसल भी हमें मिल पाएगी?

● **कुंवर राजेन्द्र सिंह राठौर**

# गौ आधारित जैविक कृषि

कृषि एक ऐसा विषय है जिसमें हमारा संबंध प्रकृति के समस्त घटकों से होता है। इसमें हम भूमि, जल, वायु, वृक्ष पौधे, गाय व बैल, कीट संसार और भूमि में रहने वाले असंख्य सूक्ष्म जीव जंतुओं से सीधे जुड़े रहते हैं। इसी से हमें प्रकृति के सह-अस्तित्व की अवधारणा को समझने में आसानी होती है। वर्तमान में विकास के पश्चिमी मॉडल को अपनाकर हमारे अधिकांश कृषक प्रकृति के सह-अस्तित्व के सिद्धांत को भूल गये हैं एवं स्व-अस्तित्व को बनाये रखने के लक्ष्य में प्रकृति के अपने मित्र घटकों (जल, जंगल, जमीन, पशुधन आदि) को नष्ट करते जा रहे हैं। आज इसके गम्भीर परिणाम कृषक समाज को देखने पड़ रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अधिक उपयोग से एवं जीवांश खादों का उपयोग न करने से भूमि निर्जीव होती जा रही है। दिन प्रतिदिन पानी की कमी हो रही है एवं वातावरण में ऊष्णता बढ़ रही है। कृषि पद्धति पर्यावरण मित्र न होने से कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अधिकांश कृषक कर्ज के दुष्चक्र में उलझ गये हैं। कृषकों द्वारा हताश होकर आत्महत्या करने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं।

आज अगर हम अपना हित चाहते हैं, तो आवश्यकता है प्रकृति के विविध घटकों (जल, जंगल, जमीन, पशुधन आदि) के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करने की। कम लागत की पर्यावरण मित्र, स्वावलंबी कृषि पद्धति को अपनाने की। बिना गौवंश के टिकाऊ कृषि की कल्पना ही संभव नहीं है। प्राचीनकाल से ही यह कहा जाता रहा है कि "गौमये वसते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला" अर्थात गोबर में परम पवित्र सर्वमंगलमयी लक्ष्मीजी का निवास है। इसका अर्थ हमें यह समझना चाहिये कि जो कृषक, कृषि में गोबर व गौमूत्र का उपयोग करेंगे उनके यहां लक्ष्मीजी का वास रहेगा। यह बात सत्य भी साबित हो रही है। जब से हमारे कृषकों ने गोबर, गौ मूत्र का महत्व भूलकर रासायनिक कृषि को अपनाया है, तबसे हमारे कृषकों के यहां से लक्ष्मीजी रूठ गयी हैं। टिकाऊ कृषि तंत्र के विकास में गौवंश अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। हम विगत 12 वर्षों से मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र के अनेक कृषकों के साथ, जैविक कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रारंभ में हम जैविक कृषि के दार्शनिक पक्ष को महत्व देते थे, किन्तु यह समझ में आया कि अर्थ की दुनिया में अर्थ की भाषा ही समझ में आती है। हमने कृषकों को जैविक कृषि के दार्शनिक पक्ष के साथ, आर्थिक पक्ष भी समझाना प्रारंभ किया। विभिन्न फसलों में जैविक कृषि द्वारा शुद्ध लाभ गणना द्वारा कृषकों को जागरूक किया गया, परिणाम अत्यंत सार्थक हुआ।

**गौ आधारित जैविक कृषि के आर्थिक, तकनीकी एवं सामाजिक महत्व :**

**गौ आधारित जैविक कृषि से भूमि प्रबंधन :** हमने अपने अनुभवों में पाया कि रासायनिक कृषि पद्धति से भूमि के भौतिक गुणों में ह्रास हुआ है। भूमि कठोर होती जा रही है। रासायनिक कृषि को लेकर कृषकों का अनुभव यह कहता है कि खेत को तैयार करने के लिए अब पहले की तुलना में अधिक जुताई व बखरनी करनी पड़ती है। इसके विपरीत जैविक कृषि में जीवांश पदार्थ के कारण भूमि नरम बनती है। विभिन्न शोध कार्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि बैलों द्वारा तैयार किये एवं बोये गये खेतों की कृषि उत्पादकता अधिक होती है। ट्रेक्टर चलित भारी यंत्रों के उपयोग से भूमि में वायुसंचार, जल संरचरण कम होता है जिसका फसलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि

ट्रेक्टर धुआँ दे सकते हैं, गोबर, गौमूत्र नहीं। जैविक कृषकों का अनुभव यह कहता है कि खेत को कम जुताई में अच्छा तैयार किया जा सकता है। यदि एक से दो जुताई व बखरनी कम हुई तो प्रति एकड़ लगभग 350-700 रुपये की बचत हो सकती है।

**गौ आधारित जैविक कृषि से जल प्रबंधन** : रासायनिक कृषकों का अनुभव यह कहता है कि जिन खेतों में पूर्व में बतर या बराफ आने में 7-8 दिन लगते थे, वे खेत आज 2-3 दिन में ही बराफ/बतर में आ जाते हैं। रासायनिक खेती में फसलों में पानी अधिक लगता है। अधिक पानी से भूमि का पी.एच. मान बिगड़ रहा है जिसका फसलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कृषकों की बिजली पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। हमने अपने प्रक्षेत्र अनुभवों में पाया कि गौ आधारित जैविक कृषि में रासायनिक खेती की तुलना में 1-2 पानी कम लगता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि देश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में फसलों को प्रति एकड़ एक से दो पानी कम लगने पर जल और अर्थ की कितनी बचत हो सकती है? प्रति एकड़ एक पानी का खर्चा लगभग 400-500 रुपये आता है। (हमारे देश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 160 मिलियन एकड़ है)

**गौ आधारित जैविक कृषि से बीज तथा फसल व्यवस्थापन** : रासायनिक कृषि पद्धति में कृषकों को महंगे बीज खरीदने की आदत पड़ गयी है। संकर महंगे बीजों की तुलना में गौ आधारित जैविक कृषि पद्धति देशी सुधारित बीजों के विकास पर महत्व देती है। देशी सुधारित बीजों से उत्पादित फसलों की ऊँचाई अधिक होती है, जो पशुओं के चारा व्यवस्थापन में लाभप्रद है। देशी उन्नत फसलों में पानी भी कम लगता है। इसमें हर वर्ष बीज खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। कृषक चयन पद्धति द्वारा अपने खेत में स्वावलंबी बीज उत्पादन कर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आधुनिक कृषि पद्धति में कृषकों को एकल फसल पद्धति की आदत पड़ गयी है। ऐसे में मौसम की अनिश्चितता में उन्हें बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके विपरीत गौ आधारित जैविक कृषि पद्धति फसल विविधता, वानिकी, हार्टिकल्चर फसलों के समन्वयन पर आधारित है। इसमें कृषकों को मौसम की प्रतिकूलताओं में भी किसी न किसी फसल में आमदनी मिल जाती है। बीज को रोगरहित बनाने उसकी अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिये बीजामृत का उपयोग किया जाता है। बीजामृत बनाने के लिये गाय का ताजा गोबर (1 कि.ग्रा.) गोमूत्र (1 लीटर), दूध (100 मि.ली.), चूना (50 ग्राम), मुट्ठी भर जीवाणु मिट्टी (मेड़ की) को 10 लीटर पानी में मिलाकर मटके में दो दिनों तक रखते हैं। तत्पश्चात जिस दिन बोवनी करना हो उस दिन इस मिश्रण से बीजोपचार कर बीज को छायेदार स्थान में सुखाकर बोवनी करते हैं। म.प्र. के कई आदिवासी कृषक चने के बीज को छांछ से उपचारित कर बोते हैं। इन तकनीकों के लाभकारी परिणाम मिल रहे हैं।

**गौ आधारित जैविक कृषि से पौध पोषण व्यवस्थापन** : रासायनिक पोषण प्रणाली का अनुभव यह कहता है कि कृषकों को हर वर्ष रासयानिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। इसी प्रकार इन उर्वरकों के मूल्य में भी हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। इन उर्वरकों के परिवहन (देश/विदेश से) में हजारों व लाखों लीटर डीजल का उपयोग किया जा रहा है। उर्वरक उद्योग को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। एक बोरी डी.ए.पी. की सरकारी खरीद मूल्य में लगभग एक से डेढ़ ट्राली गोबर खाद आ सकती है, विचारणीय है। यदि ये सब्सिडी सीधे कृषकों को दी जाये तो गौ संवर्धन के कार्य को बढ़ावा देकर, खेतों को पर्याप्त जीवांश खाद दिया जा सकता है।

**जीवांश खाद :** जीवांश खाद भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचना सुधारते हैं। भूमि की जलधारण क्षमता एवं वायु संचार बढ़ाते हैं। गोबर गौमूत्र के उपयोग से फसलों के वनस्पतिक अवशेष, चारा इत्यादि को जल्दी विघटित कर उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद बनायी जाती है। जैविक पदार्थों के विघटन से काला पदार्थ बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, यह पौधों का सम्पूर्ण आहार है। रासायनिक पोषण प्रणाली में अधिकांश कृषक केवल दो या तीन तत्व ही फसल को देते हैं। पौधे की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास के लिये 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, इनकी आपूर्ति जीवांश खादों से ही संभव है।

**गोबर गैस प्लांट :** गोबर गैस प्लांट की स्थापना से कृषक परिवार को न सिर्फ धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है अपितु इससे प्राप्त स्लरी एक उन्नत जैविक खाद का काम करती है। गोबर गैस का निर्माण कर वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। गाय का ताजा गोबर (10 किलोग्राम) गौमूत्र (10 लीटर), गुड़ (आधा किलो) तथा किसी भी दाल का आटा (आधा किलो) इस मिश्रण को पुराने मटके में 5-8 दिनों तक रखते हैं। उन्नत जीवाणु कल्चर बनता है जिसे जीवामृत कहते हैं। इसे 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर एक एकड़ भूमि में उपयोग करते हैं। इसे सिंचाई जल के साथ भी दे सकते हैं। इसके उपयोग से फसलों की वृद्धि और विकास अच्छा होता है। मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र के अनेक कृषक इसका उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार एक मटका जीवामृत को 250 लीटर पानी में घोलकर सूती कपड़े से छान लिया जाता है। छने हुए पानी को फसलों पर छिड़कने से अच्छी वृद्धि व विकास होता है एवं अधिक फूल लगते हैं। यह एक अच्छा पौध वृद्धि कारक है। दक्षिण भारत में पंचगव्य (गोबर गोमूत्र, दूध, दही व घी के मिश्रण) का उपयोग फसलों में पौधे वृद्धिकारक के रूप में

किया जाता है। गाय के जनने के समय थैली का पानी (जार या एम्निऑटिक फ्लयूइड) अलग एकत्र कर रखते हैं।

**गाय का दूध :** गाय के दूध (3 प्रतिशत विलयन पानी में) का छिड़काव कई मिर्च उगाने वाले कृषक अधिक फलन हेतु करते हैं। ताजी छांछ व मट्ठा (3 प्रतिशत विलयन पानी में) के फसलों पर छिड़काव के अच्छे परिणाम मिले हैं। गोमाता में आकाशीय शक्तियों को आकर्षित करने की ताकत होती है, इसी के आधार पर जैवगतिकीय कृषि का जन्म हुआ है। प्राकृतिक रूप से मृत देशी गाय के सींग में गोबर तथा सिलिका के उपयोग से क्रमशः नुस्खा 500 तथा 501 का निर्माण किया जाता है। जैवगतिकीय खादों की अल्प मात्रा लगती है तथा इसके परिणाम भी उत्साहवर्धक हैं। केन्द्रीय उपोष्ण उद्यानिकी संस्थान द्वारा जैवगतिकीय खादों के लाभकारी परिणामों को शोध कार्यों द्वारा बतलाया गया है। देश के कई कृषकों द्वारा गाय के घी को कंडों पर चावल के साथ हवन कर कृषि पर्यावरण को शुद्ध कर, अग्निहोत्र कृषि पद्धति के माध्यम से फसलोत्पादन प्राप्त किया जा रहा है।

**गौ आधारित जैविक कृषि से कीट, रोग नियंत्रण :** प्रक्षेत्र अनुभव यह कहता है कि रासायनिक पद्धति से प्रति वर्ष कीट रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। कीटनाशक उद्योगों का व्यापार हर वर्ष बढ़ रहा है। कीट तो नहीं मर रहे अपितु किसान ही मर रहे हैं। हर वर्ष नये और नाना प्रकार के कीट व रोग कृषकों की समस्या बनते जा रहे हैं। सब्जियों, कपास, अंगूर आदि फसलों में किसान प्रति एकड़ हजारों रुपये का कीटनाशक, रोगनाशक उपयोग करते हैं। इसके विपरीत गौ आधारित जैविक कृषि पद्धति में गाँव में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर जैविक कीट व रोग प्रतिकर्षक बनाया जाता है। यदि किसान भाई निम्बोली काढ़ा, पंच पर्णाक, छांछ, गोमूत्र, मिर्च, लहसुन चटनी आदि कीट नियंत्रकों का उपयोग करें तो हमारे देश के हजारों करोड़ रुपये बच सकते हैं।

**गौमूत्र :** गौमूत्र में तैंतीस प्रकार के घटक होते हैं। इसमें उपस्थित मैंगनीज व कार्बोलिक एसिड फफूंदनाशक व कीट प्रजनन रोधक का कार्य करते हैं। गोमूत्र (4 लीटर) में निंबोली पावडर (2.5 किलोग्राम) को 10 लीटर पानी में मिलाकर तीन दिन के लिये गलाते हैं। तत्पश्चात मिश्रण को उबालकर आधा कर लेते हैं तथा छानकर अलग रख लेते हैं। इस छने हुए काढ़े के 3 प्रतिशत पानी में बने विलयन को फसलों पर छिड़कने से अच्छा कीट नियंत्रण होता है। इसी प्रकार पाँच प्रकार की पत्तियों नीम, सीताफल, अकाव, धतूरा व बेशरम (प्रत्येक आधा किलो) कुल 2.5 किलोग्राम पत्तियों को 4 लीटर गोमूत्र व 10 लीटर पानी में तीन दिन तक गलाते हैं। तत्पश्चात मिश्रण को उबालकर आधा कर लेते हैं इसे छानकर, छनित काढ़े के 3 प्रतिशत, पानी में बने विलयन को कपास आदि फसलों में छिड़कने पर अच्छा कीट नियंत्रण मिलता है। 20-25 दिन पुरानी छांछ/मट्ठा के 3 प्रतिशत, पानी में बने विलयन का छिड़काव फसलों पर करने से प्रभावी कीट नियंत्रण होता है।

**गौ आधारित जैविक कृषि से वैश्विक ऊष्णता :** रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन, परिवहन एवं उपयोग से, कृषि में ट्रेक्टर आदि बढ़ते यंत्रीकरण से ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को गंभीर श्रेणी की ग्रीन हाउस गैस माना गया है। कारखानों से खेत तक तथा खेत से थाली तक की श्रृंखला में ऊर्जा का अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है। वैश्विक ऊष्णता को कम करने में, स्वावलंबी गौ आधारित जैविक कृषि पद्धति महत्वपूर्ण घटक साबित होगी। मौसम परिवर्तन से कृषकों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

**गौ आधारित जैविक कृषि से मानव स्वास्थ्य :** पूर्व में एक कहावत प्रचलित थी जैसा होगा अन्न, वैसा ही होगा मन और वैसा ही होगा शरीर। रासायनिक पद्धति में उत्पादित विषैले अन्न, सब्जियों, फलों का वास्तव में मानव के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेमभाव कम होता जा रहा है वहीं दूसरी ओर बढ़ती बीमारियों से ग्रामीण परिवार परेशान हैं। वर्ष भर हर परिवार द्वारा लगभग 2 से 5 हजार रुपये का स्वास्थ्य पर खर्च होना आम बात हो गयी है। हमारा यह प्रबल विश्वास है कि जैविक कृषि पद्धति से उत्पादित शुद्ध अनाज, सब्जी, फलों का सेवन करने से देश के लाखों करोड़ों रुपये (स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च) की बचत की जा सकती है। जैविक कृषि पद्धति से सामाजिक समरसता बढ़ाकर अप्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास में सहभागी बना जा सकता है।

**● अजीत केलकर, रवि केलकर**

# जैविक कृषि से स्वावलम्बन

**नर्मदा क्षेत्र में बड़वानी जिले के निवाली विकासखण्ड के ग्राम तालाव में जन्मी मुन्नी बेन जाधव ने अपने विकास की गाथा स्वयं लिखी है। आदिवासी परिवार में, विपन्न परिस्थितियों में लालन-पालन हुआ, विवाह उपरान्त पति की शीघ्र मृत्यु ने घोर विपत्तियाँ खड़ी कर दीं। मुन्नी बेन ने बिना विचलित हुए परिस्थिति का सामना किया ढाई वर्ष के बड़े व सात माह के छोटे बेटे को साथ लेकर पिता के घर आयीं और कार्य में जुट गयीं। ग्रामीण क्षेत्र और परिवेश में विकास के लिये मुन्नी बेन ने जैविक कृषि के प्रकल्प को चुना। तमाम विरोधों और विसंगतियों को पाटते हुए सतत कार्य कर आगे बढ़ीं। आज वे अपने क्षेत्र की सशक्त महिला उद्यमी हैं। प्रस्तुत है अद्‌भुत, अनूठे व्यक्तित्व वाली मुन्नी बेन से हुई बातचीत -**

***प्रश्न*** ***आपको कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिली?***

उत्तर मेरी शिक्षा कस्तूरबा आश्रम निवाली में हुई वहां मेरी भेंट कांता बेन त्यागी से हुई। उनसे प्रेरणा पाकर मैंने सोच लिया कि अब मैं समाज सेवा का कार्य करूंगी। मैंने 10वीं पास की और वनवासी समाज में जन-जागृति के कार्य से जुड़ गयी जिसमें महिलाओं का प्राथमिक उपचार, शिक्षा को प्रोत्साहन, महिलाओं के अधिकार, बेटियों को लेकर जागृत करने का प्रयास किया। यह कार्य मैंने निवाली, पानसेमल और सेंधवा विकासखण्ड में किया।

***प्रश्न*** ***आपने जैविक कृषि का कार्य कैसे शुरू किया ?***

उत्तर मेरा 1994 में विवाह हुआ और दुर्भाग्यवश सन् 2000 में पति की मृत्यु हो गयी। मैं पिताजी के पास वापस आ गयी। गांव में आकर मुझे जैविक खेती और गौसंवर्धन पर कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई। सर्वप्रथम मैंने गौपालन, गौसंवर्धन, जैविक कृषि अनुसंधान केन्द्र देवलापार नागपुर, अखिल भारतीय जैविक प्रशिक्षण केन्द्र करंजो रांची, गौ पालन गौसंवर्धन अनुसंधान केन्द्र रायपुर, (छत्तीसगढ़) कृषि विज्ञान केन्द्र बड़वानी आदि से प्रशिक्षण प्राप्त किया। रांची से 250 ग्राम केंचुआ का बीज लेकर आयी। सर्वप्रथम एक पाव केंचुए डालकर पिट बनाया। मात्र आधा एकड़ जमीन से जैविक खेती शुरू की, साथ ही गौमूत्र से बने कीटनाशक भी डाले।

***प्रश्न*** ***क्या इस कार्य को करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा ?***

उत्तर शुरुआत में जब मैंने जैविक पिट बनाया तो गाँव के लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं जैविक खेती को लेकर बात करती अथवा समझाती तो लोग उठकर चले जाते कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लोगों से लगातार बात भी करती और अपना काम भी करती। मेरे लिये चुनौतीपूर्ण कार्य था बनाए गए जैविक पिट को बचाना। मैं चुपके से सुबह चार बजे उठती सिर पर रखकर दूर से पानी लेकर आती और पिट में डालती। लोगों को कभी इस बात का पता ही नहीं चला कि मैंने इसमें पानी डाला। इस तरह मैंने अपने पिट के केंचुओं को जिन्दा रखा।

***प्रश्न*** ***वर्तमान में आपका कार्य कहाँ तक पहुँचा?***

उत्तर वर्तमान में 22 पिट (नाडेप) के द्वारा जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। कृषि विभाग के समन्वय से अब तक 2000 महिलाओं व लगभग 3000 किसानों को प्रशिक्षण व जैविक खाद बिक्री के साथ गौ मूत्र तथा गोबर से कीटनाशक निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया है।

***प्रश्न*** ***आप इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए महिलाओं को यथोचित मानती हैं ?***

उत्तर यह क्षेत्र महिलाओं के लिए उपयुक्त है क्योंकि गाँव में महिलाएँ ही गाय की सेवा करती हैं। यदि महिलाओं को प्रेरित कर यह कार्य सौंपा जाए तो वे इसे बेहतर ढंग से कर सकती हैं। मैं पाठकों विशेषकर महिलाओं को कहना चाहूंगी कि रसायन को नकारें, अपनी जमीन को प्रदूषण से बचाएँ। जैविक खेती से उत्पन्न अनाज, सब्जी, फल आदि का स्वाद भी अच्छा होता है और वे पौष्टिक भी होते हैं। वे इसे अपनाकर स्वावलम्बी बनें। यदि हरेक ने गौसंवर्धन किया, गौ मूत्र, गौ उत्पादन, जैविक खाद के महत्व को जाना तो देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, गौधन बचेगा तो देश सम्पन्न होगा।

**प्रश्न** **जब आपने खेत में खाद डाला तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई?**

उत्तर जब मैंने खेत में खाद डाला तो हमारे खेत के आसपास के किसान पिताजी को कहते थे, 'ये पागल हो गयी है। स्वांग करती है' केंचुआ खाद क्या धरती को बचाएगा और क्या अनाज उपजाएगा, हमें तो इसके केंचुआ खाद से किसान सम्पन्न होने की बात जरा नहीं जचती है। इसे समझाओ और इसका दिमाग ठीक करो। इस तरह मुझे पागल कहा, मेरी खिल्ली उड़ाई पर मैंने अपना काम नहीं छोड़ा और खेत में रसायन नहीं डालने दिया। मात्र जैविक खाद ही डाला।

***प्रश्न*** ***जब आपके यहां अच्छी फसल का उत्पादन हुआ फिर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी?***

उत्तर जब हमारे यहां आधा एकड़ में 12 क्विंटल गेहूं उपजा तो लोगों का ध्यान गया। बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे से लेकर सारे गांव में पहुंच गयी और फिर वही लोग जिन्होंने खिल्ली उड़ाई थी मेरे पास मार्गदर्शन के लिए आये। मेरी उम्मीद जागी, आत्मविश्वास बढ़ा, मैंने उन्हें पूरी जानकारी दी। अपने केंचुआ खाद के बीज दिये। खाद बनाना सिखाया और फसल में डालने तक पूरा ध्यान दिया। इससे उन सभी किसानों के यहां अच्छी फसल हुई और वे लोग जैविक खेती करने लगे।

**● नवीन शर्मा**

## जैविक कृषि :

# विश्व को भारत की देन

**जैविक खेती अवधारणा :** विश्व को जैविक खेती भारत देश की देन है। जब भी जैविक खेती का इतिहास टटोला जायेगा, भारत व चीन इसके मूल में होंगे। इन दोनों देशों की कृषि परंपरा 4000 वर्ष पुरानी है तथा यहां के किसान चार सहस्त्राब्दि के कृषि ज्ञान से परिपूर्ण हैं और जैविक खेती ही उन्हें इतने वर्षों तक पालती पोसती रही है। जैविक खेती प्रमुखतया निम्न सिद्धांतों पर आधारित है।

- पूरी विधा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के सामंजस्य व उनके एक-दूसरे पर आधारित होने के कारण इससे न तो मृदा जनित तत्वों का दोहन होता है और न ही मृदा की उर्वरता का ह्रास होता है।
- पूरी प्रक्रिया में मिट्टी एक जीवंत अंश है।
- मृदा में रहने वाले सभी जीव रूप इसकी उर्वरता के प्रमुख अंग हैं और सतत् उर्वरता संरक्षण में योगदान करते हैं। अतः इनकी सुरक्षा व पोषण किसी भी कीमत पर आवश्यक है।
- पूरी प्रक्रिया में मृदा पर्यावरण संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है।

**जैविक खेती स्वरूप :** अनेक विकल्पों से भरपूर विश्व में बहुत से किसानों एवं उपभोक्ताओं के लिए जैविक खेती एक बेहतर विकल्प है। उत्पादन तथा पर्यावरण में सुधार के लिए आवश्यक है कि जैविक खेती में विज्ञान का समावेश हो तथा इसके सभी पहलुओं का वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर मूल्यांकन किया जाये। जैविक खेती जिन चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रही है उसके कुछ कारण स्थान व देश विशिष्ट हैं और कुछ आयाम पूरे विश्व में जैविक किसान व जैविक आंदोलन दोनों को प्रभावित कर नई दिशा दे रहे हैं।

**जैविक अवधारणा के बदलते स्वरूप :** लगभग एक शताब्दी की विकास यात्रा के बाद जैविक खेती अब कृषि की मुख्यधारा से जुड़ रही है तथा सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक व पर्यावरणीय दृष्टि से

> **विश्व खाद्य संगठन के अनुसार 'जैविक खेती एक ऐसी अनूठी कृषि प्रबंधन प्रक्रिया है जो कृषि वातावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, जैविक चक्र तथा मिट्टी की जैविक प्रणालियों का संरक्षण व पोषण करते हुए उत्पादन सुनिश्चित करती है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संश्लेषित तथा रासायनिक आदानों के उपयोग के लिये कोई स्थान नहीं है।'**

बहुउपयोगी साबित हो रही है। हालांकि प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अनेक रूप विकसित हुए हैं परंतु आधुनिक जैविक खेती आंदोलन जैविक खेती के पूर्व स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है और स्वस्थ मृदा, स्वस्थ खाद्य तथा स्वस्थ समाज के अतिरिक्त पर्यावरणीय टिकाऊपन तथा उत्तरोत्तर बढ़ता उत्पादन आज के प्रमुख विकास पहलू हैं। वर्ष 1970 के दशक में इसके पुनर्जन्म से लेकर आज तक इस आंदोलन में कई आयाम तय किये हैं जिसमें विविधता, पर्यावरण से जुड़ी प्रक्रिया तथा संस्थागत क्षमता का विकास प्रमुख है। वर्ष 1972 में आइफोम की स्थापना से आंदोलन को बहुत बल मिला तथा उसके विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र की शुरुआत हुई। 1990 के दशक में जैविक खेती विकास अपने उच्चतम स्तर पर था।

### प्रमुख बिंदु

- स्थानीय प्राकृतिक साधनों का उपयुक्त प्रयोग।
- सूर्य प्रकाश तथा विभिन्न जैव रूपों की जैविक क्षमता का प्रभावी उपयोग।
- मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण।
- जैव अंश तथा पौध पोषणों का पुनः चक्रीय रूप में प्रयोग।
- प्रकृति के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आदान जैसे रसायन तथा परिवर्तित जैव स्वरूपों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
- जैव विविधता का संरक्षण तथा उसका उत्तरोत्तर विकास
- सभी जीवों तथा पशुओं के साथ आदर व समता का भाव।

जैविक खेती टिकाऊ तथा उत्पादन क्षम होने के साथ-साथ छोटे किसानों के लिये बहुत लाभकारी है। अनेक परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत जैसे छोटे खेतिहर किसानों के लिये जैविक खेती सबसे उत्तम व लाभकारी प्रक्रिया है। जैविक खेती खाद्यान्न सुरक्षा के साथ निम्न विशेषताओं सहित गरीबी उन्मूलन में भी सहायक है।

- कम उत्पादन तथा निम्न आदान प्रयोग क्षेत्रों में अधिक उत्पादन सुनिश्चित करती है।
- खेतों व उनके आस-पास जैव विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- उत्पादन लागत में कमी कर, लाभ बढ़ाना।
- अनेक प्रकार के स्वस्थ भोजन पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना।
- पूरी कृषि प्रक्रिया को दीर्घकालीन टिकाऊ रूप देना।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा भारत और चीन में किये गये अध्ययनों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि जैविक खेती अपनाने से किसानों की आय में काफी बढ़ोत्तरी होती है। पूरी प्रक्रिया का प्रमाणीकरण जैविक उत्पाद का स्तर बढ़ा सकता है जिससे बाजार में अच्छे उत्पाद प्राप्त किये जा सकते हैं।

# जैविक कृषि वैश्विक परिदृश्य

न्यूरेमबर्ग में बायोफाख 2010 में प्रकाशित हुई जानकारी के आधार पर जैविक खेती द्रुत गति से बढ़ रही है तथा विश्व के 154 देशों की सांख्यिकी जानकारी उपलब्ध है।

अनेक देशों में जैविक खेती के अंतर्गत भूमि का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रमाणीकृत जैविक खेती को आधार बनाकर किये गये वर्तमान वैश्विक सर्वेक्षण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

**प्रमाणीकृत खेती वाले क्षेत्र :**

1.4 करोड़ जैविक उत्पादकों द्वारा लगभग 3.5 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक प्रबंधन द्वारा खेती की जा रही है। विश्व में सर्वाधिक जैविक प्रबंधन वाले कृषि ओसेनिया (1.21 करोड़ हैक्टेयर) यूरोप (0.82 करोड़ हैक्टेयर) महाद्वीपों में है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेन्टीना एवं चीन विश्व में सर्वाधिक जैविक खेती वाले देश हैं। कुल कृषि क्षेत्र के सापेक्ष जैविक प्रबंधन के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि फाक्लैण्ड द्वीप, (36.9 प्रतिशत), लिचटैन्स्टीन (29.8 प्रतिशत) एवं ऑस्ट्रिया (15.9 प्रतिशत) देशों में है। सर्वाधिक जैविक उत्पादकों के मामले में प्रमुख हैं भारत (5,97,000), युगाण्डा (1,80,000 उत्पादक) तथा मैक्सिको (1,30,000)। पूरे विश्व के कुल जैविक उत्पादकों में से एक तिहाई से ज्यादा जैविक किसान अफ्रीका महाद्वीप में हैं। वर्ष 2007 के मुकाबले अब लगभग 30 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि जैविक प्रबंधन के अधीन लाई है। पूर्व वर्ष के मुकाबले यह वृद्धि 9 प्रतिशत रही।

अर्जेन्टीना में सुदृढ़ विकास से अकेले लैटिन अमेरिका महाद्वीप में जैविक खेती क्षेत्र में 26 प्रतिशत की दर से विकास आंका गया है। यूरोप में लगभग 5 लाख हैक्टेयर तथा एशिया में लगभग 4 लाख हैक्टैयर क्षेत्र को जैविक कृषि के अंतर्गत लाया गया है। विश्व के एक तिहाई (12 मिलियन हैक्टेयर) भाग विकसित देशों में है तथा लैटिन अमेरिका सर्वाधिक क्षेत्र के साथ प्रथम स्थान पर है, एशिया एवं अफ्रीका क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। अर्जेन्टीना, ब्राजील व चीन सर्वाधिक जैविक कृषि क्षेत्र वाले देश हैं। 3.1 करोड़ हैक्टेयर जैविक भूमि क्षेत्र वनीय उत्पाद संग्रहण एवं प्राकृतिक मधुमक्खी पालन हेतु प्रयोग किया जा रहा है जिसका अधिकांश भाग विकसित देशों में है। कृषि योग्य जैविक खेती का दो तिहाई हिस्सा विकसित देशों में है। अन्य जैविक क्षेत्रों में एक्वाकल्चर (मछलीपालन आदि) क्षेत्र (4.3 लाख हैक्टेयर), जंगल (10 हैक्टेयर) तथा गैर कृषि चारागाह क्षेत्र (3.2 लाख हैक्टेयर) प्रमुख हैं। लगभग दो तिहाई जैविक भूमि (2.2 हैक्टेयर) में घास (चारे) के लिए उगाई जा रही है। 82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलें व बागवानी पौधे लगाये जा रहे हैं। फसलोत्पादन क्षेत्र कुल जैविक प्रबंधन क्षेत्र का लगभग एक चौथाई है।

## जैविक व पारंपरिक खेती तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

हालांकि जैविक खेती का प्रमुख उद्देश्य उस विधा के विकास से है जो प्राकृतिक परिवेश में टिकाऊ व उत्पादनक्षम हो परंतु यह अभी अपनी उस मंजिल से दूर है। रास्ते की बाधाओं को अभी पार किया जाना बाकी है। ऐसी ही एक बाधा जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है वह है कि 'क्या जैविक खेती विश्व का पोषण कर सकती है।' इसका सही उत्तर है कि 'क्या पारंपरिक कृषि सफलतापूर्वक विश्व का पोषण कर पा रही है।' पारंपरिक कृषि उत्पादनशील होने के बावजूद भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पायी है। इसका प्रमुख कारण उत्पादन न होकर खाद्य का ठीक से वितरण न हो पाना, सामाजिक ढांचा, गरीबी और असमानता प्रमुख हैं। पिछले कई वर्षों से वैज्ञानिक इन दो विधाओं के तुलनात्मक अध्ययन में लगे हैं। इन अध्ययनों में उत्पादन क्षमता, आर्थिक लाभ, संसाधन प्रयोग क्षमता, पर्यावरणीय प्रभाव तथा सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर दिया गया है। अनेक परीक्षणों द्वारा अब यह स्थापित हो चुका है कि जैविक खेती टिकाऊ होने के साथ-साथ उत्पादनक्षम भी है। ऐसे अनेक परीक्षणों के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नानुसार हैं :-

- जैविक प्रणाली द्वारा भी पारंपरिक के समकक्ष उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। परंतु इसके लिए लम्बी अवधि की योजना व नीति की आवश्यकता होगी।
- रूपान्तरण अवधि में उत्पादन में जो कमी आती है वह धीरे-धीरे कम होकर 3-4 वर्ष में समाप्त हो जाती है।
- जैविक फार्मों की मृदा जैविक क्रियाओं से भरपूर तथा विविधता से परिपूर्ण होती है।
- खरपतवार प्रबंधन तथा नाशीजीव प्रबंधन की कुछ फसलों में अभी भी समस्याएं हैं और उनका हल निकाला जाना शेष है।
- जैविक कृषि से मृदा, पर्यावरण तथा खाद्य किसी में भी रासायनिक संदूषण की संभावना नहीं है।

**जैविक कृषि प्रक्रिया का उद्देश्य :** स्थानीय तथा पुनर्जननीय संसाधनों पर आधारित, उपलब्ध जैविक तंत्र तथा सूर्य प्रकाश का भरपूर प्रयोग, मृदा की उर्वरता को बनाये रखना, जैव अवशेषों के पुनः प्रयोग से पोषण प्रबंधन तथा मृदा उर्वरा नियंत्रण, मानव निर्मित कृत्रिम उपादान, जीव, रसायन इत्यादि के प्रयोग पर प्रतिबंध, उत्पादन प्रक्रिया और आस-पास के वातावरण में जैव विविधता का संरक्षण तथा सभी जीवों व पशुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में पलने देना।

# भारत में जैविक कृषि के आयाम

**जैविक खेती का प्रवेश -** भारत में जैविक खेती के विकास के तीन आयाम हैं और विभिन्न वर्ग के किसानों ने अलग-अलग कारणों से जैविक खेती को अपनाया है। इसमें पहला वर्ग वह है जो ऐसे क्षेत्रों में बसा है जहां परम्परागत तरीके से बिना किसी निवेश या बहुत कम निवेश के खेती की जाती है, हो सकता है कि स्रोतों और उत्तम तकनीक की कमी के कारण ऐसी खेती करने के लिये वे बाध्य या विवश हो। दूसरा वर्ग वह है जिन्होंने पारंपरिक रसायन आधारित कृषि के प्रतिकूल प्रभावों, चाहे वह मृद्रा की घटती उर्वरा शक्ति हो, खेती में आने वाली अधिकतक लागत हो या लागत के बाद अनुमान के अनुसार प्रतिफल न मिल पाना हो के कारण हाल ही में जैविक खेती को अपनाया। तीसरा वर्ग वह है जिन्होंने इसके व्यवसायिक पहलू को समझा तथा बढ़ती बाजार मांग तथा संभावित अधिक कीमत के कारण इसे अपनाया। अतः पहला वर्ग परंपरागत तरीके से खेती करने वाला है और अप्रमाणित है, दूसरे वर्ग में प्रमाणित एवं अप्रमाणित दोनों प्रकार के कृषक हैं एवं तीसरा वर्ग अधिकांशतः प्रमाणित है। यह तीसरा वर्ग जो व्यापारिक दृष्टिकोण रखते हुए संगठित रूप से जैविक खेती कर रहा है प्रमुख रूप से आकर्षण का केन्द्र है तथा आज प्रमाणीकृत जैविक खेती के जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं वे इसी वर्ग के किसानों से संबंधित हैं।

**नियामक तंत्र रचना -** निर्यात, आयात व स्थानीय बाजार में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया की स्थापना की गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली है। इसे राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह कार्यक्रम विदेश व्यापार विकास एवं नियमन अधिनियम के तहत निर्यात आवश्यकता को नियंत्रित करने के लिए चलाया जा रहा है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को यूरोपियन संघ एवं स्वीडन द्वारा समतुल्यता प्रदान की गई है। अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की मूल्यांकन प्रणाली को अनुमोदित किया गया है। इसके कारण राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन भारत की किसी भी अधिकृत प्रमाणीकरण संस्था के प्रमाणीकरण के आधार पर जैविक उत्पादों को पुनः प्रमाणीकरण की शर्त के बिना यूरोप, स्वीडन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जा सकता है। कृषि उत्पाद श्रेणी, चिन्हीकरण एवं प्रमाणीकरण अधिनियम (ए.पी.जी.एम.सी.) के अंतर्गत आयात एवं घरेलू बाजार हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया है। एपीडा संस्था वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एफ.टी.डी.आर. अधिनियम के तहत निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का नियंत्रण करती है एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ए.एम.ए. (कृषि वाणिज्य सलाहकार) द्वारा ए.पी.जी.एम.सी. अधिनियम के तहत अंतर्देशीय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।



राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन समिति द्वारा प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण संस्थाओं का प्रत्यायन किया जाता है। वर्तमान में प्रमाणीकरण हेतु 20 प्रमाणीकरण संस्थाएं अधिकृत की गई हैं। इसमें से 6 संस्थाएं शासकीय एवं 14 संस्थाएं निजी प्रबंधन के अंतर्गत कार्यरत हैं।

**कृषकों एवं संचालकों की बढ़ती संख्या -** प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अधीन पंजीकृत 2099 संचालकों में 427 खाद्य प्रसंस्कर्ता हैं, 753 व्यक्तिगत किसान हैं। लगभग 5.97 लाख छोटे व मझोले किसान 919 समूह रूप में पंजीकृत हैं। लघु व सीमांत किसानों की अधिकता के कारण विश्व के कुल जैविक उत्पादकों में से अकेले भारत में लगभग आधे उत्पादक हैं।

**भारतीय जैविक कृषि की प्रमुख विशेषताएं -**

पिछले कुछ वर्षों में हुई अभूतपूर्व प्रगति से जहां न केवल जैविक कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है बल्कि जैविक उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ी है।

विश्व में कुछ जैविक फसलीय क्षेत्र एवं वनीय क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2008-09 में 77000 टन जैविक कपास उत्पादन के साथ भारत सर्वाधिक कपास उत्पादक देश बन गया है तथा कुल वैश्विक जैविक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है।

## जैविक प्रमाणीकरण

# उत्पादों की गारंटी

**उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु पर जैविक लेबल लग जाने से उसकी बिक्री सुगम हो जाती है। प्रमाणीकरण का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता को जैविक लेबल के दुरुप्रयोग से बचाकर शुद्ध जैविक उत्पादों की बिक्री सुगम करना है। अनेक उत्पादों में प्रमाणीकरण के बावजूद जैविक विवरण दिया जाना भी आवश्यक है। जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में जैविक खाद्य उत्पादकों, प्रसंस्करण इकाइयों तथा जैविक कृषि उत्पादन क्रियाकलापों का एक निश्चित कार्यक्रम के तहत निश्चित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर उत्पाद का प्रमाणीकरण किया जाता है।**

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में जैविक खाद्य उत्पादकों, प्रसंस्करण इकाइयों तथा जैविक कृषि उत्पादन क्रियाकलापों का एक निश्चित कार्यक्रम के तहत निश्चित मानकों की अनुपालन सुनिश्चित कर उत्पाद का प्रमाणीकरण किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी व्यवसाय जो जैविक खाद्य उत्पादन व उसके विपणन, खाद्य प्रसंस्करण, खुदारा बिक्री तथा होटल इत्यादि। विभिन्न देशों में इस कार्यक्रम की अलग-अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं परंतु सामान्यतया फसल उत्पादन भंडारण प्रसंस्करण पैकेजिंग तथा परिवहन इसके प्रमुख अंग हैं और प्रक्रिया की प्रमुख आवश्यकताएं हैं :

1. संश्लेषित रसायनों जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशी, प्रतिजैविक तथा खाद्य योजक इत्यादि तथा परिवर्तित अनुवांशिकी जीवों के प्रयोग का निषेध।
2. रसायन व रसायन अवशेषमुक्त खेतों का प्रयोग जहां कई वर्षों से किसी भी रसायन का प्रयोग न किया हो।
3. उत्पादन व विपणन प्रक्रिया का विस्तृत प्रलेखन।
4. जैविक उत्पाद व जैविक प्रक्रिया को अजैविक उत्पादन व प्रक्रिया से बिल्कुल अलग कर रखना।
5. समय-समय पर उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण।

कुछ देशों में पूरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरकार द्वारा चलाई जाती है और 'जैविक' शब्द का प्रयोग कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन नियंत्रित है। जैविक प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त सभी प्रमाणीकृत उत्पादों को सामान्य खाद्य सुरक्षा कानून तथा अन्य ऐसे वांछित नियमन प्रक्रियाओं जो अप्रमाणीकृत उत्पादों के लिए आवश्यक है का भी पूर्ण रूप से अनुपालन जरूरी है।

**प्रमाणीकरण प्रक्रिया :** किसी भी फार्म या खेत को प्रमाणीकृत करने के लिए साधारण कृषि कलापों के अतिरिक्त अनेक प्रकार की विशिष्ट प्रक्रियाओं को लागू करना होता है। इनमें प्रमुख है :

**नियम :** उत्पादन, भंडारण, परिवहन तथा बिक्री में जैविक मानकों की अनुपालन प्रक्रिया तथा क्या प्रयोग करना है तथा क्या नहीं, पूर्ण जानकारी।

**परिवर्तन :** सभी उत्पादन प्रक्रियाओं उपादानों, संसाधनों व सुविधाओं को जैविक मानकों के अनुरूप ढालना और यदि आवश्यकता हो तो उनमें बदलाव करना।

**प्रलेखन :** सभी क्रियाकलापों व प्रक्रियाओं का विस्तृत लेखन इसमें पूर्व प्रक्रियाओं व प्रयुक्त उपादानों इतिहास, वर्तमान प्रक्रियाएं व उपादान तथा मिट्टी व जल की जांच रिपोर्ट इत्यादि का भी समावेश आवश्यक है।

**योजना :** प्रत्येक उत्पादन इकाई को एक वार्षिक योजना, जिसमें वर्ष भर किये जाने वाले क्रिया-कलापों की योजना व जानकारी होती है (जैसे बीज, खाद, जुताई, सिंचाई, उपादान क्रय, नाशी जीव नियंत्रण व बिक्री इत्यादि) बनाकर उसे प्रमाणीकरण संस्था से स्वीकृत करना होता है।

**निरीक्षण :** पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए कम से कम एक वार्षिक निरीक्षण आवश्यक है जिसमें सभी उत्पादन इकाइयों का भौतिक निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच तथा मौखिक साक्षात्कार प्रमुख रूप से किया जाता है। निरीक्षण पूर्व - योजनानुसार या अचानक किया जा सकता है।

**प्रमाणीकरण शुल्क :** उत्पादक को अपनी उत्पादन इकाई का निरीक्षण कराने, प्रमाणीकरण प्राप्त करने तथा प्रमाणीकरण चिन्ह के प्रयोग की अनुमति हेतु प्रमाणीकरण शुल्क देना होता है।

प्रमाणीकरण प्रक्रिया की शुरुआत में यह सुनिश्चित किया जाता है कि मिट्टी में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रसायनों का अवशेष न

हो। इस अवधि को रूपांतरण अवधि या बदलाव समय कहते हैं। ऐसे खेत जहां पूर्व में किसी भी प्रतिबंधित रसायन का प्रयोग न किया गया हो तुरंत जैविक में परिवर्तित माना जा सकता है।

खेतों के अलावा अन्य कार्यक्रम जैसे भंडारण, प्रसंस्करण इत्यादि का भी प्रमाणीकरण ऐसी ही प्रक्रिया अपना कर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में योजकों व परिरक्षी उपादानों का प्रयोग, भंडारण सुरक्षा उपाय, रखरखाव के तरीके, यंत्रों व मशीनों का रसायनमुक्त होना, जैविक उत्पादों व प्रक्रिया का अजैविक उत्पाद व प्रक्रिया से अलगाव तथा परिवहन की अवस्था की जांच प्रमुख है।

**उत्पाद पर प्रमाणीकरण चिन्ह लगाना :** आज के उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु पर जैविक लेबल लग जाने से उसकी बिक्री सुगम हो जाती है। प्रमाणीकरण का प्रमुख उद्देश्य उपभोक्ता को जैविक लेबल के दुरुप्रयोग से बचाकर शुद्ध जैविक उत्पादों की बिक्री सुगम करना है। अनेक उत्पादों में प्रमाणीकरण के बावजूद जैविक विवरण दिया जाना भी आवश्यक है। अधिकांश देशों में जैविक नियम निम्न तीन स्तर के जैविक उत्पाद परिभाषित करते हैं।

- पूर्ण जैविक ऐसे उत्पाद जिनका 100% भाग प्रमाणीकृत जैविक घटकों से बना हो।
- पूर्ण जैविक ऐसे प्रसंस्कृत उत्पाद जिनमें 95% प्रमाणीकरण जैविक घटकों का प्रयोग किया गया हो।
- जैविक घटकों से निर्मित ऐसे प्रसंस्कृति उत्पाद जिनमें 70% से अधिक जैविक घटकों का प्रयोग किया गया हो।

ऐसे उत्पाद जिनमें जैविक घटक अंश 70% से कम हो जैविक के रूप में नहीं बेचे जा सकते। इन परिस्थितियों में उत्पादक पैकेट पर कौन सा जैविक घटक कितनी मात्रा में प्रयोग किया है का विवरण तो दे सकते हैं पर जैविक लेबल नहीं लगा सकते। प्रमाणीकृत जैविक उत्पादों पर जैविक लेबल के साथ-साथ प्रमाणीकरण संस्था का लोगो या चिन्ह लगाया जा सकता है।

# विश्व स्तर पर प्रमाणीकरण परिदृश्य

अनेक देशों में जैविक मानकों का निर्धारण और उनका प्रचलन सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान में 'जैविक' शब्द कानूनी रूप से सुरक्षित है तथा केवल राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणीकृत उत्पादों पर ही प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे देशों में जहां जैविक नियमाधीन नहीं है वहां किसी किसी देश में तो दिशा-निर्देश है परंतु कुछ देशों में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं। इन देशों में प्रमाणीकरण का कार्य गैर सरकारी या निजी संस्थाओं द्वारा उनके अपने कार्यक्रमों व मानकों के अंतर्गत किया जाता है। यूरोपीय संघ के सभी देश यूरोपीय संघ द्वारा जारी नियमों (EC No. 843/2007) व मानकों के अधीन प्रमाणीकरण का कार्य करते हैं।

ब्रिटेन में अनेक संस्थाए यू.के. रजिस्टर ऑफ आर्गेनिक फूड स्टेंडर्ड के नियमों के अधीन कार्य करती हैं। ये नियम यूरोपीय संघ के नियम की पूर्ण अनुपालना में बनाये गये हैं। स्वीडन में एक निजी संस्था के.आर.वी.एस. प्रमाणीकरण नियंत्रण का कार्य करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'जैविक' शब्द का प्रयोग नियंत्रित है और केवल प्रमाणीकृत जैविक पदार्थों पर ही लगाया जा सकता है। (एक वर्ष में 5000 डॉलर से कम उत्पादन करने वाले किसान इस नियंत्रण से मुक्त हैं परंतु उन्हें भी जैविक मानकों के अनुपालन की आवश्यकता है।) प्रमाणीकरण कार्य अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

कनाडा में हालांकि जैविक मानक जारी किये हैं परंतु ये अभी तक केवल दिशा-निर्देश रूप में हैं प्रमाणीकरण का कार्य निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। कनाडा के क्यूबेक राज्य में स्थानीय सरकार प्रमाणीकरण प्रक्रिया की देख-रेख करती है।

जापान में वर्ष 2001 में जापानी कृषि मानक नियमित किये गये तथा वर्ष 2005 में इनमें सुधार किया गया। सभी प्रमाणीकरण संस्थाएं वर्ष 2005 के नियमों के अधीन कार्य करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में यद्यपि स्थानीय मानक नहीं हैं फिर भी प्रमाणीकरण प्रक्रिया का प्रचालन 'ऑस्ट्रेलियन संगरोध व निरीक्षण सेवा' संस्था द्वारा दिया जाता है और यह प्रमुखतया निर्यात पर केन्द्रित है। आंतरिक बाजार हेतु कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है और निर्यात प्रक्रिया का ही आंतरिक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन संगरोध व निरीक्षण सेवा संस्था ही प्रमाणीकरण नियंत्रण का कार्य करती है और इसके द्वारा अनुमोदित 7 प्रमाणीकरण संस्थाएं प्रमाणीकरण का कार्य कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से अधिकांश जैविक उत्पादन जापान (34%), ब्रिटेन (17%), फ्रांस (10%) तथा, न्यूजीलैंड (10%) को निर्यात किये जाते हैं।

चीन में चीन हरित खाद्य विकास केन्द्र' दो मानकों पर आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया चलाता है। AA मानक पूर्ण जैविक है तथा 'A' मानकों के अधीन नियंत्रित मात्रा में कुछ रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है। भारत में निर्यात हेतु वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम' द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया का प्रचालन किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को यूरोपीय संघ तथा स्वीडन द्वारा मान्यता मिल चुकी है और अमेरिका द्वारा भी इसके प्रक्रियात्मक पहलुओं को स्वीकार कर लिया गया है।

# राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम

**राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र तथा प्रचालनात्मक संरचना**

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एक राष्ट्रीय नीति तथा कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्य को संस्थागत रूप में उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के लक्ष्य-

- अनुमोदित मापदंडों के अनुसार जैविक खेती तथा उत्पादों हेतु प्रमाणीकरण कार्यक्रम को उपलब्ध कराना।
- प्रमाणीकरण कार्यक्रमों को प्रत्यायित करना।
- जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों की अनुपालना में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को सुगम बनाना।
- जैविक खेती तथा जैविक प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना।

**कार्यक्षेत्र :**

- जैविक उत्पादों के विकास तथा प्रमाणीकरण हेतु नीतियां।
- जैविक उत्पादों तथा प्रक्रियाओं हेतु राष्ट्रीय मानक।
- निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा प्रचलित किये जाने वाले कार्यक्रमों का प्रत्यायन।
- जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण।

**प्रचालनात्मक संरचना :** राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम की प्रचालनात्मक संरचना को भारत सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से विकसित तथा क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के लिए एक संचालन समिति कार्य करा रही है जिसके सदस्यों का चयन वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय वस्तु बोर्डों तथा जैविक आंदोलन के साथ जुड़े हुए अन्य सरकारी एवं निजी संगठनों में से किया गया है। प्रासंगिक मुद्दों के विषय में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति को परामर्श देने के लिये, तथा आवश्यकतानुसार उप-समितियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के लिए संचालन समिति एक राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम को प्रतिपादित करेगी और जैविक उत्पादों हेतु राष्ट्रीय मानकों को तैयार करेगी जिसमें जैविक उत्पादन तथा प्रक्रियाओं के लिए मानक भी सम्मिलित होंगे।

राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंसी द्वारा संचालित किया जायेगा जो कि प्रत्यायन कार्यक्रमों तथा प्रचालनों समग्र नीति उद्देश्यों को परिभाषित करेगी। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति जब भी उचित समझे, प्रत्यायन पद्धतियों में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति तथा कार्यक्रम सावधिक आंतरिक समीक्षा के अधीन है, जिसको तकनीकी समिति द्वारा संचालित किया जायेगा जो इस प्रकार के संशोधनों के संबंध में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेतु संचालन समिति को परामर्श देगी।

**राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय :** राष्ट्रीय संचालन समिति ही राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय का कार्य करेगी। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय में कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय एवं वस्तु बोर्डों के सदस्य होंगे। निकाय के अध्यक्ष राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के कार्यों में शामिल है -

- प्रमाणीकरण कार्यक्रमों के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के लिए पद्धतियों को तैयार करना।
- कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले एजेन्सियों के मूल्यांकन के लिए पद्धतियों को सूत्रबद्ध करना।
- निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण एजेन्सियों का प्रत्यायन।

**मूल्यांकन समिति :** एक मूल्यांकन समिति प्रमाणीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले योग्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों का मूल्यांकन करेगी। राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय इस मूल्यांकन समिति को नियुक्त करेगा। मूल्यांकन समिति के सदस्य वस्तु बोर्डों, कृषि मंत्रालय और ईआईसी, ईआईए के लिए गए सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से एपीडा प्रमाणीकरण एजेंसियों से आवेदन पत्र प्राप्त करेगा और छांटेगा, आवेदकों के प्रमाणीकरण कार्यक्रम की विश्वसनीयता का पता लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित मूल्यांकन दौरों आदि में समन्वय करेगा तथा उनकी व्यवस्था करेगा। मूल्यांकन समिति प्रत्यायन पर अपनी सिफारिशें राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

**प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण संस्थाएं :** मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्यायन निकाय द्वारा योग्य निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों को प्रत्यायित किया जायेगा। इन एजेन्सियों को प्रचालन पद्धतियों, एनएसओपी (जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों) और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उनके कार्यक्रम कम से कम एक वर्ष से चल रहे हों वे इसकी पुष्टि में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें।

**निरीक्षकगण :** प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेन्सियों द्वारा नियुक्त निरीक्षकगण एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्रचालकों के द्वारा तैयार किए गये प्रलेख तथा सावधिक स्थल निरीक्षण के माध्यम से प्रचालकों के निरीक्षण सम्पादित करेंगे। मानकों तथा कार्यक्रमों की अनुपालन के आधार पर, प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण संस्थायें उत्पादों तथा प्रचालनों की जैविक अवस्था के अनुरूप उनका प्रमाणीकरण करेंगी प्रमाणीकरण के लिए वांछित क्रिया विधि की सिफारिश करेंगी।

म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल

# जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता का साधन

वर्तमान में खानपान से संबंधित बीमारियों के बढ़ते प्रकोप से सभी चिंतित हैं। इस कारण स्वास्थ्यप्रद उत्पादों की माँग में तेजी से वृद्धि हो रही है। उपभोक्ताओं की माँग को पूरा करने के लिए बाजार में भी जैविक उत्पाद उपलब्ध होने लगे हैं। परन्तु जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता के बारे में शंकाएँ भी बहुतायत में सामने आ रही हैं। अत: जैविक उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को स्वस्थ जैविक उत्पाद सुलभ हो सकें।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत राष्ट्रीय जैव उत्पाद मानक (National Standards of Organic Produce) अधिसूचित किए गए है। भारत में राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानकों के अनुसार किए गए प्रक्षेत्र प्रबंध से उत्पादित उपज को ही जैविक खेती की उपज माना जाता है अर्थात् जैविक मानकों के अनुसार प्रक्षेत्र प्रबंध न होने पर जैविक खेती की उपज नहीं कहा जा सकता है। अत: जैविक कृषि में रुचि रखने वाले कृषकों को जैविक मानकों की जानकारी निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है-

1. जैविक खेती के लिए व्यवस्थित नियोजन प्रशस्त करते हैं।
2. मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में सहायक हैं।
3. टिकाऊ खेती अर्थात लाभदायक खेती के आधार हैं।

राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानकों में जैविक खेती के अंतर्गत उपयोग में लाए जाने वाले कृषि आदानों यथा बीज, खाद-उर्वरक, पीड़कनाशी दवाओं, मृदा धारक आदि को तीन वर्गों में रखा गया है।

**अनुमत पदार्थ :** वे उत्पाद जो मृदा, पर्यावरण के लिए निरापद रूप से उपयोगी हैं। जैसे स्वयं के फार्म पर तैयार खादें।

**सीमित उपयोग हेतु पदार्थ :** इन पदार्थों का उपयोग आपात स्थिति में ही करने की अनुमति है। जैसे - सूक्ष्म मात्रिक उर्वरकों का उपयोग।

**प्रतिबंधित पदार्थ :** ये मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के प्रति हानिकारक होते हैं अत: इनका उपयोग पूर्णत: वर्जित है जैसे यूरिया, डीएपी व जैनेटिकली मोडीफाइड (GM) बीज। इस प्रकार जैविक मानकों की विधिवत जानकारी (www.apeda.gov.in) के आधार पर जैविक प्रक्षेत्र प्रबंध से किया जा सकता है। परन्तु दूरस्थ बाजार में जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता हासिल करने की समस्या फिर भी बनी रहती है।

इस समस्या को दूर करने के लिए तथा जैविक उत्पादों की बाजार विश्वसनीयता एवं बेहतर ब्रांडिंग के लिए जैविक प्रमाणीकरण की अवधारणा लाई गई। इसमें किसी फार्म, प्रक्षेत्र इकाई में जैविक मानकों के अनुपालन का थर्ड पार्टी सत्यापन जैविक प्रमाणीकरण है।

भारत में जैविक प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय अधिमान्यता बोर्ड, एपीडा, नई दिल्ली द्वारा जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं को अधिमान्यता प्रदान की जाती है। प्रमाणीकरण संस्थाएँ स्वतंत्र थर्ड पार्टी संस्थाएँ होती हैं अर्थात् इनका काम केवल जैविक प्रमाणीकरण करना होता है। जैविक उत्पादन एवं जैविक उत्पादों के विपणन में सहभागिता नहीं करती है।

जैविक प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादों पर 'इंडिया आर्गेनिक' का लेबल लगाने की अनुमति दी जाती है। म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को गुणवत्तापूर्ण प्रमाणीकरण सेवाएँ आसानी से सुलभ कराने के लिए म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना की गई है। संस्था की सामान्य एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया की जानकारी निम्नानुसार है -

**परिचय :** संस्था का गठन म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किया गया है।

संस्था को 'एपीडा' के अधिमान्यता क्रमांक एन.पी.ओ.पी./एन.ए.बी./0022, दिनांक 01.10.2011 के द्वारा फसल उत्पादन बाबत् अधिमान्यता प्राप्त हैं। संस्था के पदेन अध्यक्ष - अपर मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन हैं।

**उद्देश्य :** देश एवं प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन नीति एवं जैविक मानकों के तहत जैविक प्रमाणीकरण सेवाएँ उपलब्ध कराना हैं।

**जैविक प्रमाणीकरण :** उत्पादन क्षेत्र तथा इकाई में जैविक मानकों यथा NPOP अंतर्गत जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानक (NSOP) के अनुरूप अनुपालन का

सत्यापन जैविक प्रमाणीकरण है। इसमें निम्न तीन चरण होते हैं -

- ऑपरेटर द्वारा संस्था में जैविक प्रमाणीकरण हेतु आवेदन एवं पंजीयन कराना।
- संस्था के जैविक निरीक्षकों द्वारा ऑपरेटर के फार्म का निरीक्षण एवं निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना।
- प्रमाणीकरण निर्णयन।

जैविक प्रमाणीकरण एक मार्केटिंग टूल है, जिससे उत्पाद की जैविक पहचान की विश्वसनीयता प्राप्त होने के फलस्वरूप जैविक उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ बेहतर मूल्य पर उसका विपणन संभव होता है।

फसल उत्पादन के लिए जैविक प्रमाणीकरण व्यक्तिगत एवं समूह में कराया जा सकता है। बड़ी जोत के वे कृषक, जिनके पास बाजार अधिशेष (Marketing Surplus) पर्याप्त होता है, व्यक्तिगत रूप से प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करते हैं। लघु एवं सीमांत कृषकों की जैविक प्रमाणीकरण से लाभ लेने के लिए NPOP अंतर्गत जैविक फसल उत्पादन प्रमाणीकरण बाबत् समूह प्रमाणीकरण की व्यवस्था है।

**समूह प्रमाणीकरण :** समूह प्रमाणीकरण कृषकों एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के मध्य समूह/सेवा प्रदायक संस्था (Service Provider) समन्वय का कार्य करती है। समूह जैविक प्रमाणीकरण के लिए किसानों अथवा उत्पादकों को संगठित, प्रशिक्षित एवं प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराकर जैविक मानकों के अनुरूप अनुपालन को सुनिश्चित करते हुये जैविक प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूर्ण कर संगठित मार्केटिंग करता है। समूह प्रमाणीकरण में लागत में कमी के साथ लघु सीमान्त कृषकों को उनके जैविक उत्पादों का विपणन (Marketing) प्रभावी रूप से संभव हो पाता है।

**समूह प्रमाणीकरण बाबत् सामान्य आवश्यकताएँ :** समूह के अंतर्गत लिये जाने वाला कृषि क्षेत्र एक समान तथा पास-पास में हो। समूह अंतर्गत समस्त कृषक एक समान फसल पद्धति को अपना रहे हों। समूह की विधिवत पहचान (Legal Validity) हो अर्थात समूह पंजीकृत हो। समूह का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता हो तथा पेन नम्बर हो। समूह में 4 हैक्टेयर से अधिक की जोत वाले कृषकों को भी इस शर्त के साथ शामिल किया जा सकता है कि ऐसे बड़े कृषकों की कुल भूमि समूह की कुल भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। 4 हैक्टेयर से अधिक जोत सीमा के कृषकों का प्रमाणीकरण संस्था द्वारा शत-प्रतिशत, एवं 4 हैक्टेयर से कम जोत सीमा के कृषकों का Random आधार पर नमूना (Sample) निरीक्षण किया जाता है। समूह में कम से कम 25 कृषक व अधिकतम 500 कृषक हो सकते हैं।

समूह संगठन अथवा प्रबंधन द्वारा समूह के द्वारा लिए जा रहे जैविक प्रमाणीकरण कार्यक्रम के व्यवस्थित संचालन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) की स्थापना आवश्यक होती है जो NPOP विनियमन के अनुरूप संचालित होती है। विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय कृषि अधिकारियों या संस्था के दूरभाष क्र. 0755-2580922 पर या ई मेल - md.mpsoca@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

**● जितेन्द्र सिंह परिहार**

# जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक

**जैविक कृषि का अभिप्राय कृषि की ऐसी विधा से है जिसमें पर्यावरण के साथ समन्वय रखते हुए फसल उत्पादन या पशुपालन किया जाता है। फसलों के अथवा पशुपालन के जैविक प्रबंधन के आरंभ तथा प्रमाणीकरण के बीच के समय को रूपान्तरण अवधि के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण फार्म, जिसमें पशुधन भी सम्मिलित है, को मानकों के अनुसार तीन वर्षों की अवधि के भीतर रूपान्तरित किया जाता है। एक टिकाऊ कृषि वातावरण में विविध फसल उत्पादन व पशुपालन इस प्रकार किया जाता है कि कृषि प्रबंधन के सभी अवयव एक-दूसरे के साथ तथा एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। रूपान्तरण एक समयावधि में चरणबद्ध किया जाना चाहिये। एक फार्म पर पूरी फसल उत्पादन तथा पशुपालन प्रक्रिया को जैविक प्रबंधन में रूपान्तरित किया जाना चाहिये। एक स्पष्ट योजना में समय-समय पर सुधार करना चाहिये तथा मानकों से संबंधित सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिये। प्रमाणीकरण कार्यक्रम में विभिन्न कृषि प्रणालियों के लिए इस प्रकार मानकीय प्रक्रिया बनानी चाहिये ताकि उनका उत्पादन तथा प्रलेखन स्पष्ट रूप से अलग-अलग हो सके और उनके मिश्रण को रोका जा सके।**

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानक निर्धारित किये गये हैं जिन्हें मुख्यतया 8 भागों में बांटा जा सकता है।

1. रूपान्तरण, 2. फसल उत्पादन, 3. पशुपालन, 4. मधुमक्खी पालन, 5. वन्य उत्पाद संग्रहण, 6. खाद्य प्रसंस्करण एवं संचालन, 7. नामांकन या लेबल लगाना, 8. भंडारण एवं परिवहन।

**मानक :** मानक आवश्यकताओं को रूपान्तरण अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। समस्त मानक आवश्यकताओं को रूपान्तरण अवधि के आरंभ से ही लेकर प्रासंगिक पहलुओं के संबंध में लागू किया जायेगा। यदि सम्पूर्ण फार्म को रूपान्तरित नहीं किया गया हो, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि फार्म के जैविक तथा पारंपरिक भाग पृथक तथा निरीक्षण योग्य हों।

किसी फार्म अथवा परियोजना के उत्पादों को जैविक रूप में प्रमाणित किये जाने से पूर्व, रूपान्तरण अवधि के दौरान निरीक्षण किया जायेगा। रूपान्तरण अवधि के आरंभ की गणना प्रमाणीकरण कार्यक्रम आवेदित किये जाने की तिथि से अथवा अनुमोदित फार्म इनपुट्स के अंतिम तिथि से की जाती है, बशर्ते कि प्रचालक यह प्रमाणित कर सके कि क्रियान्वयन की उस तिथि से मानक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता रहा है।
ऐसे पारंपरिक, जैविक रूपान्तरणधीन अथवा जैविक फसलों या पशु उत्पादों के समानांतरण उत्पादन को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी जिनकी एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग पहचान नहीं की जा सकती हो। जैविक तथा पारंपरिक उत्पादन के मध्य एक स्पष्ट अलगाव सुनिश्चित करने हेतु एक बफर क्षेत्र या एक प्राकृतिक अवरोध बनाया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण कार्यक्रम इन आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगा। जहां पर अनेक वर्षों से वस्तुतः पूर्ण मानक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता रहा हो और जहां पर अनेक साधनों तथा स्रोतों के माध्यम से इनकी पुष्टि की जा सकती हो, वहां संपूर्ण रूपान्तरण अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में निरीक्षण एक युक्ति संगत समय अंतराल के साथ प्रथम फसल से पूर्व निष्पादित किया जायेगा।

### जैविक प्रबन्धन का अनुरक्षण

जैविक प्रमाणीकरण निरंतरता पर आधारित है।

**सिफारिशें :** प्रमाणीकरण कार्यक्रम को केवल ऐसे उत्पादन को प्रमाणित करना चाहिये जिसके दीर्घावधि आधार पर जारी रखने की संभावना हो।

**मानक :** रूपान्तरित भूमि तथा पशुओं को जैविक तथा पारंपरिक प्रबंधन के बीच में परिवर्तन करते रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

**प्राकृतिक भूदृश्य :** जैविक कृषि को पारिस्थितिकी में सकारात्मक रूप से योगदान करना चाहिये। प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्राकृतिक भूदृश्य तथा जैव विविधता मानकों को विकसित करेगा।

### फसलों तथा किस्मों का चयन

समस्त बीजों तथा वनस्पति सामग्री को प्रमाणित जैविक होना चाहिए। चयनित प्रजातियां स्थानीय अवस्थाओं के अनुकूल होनी चाहिए तथा कीट और रोग प्रतिरोधी होनी चाहिए। किस्मों का चयन करते समय आनुवांशिक विविधता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

**मानक :** यदि जैविक बीज कंद या रोप उपलब्ध हों, तो उनका प्रयोग किया जायेगा।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रमाणित जैविक बीज तथा अन्य वनस्पति सामग्री की आवश्यकता हेतु समय सीमाओं को निर्धारित करेगा। यदि प्रमाणित जैविक बीज तथा कंद इत्यादि उपलब्ध न हों तो बिना रासायनिक उपचार पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जायेगा। परिवर्तित आनुवांशिकी से तैयार किये गये बीजों, पराग, पराजीन पौधों अथवा वनस्पति सामग्री का प्रयोग वर्जित है।

### रूपान्तरण अवधि का कार्यकाल

**मानक :** यदि बीज बोने से कम से कम दो वर्षों अथवा घासस्थली को छोड़कर अन्य बारहमासी फसलों के मामले में, उत्पादों की पहली उपज से कम से कम तीन वर्षों (छत्तीस महीनों) की रूपान्तरण अवधि के दौरान यदि राष्ट्रीय मानक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया हो तो वनस्पति उत्पादों को जैविक प्रमाणित किया जा सकता है। प्रत्यायित निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण संस्था भूमि के पिछले प्रयोग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों (यथा दो वर्षों अथवा इससे अधिक समय के लिए खाली उपयोग) में रूपान्तरण अवधि को बढ़ाने अथवा करने का निर्णय कर सकती है, परन्तु इस अवधि का बारह महीनों के बराबर इससे अधिक होना अनिवार्य है।

भूमि के पिछले उपयोग तथा पर्यावरणीय दशाओं आदि पर निर्भर करते हुए प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा रूपान्तरण अवधि को बढ़ाया जा सकता है। प्रमाणीकरण कार्यक्रम फार्म की रूपान्तरण अवधि के दौरान वनस्पति उत्पादों को 'रूपान्तरण की प्रक्रियाधीन जैविक खेती की उपज' अथवा इससे मिलते-जुलते विवरण के रूप में बेचे जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। चारे के लिए उपादानों की गणना करने हेतु, जैविक प्रबंधन के प्रथम वर्ष के दौरान फार्म पर पैदा किये गये चारे को जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य केवल ऐसे पशुओं के चारे से है जिनका फार्म यूनिट के भीतर ही पालन पोषण किया जा रहा हो परंतु ऐसे चारे को जैविक के रूप में बेचा अथवा विपणन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय मानकों के अनुसरण के फार्मों पर पैदा किये गये चारे को पारंपरिक रूप से उगाये आयातित किये गये चारे की तुलना में वरीयता दी जायेगी।

### फसल उत्पादन में विविधता

**मानक :** जहां भी उचित हो, प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि एक निश्चित समय अथवा स्थान पर पर्याप्त विविधता को एक ऐसे ढंग से विकसित किया जाये जिसमें कीड़ों, खरपतवार, रोगों तथा अन्य कीटों के प्रकोप के बचाव करते हुए मृदा की उर्वरता, जीवाणु गतिविधि तथा सामान्य मृदा स्वास्थ्य को बनाये रखा जाये तथा उसमें वृद्धि की जाये। ऋतु फसलों में इसे सामान्य रूप से, फसल परिवर्तन माध्यम से हासिल किया जाता है।

### उर्वरण नीति

जैविक फार्मों पर पैदा की गयी जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मल की जैविक खाद को उर्वरण कार्यक्रम का आधार बनाया जाना चाहिए। उर्वरण प्रबंधन को पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाला होना चाहिये तथा भारी धातुओं तथा अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के एकत्रीकरण की रोकथाम की जानी चाहिये। प्राकृतिक खनिज उर्वरकों तथा बाहर से क्रय की गई जैविक खादों को पोषण पुनःचक्रण में पूरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मृदा में समुचित PH स्तर को बनाये रखा जाना चाहिये।

**मानक :** जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मूल की जैविक खाद को उर्वरण खाद को उर्वरण कार्यक्रम का आधार बनाया जाना चाहिये। प्रमाणीकरण कार्यक्रम स्थानीय दशाओं तथा फसलों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, फार्म के बाहर से लाई जाने वाली जीवाणु, वनस्पति अथवा पशु मूल की जैविक सामग्री की कुल मात्रा की सीमाओं को निर्धारित करेगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऐसे नियंत्रण मानकों को निर्धारित करेगा जहां पशु चरागाहों से आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाद प्राप्त होने का जोखिम हो और प्रदूषण का खतरा हो।

मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली साग-सब्जियों के लिये मानव अवशिष्ट (मल तथा मूत्र) से युक्त खाद का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनिज उर्वरकों का कार्बन आधारित सामग्रियों के साथ केवल एक सम्पूरक के रूप में प्रयोग किया जायेगा। प्रयोग की अनुमति केवल उसी स्थिति में दी जावेगी जबकि अन्य उर्वरता प्रबंधन पद्धतियों द्वारा उन तत्वों की पूर्ति न हो सके। खनिज उर्वरकों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में ही प्रयोग किया जायेगा और रासायनिक शोधन के द्वारा उनकी अधिक विलयशील नहीं बनाया जायेगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम अपवादिक स्थितियों में इनकी अनुमति तभी प्रदान कर सकता है जहां पर ऐसा करना औचित्यपूर्ण सिद्ध हो। इन

अपवादों में नाइट्रोजन से युक्त खनिज उर्वरकों को शामिल नहीं किया जायेगा।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम खनिज पोटेशियम, मैग्नीशियम उर्वरकों, सूक्ष्ममात्रिक तत्वों, जैविक खाद तथा अन्य उर्वरकों जिनमें भारी धातु अंश तथा अन्य अवांछित पदार्थ, यथा क्षारीय धातुपिण्ड, रॉक फास्फेट इत्यादि के प्रयोग को नियंत्रित करेगा। चिलीयन नाइट्रेट तथा यूरिया सहित सभी कृत्रिम नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग निषिद्ध है।

**कीट, रोग तथा बढ़वार नियंत्रकों सहित खरपतवार प्रबंधन**

जैविक कृषि प्रणाली को इस प्रकार से संचालित किया जाना चाहिये जिसके कि कीटों, रोगों तथा खरपतवार से होने वाली हानियों को न्यूनतम किया जा सके। एक संतुलित निषेचन कार्यक्रम, पर्यावरण के साथ अनुकूलित फसलों तथा किस्मों के प्रयोग, उच्च जैविक कार्यक्रम, पर्यावरण के साथ अनुकूलित फसलों तथा किस्मों के प्रयोग, उच्च जैविक क्रियाकलापों से युक्त उर्वर मृदाओं, अनुकूलित आवर्तनों, सहचर पौधरोपण, हरित खाद आदि के प्रयोग से नाशी जीव नियंत्रण किया जाना चाहिये।

**मानक :** स्थानीय पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्म जीवों की मदद से फार्म पर तैयार किये गये उत्पादों को कीट, रोगों तथा खरपतवार प्रबंधन हेतु अधिकाधिक प्रयुक्त किया जाना चाहिये। यदि इससे पारिस्थितिकी अथवा जैविक उत्पादों की गुणवत्ता खराब होने की संभावना हो, तो जैविक कृषि के अतिरिक्त आदान मूल्यांकन पद्धति तथा अन्य प्रासंगिक मापदण्डों के आधार पर यह निर्णय लिया जायेगा कि वह उत्पाद स्वीकार्य है अथवा नहीं। ब्रांडधारी उत्पादों का सदैव मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

कीट, रोग तथा खरपतवार प्रबंधन हेतु ऊष्मिक खरपतवार नियंत्रण तथा भौतिक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। कीटों तथा रोगों का सामना करने हेतु मृदाओं के ऊष्मिक जीवाणुनाशक को केवल उन्हीं परिस्थितियों के लिये सीमित रखा गया है जिनमें मृद्रा का समुचित आवर्तन अथवा पुनर्नवीकरण करना संभव नहीं हो। ऐसा करने की अनुमति प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक मामले पर पृथक रूप से विचार कर प्रदान की जाती है। पारंपरिक कृषि प्रणालियों से सभी उपकरणों को जैविक तरीके से प्रबंधित भू-भागों पर प्रयुक्त किये जाने से पहले अच्छी तरह से साफ तथा अवशेषों से युक्त किया जायेगा। कृत्रिम शाकनाशकों, फफूंदनाशकों, कृमिनाशकों तथा अन्य कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है।

कृत्रिम वृद्धि विनियामकों तथा कृत्रिम रंगों का प्रयोग वर्जित है। परिवर्तित आनुवांशिकी से निर्मित जीवों तथा उत्पादों का प्रयोग वर्जित है। प्रत्यायित प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेंगे की कीटों, परजीवियों तथा संक्रामक एजेन्टों के संचरण की रोकथाम करने हेतु सभी उपायों को लागू किया जाये।

**संदूषण नियंत्रण**

फार्म के भीतर तथा बाहर से संदूषण को न्यूनतम करने हेतु समस्त प्रासंगिक उपायों को लागू किया जाना चाहिये। प्रदूषण का खतरा अथवा खतरे का संदेह होने की स्थिति में, प्रमाणीकरण कार्यक्रम को भारी धातुओं तथा अन्य प्रदूषकों के अधिकतम प्रयोग स्तरों की सीमाओं को निर्धारित करना चाहिये।

**मानक :** संदूषण का संदेह होने की स्थिति में प्रमाणीकरण कार्यक्रम को संदूषण स्तर की जांच हेतु प्रासंगिक उत्पादों को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए। संरक्षित संरचना आवरण, प्लास्टिक घासपात, कच्ची ऊन, कृमि तथा साइलो सरंक्षण हेतु केवल पोलीइथिलीन तथा पोली प्रोपाइलीन अथवा अन्य पोलीकार्बोनेट्स पर आधारित उत्पादों का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है। उपयोग के पश्चात इनको मृदा से अलग हटा देना होगा तथा कृषि-भूमि पर इनको जलाया नहीं जायेगा। पोलीक्लोराइड आधारित उत्पादों का प्रयोग वर्जित किया गया है। मृदा तथा जल परीक्षण

**सामान्य सिद्धान्त :** मृदा तथा जल संसाधनों को जहां तक हो सके संरक्षित कर उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। मृदा के क्षरण, खारेपन, जल के अत्यधिक तथा अनुचित प्रयोग और भूमिगत एवं पृष्ठ जल के प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रासंगिक उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

**मानक :** जैविक पदार्थ को जलाने, उदाहरणार्थ काटने और जलाने, घासफूस जलाने के माध्यम से भूभाग को साफ करने को न्यूनतम रखा जाना चाहिए।

आदिम जंगल को साफ करना वर्जित है। क्षरण की रोकथाम हेतु उपयुक्त उपयोग को लागू किया जाना चाहिये। जल संसाधनों का अत्यधिक शोषण तथा अवक्षय की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। प्रमाणीकरण कार्यक्रम को ऐसे समुचित संग्रहण दरों का निर्धारण करना चाहिये जिनके परिणामस्वरूप भूमिगत तथा पृष्ठ जल का क्षरण तथा प्रदूषण रोका जा सके। मृदा तथा जल के खारेपन की रोकथाम हेतु समुचित उपायों को लागू किया जाये।

**प्राकृतिक जंगल उत्पाद तथा शहद का संग्रहण :** वन्य फसल उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणिक किया जाना चाहिये जब उन्हें एक सुस्थिर तथा पोषणीय विकासमान वातावरण से इकट्ठा किया गया हो। उत्पादों की कटाई अथवा संग्रहण को पर्यावरण प्रणाली की पोषणीय पैदावार से अधिक नहीं होने देना चाहिए तथा वनस्पति अथवा पशु प्रजातियों के अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणित किया जायेगा जब उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित एक ऐसे संग्रहण क्षेत्र से प्राप्त किया गया है, जिसका वर्जित तत्वों के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है, तथा जो निरीक्षण के अधीन है।

संग्रहण क्षेत्र पारंपरिक कृषि-क्षेत्र, प्रदूषण तथा संदूषण से समुचित दूरी पर स्थित हो। उत्पादों की कटाई अथवा संग्रहण को संचालित करने वाले प्रचालक को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जायेगा तथा वह प्रश्नाधीन संग्रहण क्षेत्र के साथ परिचित हो।

**पशुपालन प्रबंधन**

**मानक :** प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि पशु वातावरण का प्रबंधन पशुओं की व्यवहारात्मक आवश्यकताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखें तथा निम्नलिखित बातों का प्रावधान करें :

पर्याप्त स्वतंत्र विचरण, पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त ताजी हवा तथा दिन में नैसर्गिक प्रकाश, पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार अत्यधिक प्रकाश, तापमान, वर्षा तथा हवा से बचाव, पशुओं की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त लेटने अथवा विश्राम की जगह, आवश्यकताओं के अनुसार ताजे पानी, चारे तक पर्याप्त पहुंच हो।

निर्माण सामग्रियों अथवा उत्पादन उपकरण हेतु ऐसे किसी भी यौगिक का प्रयोग नहीं किया जायेगा जो कि मनुष्य अथवा पशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो।

सभी पशुओं को आयु तथा अवस्था, जिसको प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा, को ध्यान में रखते हुए, उनको पशु के प्रकार तथा ऋतु के लिये उपयुक्त खुली हवा अथवा चराई तक पहुंच प्रदान की जायेगी।

**प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित मामलों में अपवादस्वरूप छूट प्रदान करेगा जहां :** विशिष्ट फार्म अथवा अधिवास संरचना इस प्रकार की पहुंच में रुकावट पैदा करती हो, बशर्ते कि पशु कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता हो। ऐसे भूभाग जहां पर चराई की अपेक्षा ढोकर लाये गये ताजे चारे को पशुओं को खिलाना भूमि संसाधनों के उपयोग का अधिक पोषणीय तरीका हो, बशर्ते कि पशुओं के कल्याण की अवहेलना नहीं की जा रही हो।

ऐसे प्रत्येक अपवाद हेतु निर्धारित किये गये प्रतिबंधों में एक समय सीमा को सदैव शामिल किया जायेगा। मुर्गियों तथा खरगोशों को पिंजरों में कैद नहीं किया जायेगा। भूमिहीन पशुपालन प्रणालियों को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

यदि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के द्वारा प्राकृतिक दिवस की लंबाई को बढ़ाया गया हो, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रजातियों, भौगोलिक अवधारणाओं तथा पशुओं के सामान्य स्वास्थ्य के संदर्भ में अधिकतम घण्टों को विनिर्दिष्ट करेगा।

झुण्ड में रहने वाले पशुओं को अकेले में नहीं रखा जायेगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा अपवादों, उदाहरणस्वरूप, नर पशुओं, छोटे-छोटे जोत-क्षेत्रों, रुग्ण पशुओं अथवा गर्भवती मादाओं के लिए छूट प्रदान की जा सकती है।

**रूपान्तरण अवधि की लंबाई**

**मानक :** पशु उत्पादों को 'जैविक खेती के उत्पाद' के रूप में उसी स्थिति में बेचा जा सकता है जबकि फार्म अथवा उसका एक संबद्ध भाग कम से कम बारह महीनों के लिये रूपान्तरण के अधीन रहा हो तथा समुचित समय के लिये जैविक पशु उत्पादन मानकों का पालन किया जाता रहा हो। प्रमाणीकरण कार्यक्रम द्वारा समय की उस लंबाई को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें पशु उत्पादन मानकों को पूरा कर लिया जाए। डेयरी तथा अण्डा उत्पादन के संबंध में यह अवधि 30 दिनों से कम नहीं होगी।

यदि जैविक मानकों को 12 महीनों तक पूरा किया जाता रहा हो तो रूपान्तरण के समय फार्म पर मौजूद पशुओं को जैविक मांस के रूप में बेचा जा सकता है।

**आयातित पशु**

**मानक :** जैविक पशुधन के उपलब्ध होने की स्थिति में, प्रमाणीकरण, कार्यक्रम निम्नलिखित आयु सीमाओं के अनुसार आयातित पारंपरिक पशुओं के लिये अनुमति प्रदान करेगा :

- मांस उत्पादन हेतु 2 दिन की आयु के चूजे।
- अण्डा उत्पादन हेतु 18 सप्ताह की आयु की मुर्गियां।
- किसी अन्य मुर्गीपालन हेतु 2 सप्ताह की मुर्गियां।
- सुअर के छह सप्ताह के आयु के तथा दूध छुड़ाये हुए बच्चे।
- 4 सप्ताह तक की आयु के ऐसे बछड़े जिन्होंने नवदुग्ध पी लिया हो तथा जिन्हें ऐसा आहार दिया गया हो जिसमें मुख्य रूप से पूर्ण दूध शामिल था।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रत्येक प्रकार के पशु के लिये गर्भधारण से लेकर प्रमाणिक जैविक पशुओं के क्रियान्वयन हेतु समय सीमाओं (जो पांच वर्षों से अधिक की नहीं होगी) को निर्धारित करेंगे। प्रजनन पशुधन को पारंपरिक फार्मों से लाया जा सकता है परंतु उनकी अधिकतम संख्या एक वर्ष से जैविक फार्म पर समान प्रजातियों के वयस्क पशुओं के 10 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

आयातित प्रजनन पशुधन के लिए प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित मामलों में स्पष्ट समय सीमाओं के साथ 10 प्रतिशत से उच्चतर वार्षिक अधिकतम की अनुमति प्रदान करेगा। अनपेक्षित गंभीर प्राकृतिक अथवा मनुष्य निर्मित घटनाएं। फार्म का काफी बड़े पैमाने पर विस्तार। फार्म पर नये प्रकार के पशु उत्पादन की स्थापना तथा लघु जोत-क्षेत्र।

**नस्लें तथा प्रजनन**

**मानक :** प्रमाणीकरण कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रजनन प्रणालियां ऐसी नस्लों पर आधारित हों जो कि प्राकृतिक रूप से मैथुन तथा प्रसव दोनों कामों को कर सकती

हों।

**अंग काटना**

**मानक :** अंग काटने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित अपवादों को अनुमति प्रदान करेगा :

- बधियाकरण
- मेमनों की दुम काटना
- सींगों को काटना
- नाथना
- म्यूलसिन्ग।

पीड़ा को न्यूनतम रखा जाये तथा जहां भी उपयुक्त हो, बेहोश कर देने वाली दवाइयों का प्रयोग किया जाये।

**पशुपोषण**

**मानक :** प्रमाणीकरण कार्यक्रम चारा तथा चारा अवयवों हेतु मानकों को तैयार करेगा। चारे का प्रधान भाग (कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) स्वयं फार्म यूनिट से प्राप्त किया जायेगा अथवा क्षेत्र में अन्य जैविक फार्मों के सहयोग से उत्पन्न किया जायेगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम स्थानीय अवस्थाओं के संबंध में क्रियान्वयन हेतु समय सीमा के अंतर्गत एक समूह के अधीन अपवादों को छूट प्रदान करेगा। केवल गणना प्रयोजन हेतु, जैविक प्रबंधन के प्रथम वर्ष के दौरान फार्म यूनिट पर उत्पन्न किये गये चारे को जैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य केवल ऐसे पशुओं हेतु चारे से है जिनका स्वयं फार्म यूनिट के भीतर पालन पोषण किया गया हो। ऐसे चारे को जैविक के रूप में न ही बेचा जायेगा और न ही विपणन किया जायेगा।

यदि जैविक खेती स्रोतों से कतिपय आहारों को प्राप्त करना असंभव है, तो प्रमाणीकरण कार्यक्रम फार्म पशुओं के द्वारा खाये जाने वाले चारे की एक प्रतिशतता को पारंपरिक फार्म से प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा।

प्राकृतिक मूल के विटामिनों, सूक्ष्ममात्रिक तत्वों तथा संपूरकों का उपयुक्त मात्रा तथा गुणवत्ता में उपलब्ध होने की स्थिति में प्रयोग किया जायेगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम संश्लेषित अथवा अप्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त



विटामिनों तथा खनिजों के प्रयोग के लिए आवश्यक-

- जुगाली करने वाले सभी पशुओं को प्रतिदिन मोटा चारा खिलाया जायेगा।
- बैक्टीरिया, फफूंद तथा एन्जाइम्स
- खाद्य उद्योग के उपजात (यथा शीरा)
- वनस्पति आधारित उत्पाद।

विशेष मौसम दशाओं में कृत्रिम रासायनिक चारा परिरक्षकों के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रमाणीकरण कार्यक्रम संश्लेषित अथवा अप्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त विटामिनों तथा खनिजों के प्रयोग हेतु शर्तों को परिभाषित करेगा प्रमाणीकरण कार्यक्रम संबद्ध पशु प्रजातियों के प्राकृतिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दूध छुटाई समयावधियों को निर्धारित करेगा। स्तनधारी पशुओं के शिशुओं को ऐसी प्रणालियों का प्रयोग करते हुए पाला जायेगा जो कि जैविक दूध, विशेषकर उनकी अपनी प्रजातियों से प्राप्त, पर निर्भर करती हों। आपात स्थितियों में प्रमाणीकरण कार्यक्रम गैर-जैविक कृषि प्रणालियों से प्राप्त दूध अथवा डेयरी आधारित दूध स्थानापन्नों का प्रयोग करने की छूट प्रदान करेगा बशर्ते कि उनमें प्रतिजैविक अथवा कृत्रिम योज्य अन्तर्विष्ट नहीं हो।

**पशु चिकित्सा दवाईयां**

**मानक :** बीमारी की उपचार पद्धति का चयन करते समय पशुओं के कल्याण को प्राथमिक वरीयता दी जाती है। पारंपरिक पशु चिकित्सा दवाईयों का प्रयोग करने की छूट केवल उसी स्थिति में दी जावेगी जबकि कोई युक्तिसंगत विकल्प मौजूद नहीं हो। जहां पर परंपरागत पशु चिकित्सा दवाईयों का प्रयोग किया जा रहा हो, तो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर रखने की अवधि कानूनी अवधि से कम से कम दो गुनी होगी।

**निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग करना वर्जित है :**

- कृत्रिम वृद्धि उत्प्रेरक
- उत्पादन उद्दीपन अथवा प्राकृतिक वृद्धि को दबाने हेतु कृत्रिम मूल के पदार्थ।
- ऊष्मा प्रेरण अथवा ऊष्मा संक्रमण हेतु हॉर्मोन्स जब तक कि किसी वैयक्तिक पशु में पशुचिकित्सा संकेतों से औचित्यपूर्ण सिद्ध की गई प्रजनन विकृतियों के विरुद्ध उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। टीकों का प्रयोग केवल उसी स्थिति में किया जायेगा जबकि फार्म के क्षेत्र में बीमारियों की समस्या मौजूद हो अथवा होने की आशा हो और जहां पर इन बीमारियों को अन्य प्रबंधन तकनीकों के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता हो।

**परिवहन तथा पशुवध**

परिवहन तथा पशुवध से पशु को न्यूनतम कष्ट होना चाहिये। यात्रा की देरी तथा आवृत्ति को भी न्यूनतम रखा जाना चाहिए। परिवहन के दौरान पशुओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। मौसम की दशाओं तथा परिवहन की अवधि पर निर्भर करते हुए

परिवहन के दौरान पशुओं को पानी पिलाया तथा चारा खिलाया जाना चाहिए।

निम्नलिखित बिन्दुओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, पशुओं को यथासंभव कम से कम तकलीफ दी जानी चाहिए।

- प्रत्येक पशु का मृत पशुओं अथवा मारने की प्रक्रियाधीन पशुओं के साथ (आँख, कान अथवा गंध से) संपर्क न हो।
- वर्तमान समूह संबंध
- कष्ट को कम करने हेतु विश्राम करने का समय।

प्रत्येक पशु को खून बहाकर मारते समय उसे अचेत कर देना चाहिए। अचेत कर देने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण को सही ढंग से काम करने की स्थिति में होना चाहिए। सांस्कृतिक रिवाजों के अनुसार अपवादस्वरूप छूट प्रदान की जा सकती है। यदि पशुओं को पहले अचेत किये बिना ही उसके खून को बहाया जाता है, तो इस काम को एक शांत वातावरण में पूरा किया जाना चाहिए।

**मानक :** प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से शुरू से लेकर अंत तक, पशु की देखभाल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित रहेगा। परिवहन तथा पशुवध के दौरान शांत तथा नरम तरीका प्रयोग किया जाना चाहिए। बिजली की छड़ों और ऐसे उपकरणों का प्रयोग वर्जित होगा। प्रमाणीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए पशुवध तथा परिवहन मानकों को निर्धारित करता है।

- पशु तथा इन्चार्ज व्यक्ति को होने वाला कष्ट।
- पशु की फिटनेस।
- लादना तथा नीचे उतारना।
- पशुओं के विभिन्न समूहों अथवा भिन्न लिंग के पशुओं को एक साथ मिला देना।
- परिवहन के माध्यम तथा हैण्डलिंग उपकरण की गुणवत्ता तथा उपयुक्तता।
- तापमान तथा सापेक्षिक आर्द्रता।
- भूख तथा प्यास।
- प्रत्येक पशु की विशिष्ट आवश्यकताएं।

परिवहन से पहले अथवा उसके दौरान कोई रसायन अथवा उद्दीपक नहीं दिये जायेंगे।

सभी चरणों के दौरान प्रत्येक पशु अथवा पशुओं के समूह की पहचान करना संभव होना चाहिए। यदि परिवहन धुरी के द्वारा किया जाना हो, तो वधगृह तक की यात्रा का समय आठ घण्टों से अधिक का नहीं होना चाहिये। प्रमाणीकरण कार्यक्रम प्रत्येक मामले पर अगल से विचार करने के बाद छूट प्रदान कर सकता है।

**मधुमक्खी पालन**

संग्रहण क्षेत्र को जैविक अथवा वन्य होना चाहिए तथा कॉलोनी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उत्तम स्वास्थ्य बनाये रखने में सक्षम होने के लिये यथासंभव वैविध्यपूर्ण होना चाहिए। आपूर्ति किया जाने वाला भोजन पूर्ण रूप से जैविक होना चाहिए। मधुमक्खीपालन को पशुपालन का ही एक भाग माना जाता है। अतएव सभी सामान्य सिद्धांत मधुमक्खीपालन पर भी लागू होते हैं।



**मानक :** छत्तों को जैविक ढंग से प्रबंधित अथवा अन्य प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा। छत्तों को खेतों अथवा अन्य ऐसे क्षेत्रों के पास नहीं रखा जाना चाहिए जहां पर रासायनिक कीटनाशकों अथवा शाकनाशकों का प्रयोग किया जाता हो। प्रमाणीकरण निकायों के द्वारा प्रत्येक मामले पर अलग से विचार करने के बाद छूट प्रदान की जा सकती है। ऋतु के पहले अंतिम कटाई के पश्चात् जब चारा खोजकर खाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, केवल तभी चारा खिलाया जाना चाहिए। प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते को प्रधान रूप से प्राकृतिक सामग्रियों से निर्मित होना चाहिए। संभावित विषैले प्रभावों से युक्त निर्माण सामग्रियों का प्रयोग करना वर्जित है। ऐसे मधुमक्खी छत्तों में स्थायी सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें शहद के फैलाव की संभावना हो तथा जहां मृत मधुमक्खियों के माध्यम से अवशिष्टों का वितरित किया जा सकता है। पंखों को काटने की अनुमति नहीं है।

मधुमक्खी पालन में पशु चिकित्सा दवाईयों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मधुमक्खियों के साथ काम करते समय (यथा शहद जमा करते समय) निषिद्ध पदार्थों से युक्त किसी विकर्षक का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कीट तथा रोग नियंत्रण हेतु तथा छत्तों के रोगाणुनाशन हेतु निम्नलिखित उत्पादों की अनुमति प्रदान की जायेगी :

- कास्टिक सोडा
- दुग्धिक, ऑक्सैलिक, एसीटिक एसिड
- फार्मिक एसिड
- सल्फर
- ईथारिक तेल
- बैसिलस थूरेन्जिन्सिस।

## जैविक खेती में पोषण प्रबंधन एवं मृदा सुधार के लिए उपयोग किये जाने वाले पदार्थों की स्वीकार्यता

| उपादान | स्वीकार्यता की स्थिति |
|---|---|
| **पौध एवं जंतु स्रोतों से प्राप्त उपादान** | |
| जैविक कृषि फार्म पर उत्पादित | |
| गोबर खाद, मुर्गी खाद, पशु मल एवं मूत्र | अनुमत |
| फसल अवशिष्ट तथा हरी खाद | अनुमत |
| भूसा एवं अन्य मल्च | अनुमत |
| कम्पोस्ट तथा वर्मी कम्पोस्ट | अनुमत |
| **अन्य स्रोतों से प्राप्त** | |
| लहू, मांस, हड्डी, पंख से प्राप्त खाद (बिना रसायनों के) | सीमित |
| पौध एवं जंतु अवशेषों एवं पशु मल से प्राप्त कम्पोस्ट | सीमित |
| गोबर खाद, मुर्गी खाद, पशु मल एवं मूत्र | सीमित |
| मछली खाद व अन्य मछली उत्पाद (बिना रसायनों के) | सीमित |
| गुआनो | सीमित |
| मानव मल | पूर्ण निषेध |
| लकड़ी की छाल, बुरादा, टुकड़े, राख तथा कोयला | सीमित |
| भूसा, जन्तु कोयला, कम्पोस्ट, मशरूम अवशिष्ट तथा वर्मीक्यूलेट पदार्थ | सीमित |
| घरों से प्राप्त कचरा एवं उसका कम्पोस्ट | सीमित |
| पौध अवशिष्ट से प्राप्त कम्पोस्ट | सीमित |
| समुद्री खरपतवार एवं उनके उत्पाद | सीमित |
| **औद्योगिक उप उत्पाद** | |
| खाद्य एवं कपड़ा उद्योग के ऐसे उप उत्पाद जो पौध व जंतु स्रोतों से प्राप्त हों, जैव अपघटित हों तथा रसायनों से मुक्त हों | सीमित |
| पाम तेल, नारियल, कोको उद्योग के उप उत्पाद तथा अवशिष्ट | सीमित |
| जैविक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उप उत्पाद | सीमित |
| मशरूम तथा क्लोरेला के अरक, एस्परजिलस के सड़न उप उत्पाद तथा प्राकृतिक अम्ल | सीमित |
| **खनिज स्रोतों से प्राप्त** | |
| बेसिक स्लेग | सीमित |
| केल्शियम एवं मैग्निशियम खनिज | सीमित |
| चूना, चूना पत्थर तथा जिप्सम | अनुमत |
| कैल्सिकृत समुद्री खरपतवार | अनुमत |
| केल्शियम क्लोराइड | अनुमत |
| ऐसा खनिज पोटाश जिसमें, क्लोराइड की मात्रा बहुत कम हो | सीमित |
| प्राकृतिक रॉक फास्फेट | सीमित |
| सूक्ष्म पोषक तत्व | अनुमत |
| गंधक | अनुमत |
| क्ले (बैन्टोनाइट, परलाइट, जियोलाइट) | अनुमत |
| **सूक्ष्मजीव स्रोतों से प्राप्त** | |
| जीवाणु उत्पाद (जैसे जैव उर्वरक) | अनुमत |
| जैव सक्रिय उत्पाद | अनुमत |
| पौध उत्पाद तथा वानस्पतिक अरक | अनुमत |

## जैविक खेती में नाशीजीव प्रबंधन के लिए उपयोग किये जाने वाले पदार्थों की स्वीकार्यता

| उपादान | स्वीकार्यता की स्थिति |
|---|---|
| **पौध एवं जंतु स्रोतों से प्राप्त उपादान** | |
| पौध आधारित प्रतिकर्षी (जैसे नीम उत्पाद) | अनुमत |
| शैवाल उत्पाद (जैसे जिलेटिन) | अनुमत |
| केसीन | अनुमत |
| मशरूम तथा क्लोरेला के अरक तथा एस्परजिलस के सडन उप उत्पाद | अनुमत |
| प्रोपोलिस | सीमित |
| मधुमक्खी, मोम, प्राकृतिक अम्ल, क्सूआसिया | अनुमत |
| डेरिस इलिपटिका, लोन्चोकारपस या टेफरोसिया पौधे से प्राप्त पोटेनोन | सीमित |
| तम्बाकू का काढ़ा (शुद्ध निकोटिन का प्रयोग निषेध) | सीमित |
| रायेनिया पौधे के उत्पाद | सीमित |
| **खनिज स्रोतों से प्राप्त** | |
| चूने व सोडे के क्लोराइड | सीमित |
| बरगन्डी घोल | सीमित |
| क्ले (बैन्टोनाइट, परलाइट, वर्मीक्यूलाइट, जियोलाइट) | अनुमत |
| तांबे के लवण/अकार्बनिक लवण (बोर्डो मिक्श्चर, कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, कॉपर आक्सीक्लोराइड) | पूर्ण निषेध |
| चूना | सीमित |
| डाइएटम मिट्टी | अनुमत |
| हल्के खनिज तेल | सीमित |
| पोटाश का परमैग्नेट | सीमित |
| **कीट स्रोतों से प्राप्त** | |
| परजीवी एवं परभक्षी मित्र कीटों का प्रयोग | सीमित |
| बन्ध्याकृत कीटों का प्रयोग | सीमित |
| नर कीटों का बन्ध्याकरण | पूर्ण निषेध |
| **जैविक जीवनाशी प्रबंधन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग** | |
| विषाणु जीवाणु एवं फफूंद आधारित नाशीजीव नाशी | सीमित |
| **अन्य** | |
| कार्बन डाइ ऑक्साइड व नत्रजन गैस | अनुमत |
| कोमल साबुन, सोडा तथा सल्फर डाइ ऑक्साइड | अनुमत |
| होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक उत्पाद | अनुमत |
| वानस्पतिक एवं जैव सक्रिय उत्पाद | अनुमत |
| समुद्री नमक व खारा पानी | अनुमत |
| इथाइल अल्कोहल | पूर्ण निषेध |
| **ट्रैप, बाधायें व प्रतिकर्षी** | |
| भौतिक उपाय (जैसे क्रोमेटिक ट्रैप व यांत्रिक ट्रैप) | अनुमत |
| मल्च व जाल का उपयोग | अनुमत |
| फिरेमोन्स - केवल ट्रैप व डिस्पेन्सर में | अनुमत |

# मध्यप्रदेश की जैविक कृषि नीति

**मध्यप्रदेश जैविक खेती की सम्भावनाओं से भरा हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की कृषि अनेक कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों का वृहद मिश्रण है। जैविक खेती राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है कि पूरे प्रदेश में जैविक कृषि को भरपूर तरजीह मिले इसी को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश सरकार ने जैविक कृषि नीति बनाई है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने का नीतिगत लक्ष्य यह है कि जलवायु परिवर्तन की विभीषिका एवं वैश्वीकरण के कृषि उत्पादों पर पड़ते प्रभाव को कम करना है। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए इस नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा। ऐसा करते समय सुदूर पिछड़े क्षेत्रों के कृषक समुदायों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा।**

**1. प्रस्तावना :**

1.1 मध्यप्रदेश को देश में सर्वाधिक प्रमाणित जैविक कृषि क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। प्रदेश जैविक खेती की अकूत संभावनाओं से भरा है। राज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में कृषि के महत्व को प्रतिपादित करने हेतु, मध्यप्रदेश शासन ने अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। राज्य की कृषि, अनेक कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों का वृहद मिश्रण है, जो उस पर निर्भर विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों की जीविका का आधार है। जैविक खेती राज्य कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

**2. राज्य की प्रतिबद्धता :**

2.1 कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने हेतु, राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसके अंतर्गत संसाधन प्रबंधन, तकनीकी विकास एवं व्यापक प्रसार, उत्पादन वृद्धि हेतु प्रभावी अनुसंधान द्वारा देश के प्रगतिशील राज्यों के समकक्ष उत्तरोत्तर बढ़ती वृद्धि दर प्राप्त करना आदि इन विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रख जैविक कृषि की रणनीति तैयार की गयी है।

2.2 प्रस्तावित जैविक कृषि नीति प्राथमिक उत्पादकों जैसे कृषक एवं उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादनों की संपूर्ण श्रृंखला को विकसित करने हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए संकल्पित है। यह नीति उत्पादन से आहार तक के सिद्धांत को समाहित कर सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन की प्रचुर उपलब्धता आश्वस्त करती है।

2.3 प्रस्तावित नीति, जैविक कृषि को वर्तमान की अनेक ज्वलंत समस्याओं जैसे भूमण्डलीय जलवायु परिवर्तन की विभीषिका, उत्पादन मूल्य की तीव्र वृद्धि एवं रासायनिक इनपुट की उत्तरोत्तर बढ़ती कीमतें आदि जैसी समस्याओं जो लघु एवं सीमांत कृषकों के समक्ष है, के लिये एक उपयुक्त अवसर प्रस्तुत करती है। यह नीति, प्राथमिक उत्पादन कार्यकलापों में व्यस्त ग्रामीण समुदाय को दीर्घावधि अवसर प्रदान करने एवं उद्यमों को भी कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन का भागीदार बनाती है।

2.4 जैविक कृषि व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा उपयुक्त युक्तियुक्त रणनीति के माध्यम से जैविक उत्पादों को बाजार में बिकने वाले कम मूल्य वाले फार्म उत्पादों से उच्च मूल्य पर बिकने वाले उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु एक समग्र प्रयास है। इसके साथ-साथ वेल्यू चेन विकसित बाबत् भी सोचा गया है।

**3. विजन**

मध्यप्रदेश जैविक कृषि के क्षेत्र में एक विकसित एवं अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो, जहां कृषक समुदाय स्थायी जीविकोपार्जन, प्रदूषण मुक्त खाद्य सामग्री, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सतही जल एवं भू-गर्भजल की क्षतिपूर्ति कर ग्रामों में ही नये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का मार्ग प्रशस्त करे।

**4. नीतिगत लक्ष्य :**

4.1 जलवायु परिवर्तन की विभीषिका एवं वैश्वीकरण का कृषि उत्पादों पर पड़ते प्रभाव को कम करने तथा इस हेतु उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिये नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा। ऐसा करते समय सुदूर पिछड़े क्षेत्रों के कृषक समुदायों के हितों को दृष्टिगत रखा जायेगा।

**4.2 दीर्घावधि :** कृषि-पारिस्थितिकी - तंत्र प्रबंधन के द्वारा अक्षय पर्यावरण को प्राप्त कर प्रमुख योजनायें जैसे मृदा-जैविक कार्बन भण्डारण में वृद्धि एवं उसका अनुमापन, मृदा स्वास्थ्य को समुन्नत करना, भू-जल-प्रदूषण

विशेषकर हानिकारक रसायनों को कम करना तथा जैव विविधता में वृद्धि करना है।

**4.3 मध्यावधि :** वर्तमान कृषि प्रणाली में कृषि निवेश पर आय में वृद्धि करने हेतु एक ओर कृषि लागत न्यायोचित करना तथा दूसरी ओर बाजार आधारित प्रक्रियाओं को अपनाकर नकद आय में वृद्धि कर खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना।

**4.4 अल्पावधि :**

**5.1.1** क्षमतावान, व्यवसायिक मानव संसाधन तथा संस्थाओं के विकास द्वारा, प्रमुखतः लघु एवं सीमान्त कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर परिवारों के लिए तकनीकी एवं बाजार सुरक्षा को आवश्यकतानुसार विकास कर उचित वातावरण निर्मित करना, उपयुक्त अधोसरंचना को तैयार करना, जैविक उत्पादन प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक गुणवत्ता युक्त आदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, जैविक अपशिष्टों का समुचित उपयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोत विकसित करना।

**5. जैविक कृषि**

**5.1 परिभाषाएँ :** नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्गेनिक प्रोडक्शन के अनुसार जैविक कृषि एवं कृषि प्रणाली एक प्रबंध है, जो एक पारिस्थितिकी-तंत्र को तैयार करता है, जिसमें कृत्रिम बाह्य आदान जैसे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना उपयोग सस्टेनेबल उत्पादन प्राप्त किया जाता है ।

**5.2 संभावित क्षेत्र**

**5.2.1** समस्त धान्य फसलें, सब्जियाँ, फल, मसाले, सुगंधित एवं औषधीय फसलें जो न्यूनतम रासायनिक इनपुट का उपयोग कर उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित नीति की परिधि में रखा जावेगा।

**5.2.2** वह क्षेत्र जिसमें प्रमुख फसलें जैसे सोयाबीन, गेहूं, दलहन, कपास, फल एवं सब्जी आदि जो वर्तमान में रासायनिक इनपुट का प्रयोग करके उगाई जा रही हैं।

**5.2.3 वन आधारित उत्पादन एवं उनसे बनी वस्तुएं :** संस्थाएं जो वन आधारित एवं उनसे बनी वस्तुओं के लिए उत्तरदायी है, उन्हें त्वरित रूप से बाजार उपलब्धता की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना तथा अनुपयोगी क्षमता के समुचित उपयोग को प्राथमिकता देना।

**5.2.4** सभी पशु एवं वनस्पति जनित कृषि उत्पादन आदान जैसे कम्पोस्ट खाद, नगरीय मल की विघटित खाद, सूक्ष्म जैविक तरल खाद, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, फफूंद नाशक, पादप एवं सूक्ष्म जीव जनित हार्मोन्स एवं एन्जाइम जो जैविक कृषि क्षेत्र के विधिसम्मत् जैविक मानकों के अनुरूप है, वे नीति के कार्यक्षेत्र में प्रमुख अंग रहेंगे।

**5.3 परिदृश्य**

**5.3.1 स्वतः जैविक क्षेत्र :** प्रदेश में अनेक क्षेत्र रासायनिक एवं बाह्य आदानों के उपयोग रहित क्षेत्र हैं। नीति का मुख्य उद्देश्य जैविक मानकों द्वारा ऐसे क्षेत्रों को विधिसम्मत प्रोत्साहित एवं प्रमाणित करना है, जहां ऐसे निषिद्ध आदान, प्राथमिक उत्पादकों एवं कृषकों द्वारा कम से कम उपयोग किये गये हों।

**संभावित क्षेत्रों की पहचान :** प्रदेश में कई जिले, ग्राम, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो राज्य औसत से 50 से 60 प्रतिशत कम बाह्य आदान, जैसे रसायनिक उर्वरक, कृषि रसायन आदि का उपयोग करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर लक्षित किया जायेगा। अधिकांशतः जनजातीय जिले/विकासखण्ड जैसे मण्डला, डिण्डौरी, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर आदि जैविक कृषि के विकास के लिए अनुकूल है।

**5.3.1.1 संस्थागत क्षेत्र :** राज्य शासन के विभाग, जैसे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग के प्रक्षेत्र, राज्य बीज प्रक्षेत्र, कृषि विकास केन्द्र प्रक्षेत्र, राज्य उद्यानिकी प्रक्षेत्र, रेशम उत्पादन प्रक्षेत्र, मत्स्य उत्पादन प्रक्षेत्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र पर जैविक कृषि की विविध विधाओं पर प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुसंधान एवं विकास के कार्यक्रम किये जावेंगे। इन प्रक्षेत्रों के साथ-साथ प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक कृषि प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे जिससे कृषकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि जैविक खेती से उत्पादन और आय में कमी नहीं होगी।

**5.3.1.2 अधिसूचित जैविक क्षेत्र :** राज्य के पास प्राकृतिक चारागाहों, प्राकृतिक उपवनों, सुदूर जनजातीय जिलों में अप्रदूषित कृषि भूमि का वृहद् क्षेत्र तथा नर्मदा घाटी के क्षेत्र उपलब्ध हैं, ऐसे क्षेत्रों को भविष्य में अधिसूचित किये जाने पर विचार किया जावेगा।

**5.3.1.3 नान टिंबर फारेस्ट प्रोड्यूस औषधीय एवं सुगंधित वनस्पति :**

गैर काष्ट वन उत्पाद, औषधीय एवं सुगंधित पौधे जो प्राकृतिक उपवनों में स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा उगाये जाते हैं, उन

लोगों को इन उत्पादों से संबंधित अनूठी परंपरागत तकनीक का ज्ञान है। प्रस्तावित नीति में जनजातियों के पास उपलब्ध इस ज्ञान तथा संसाधन का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक सारणीकरण किया जायेगा।

**5.3.1.4 जैविक एवं नैसर्गिक रंग :** राज्य के प्राकृतिक एवं घने वनों में प्रचुर मात्रा में पलाश, रोहिणी इत्यादि के पुष्प उपलब्ध हैं। पुष्पों के अतिरिक्त कंद, मूल, फल, वनस्पति आदि की वन संपदा भी जैविक कृषि नीति के अंतर्गत समयानुकूल लाभ वृद्धि के अवसर प्रदान करेगी। इनका क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक प्रसंस्करण आवश्यक है, जिससे इन्हें जैविक प्रमाणीकरण द्वारा उच्च मूल्यों पर विक्रय किया जा सके।

**5.3.1.5 पशुजन्य उत्पाद :** पशुजन्य उत्पादों जैसे दूध, अभी भी उत्पादों की मुख्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसे उत्पादों को उत्पादन की मुख्य धारा में लाकर इस नीति के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादकों को लाभान्वित किया जायेगा।

**5.3.2 जैविक कृषि हेतु सद्प्रयास :** किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रारंभिक प्रयासों से जैविक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के अंगीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नीति, ऐसे प्रयासों को नवीन उत्साह एवं क्रमबद्ध तथा सुनियोजित क्रियाशीलता के साथ अनवरत रखेगी।

**5.3.2.1 सिंचित एवं अधिक रसायन उपयोग करने वाले क्षेत्र :** प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां सिंचित रकबा है तथा अधिक उत्पादन लिया जाता है व रासायनिक उर्वरकों तथा कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है जैसे- नर्मदा के किनारे के क्षेत्र इन क्षेत्रों को चिन्हांकित कर प्रारंभिक तौर पर कृषक के कुल रकबे में से कुछ क्षेत्र में जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जावेगा।

**5.3.2.2 न्यून बाह्य आदान क्षेत्रों की पहचान :** सुदूर पिछड़े अंचलों में नैसर्गिक जैविक क्षेत्रों के अतिरिक्त, जनजातीय अंचल, वनांचल एवं अल्प-उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्र, नवीन जैविक नीति के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में जहाँ रासायनिक मूल के बाह्य आदानों का उपयोग राज्य औसत से कम होता है, ये अंचल ग्राम, ग्राम पंचायतों, विकासखण्ड एवं जिला जैसे मंडला, डिन्डौरी, झाबुआ, अलीराजपुर आदि नीति के अंतर्गत जैविक क्षेत्र के विस्तार हेतु एक और अवसर प्रदान करते हैं। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

**5.3.2.3 महत्वपूर्ण जैविक उत्पादों की मूल्य श्रृंखला का विकास :** प्रस्तुत जैविक कृषि नीति एक श्रृंखलाबद्ध, उत्पादन से विपणन तक की व्यवस्था प्रतिपादित करती है। यह नीति प्राथमिक उत्पादकों की संस्थाओं का गठन जैसे प्रोड्यूसर कम्पनियाँ, उत्पादन संघ एवं सहकारी समितियों के रूप में कर राज्य में स्थित बड़ी संस्थाओं से बराबरी के स्तर पर कार्य करने को प्रोत्साहित करेंगी।

**5.3.2.4 जैविक उत्पाद विपणन केन्द्रों का विकास :** विपणन केन्द्रों के आसपास के क्षेत्र को विपणन केन्द्रों से संबद्ध कर एक जैविक परिधि वृत की अवधारणा का विकास किया जावेगा। इस तरह की परिधि में आने वाले जैविक उत्पादों के क्षेत्रीय केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन प्राथमिक उत्पादक संस्थाओं, जैविक आदान उत्पादकों, विपणन कर्ताओं, प्रसंस्करण कर्ताओं, व्यापार एवं उद्योग से जुड़ी संस्थाओं जैसे सहकारी विपणन संस्थाओं, विपणन संघ, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम तथा म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आदि के द्वारा किया जायेगा। जैविक उत्पादन के ये क्षेत्रीय केन्द्र इस नीति का महत्वपूर्ण भाग होंगे एवं एकल खिड़की के रूप में जैविक उत्पाद सामग्री के उत्पादन एवं विपणन के कार्यकलापों का केन्द्र बिन्दु होंगे।

**5.3.3 सुरक्षित एवं अक्षय कृषि हेतु जैविक कृषि :** इन्टरनेशल फेडरेशन फार आर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के द्वारा जैविक कृषि के 4 प्रमुख सिद्धांत स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, स्वच्छता एवं सावधानी प्रस्तावित किये गये हैं। ये सिद्धान्त सुरक्षित एवं अक्षय कृषि हेतु सर्वोत्तम मानक माने जाते रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, हानिकारक कीटनाशकों का अनियमित उपयोग, अनुवांशिक संवर्धित तकनीक से विकसित प्रमुख फसलों की प्रजातियों, अस्तित्व नाशी क्रियाकलाप जैसे-पादपावशेषों का जलाना, यांत्रिकता एवं रसायनिकता से मृदा जीव एवं वनस्पति को भस्म करना, सड़न योग्य पदार्थों की उपलब्धता कम करना, कटाई यंत्रों से भूसा जैसे पशु भोज की उपलब्धता नष्ट करना आदि हतोत्साहित किया जावेगा। नीति इन सभी प्रकृति एवं मानव विरोधी कार्यकलापों एवं रुग्ण व्यवस्था पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी तथा इनको पर्यावरण के हित में क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीका प्रदान करेगी। नीति का प्रयास है कि ऐसे क्षेत्रों में राजकीय तथा अराजकीय हस्तक्षेप, जागृति एवं योग्यता विकास तथा अनुसंधान एवं विकास के नवीन आयाम, गुड एग्रीकल्चर

प्रेक्टिस हेतु प्रोत्साहित करेगी।

**5.3.4 उच्च बाजार हेतु जैविक कृषि :** पिछले दशकों में कृषि बाजार में प्रमाणित जैविक उत्पाद की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, नवीन जैविक कृषि नीति इस क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता के साथ लघु एवं सीमान्त प्राथमिक उत्पादकों एवं जैविक कृषकों को अधिक से अधिक लाभार्जन के अवसर प्रदान करेगी ।

**5.3.5 कार्बन बाजार हेतु जैविक कृषि:**

5.3.5.1 भूमि में मृदा कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि करना अति आवश्यक है। जीवन्त मृदा के कार्य पशु एवं पौधों के अवशेषों के सड़ने, गलने से बने पदार्थों के मिश्रण से संपादित होते हैं। मृदा में ही कार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रीकरण को प्रोत्साहित किया जावेगा।

**5.3.5.2** जैविक तकनीकों में फसल चक्र के महत्व को देखते हुए जैव विविधता स्थापित करने के लिए जीवों को आवश्यक तत्व जैसे- आवास, प्रजनन, पोषण आदि सुगमता से प्राप्त होते हैं। जैविक कृषि में संश्लेषित कृषि रसायनों का उपयोग सर्वथा निषेध किया जायेगा।

**5.3.5.3** नीति के अंतर्गत कार्बन शोषण के मापन, अनुश्रवण, अंकेक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु एक व्यवहारिक प्रक्रिया स्थापित की जावेगी।

**5.3.6 प्रसंस्करण उद्योगों के लिए जैविक कृषि :** इस नीति के अंतर्गत जैविक भोजन, खाद्य एवं प्रसंस्करित या डिब्बा बंद उत्पादों का विशेष रूप से उल्लेख अत्यावश्यक है, क्योंकि जैविक उत्पाद की व्यापक बाजार मांग को देखते हुए यह नीति प्राथमिक उत्पादकों, प्रसंस्करण उद्योगों एवं व्यापार जगत के लिए वांछित अवसर प्रदान करेगी।

**6. अनिवार्यतायें**

**6.1 जैविक प्रमाणीकरण :** प्रमाणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पंजीकृत प्रमाणीकरण संस्थाएं, लिखित में यह प्रमाणित करती हैं कि खाद्य पदार्थ या खाद्य नियंत्रण प्रणाली जैविक कृषि उत्पादन सिद्धांतों के अनुरूप है। इस हेतु कटाई पूर्व, कटाई उपरांत प्रक्रियाओं का पूर्व निरीक्षण आवश्यक है। प्रदेश में स्थापित जैविक प्रमाणीकरण संस्था राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को





दृष्टिगत रखते हुए जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु कार्यवाही करेगी, जिससे जैविक के नाम पर गैर जैविक उत्पादों के प्रवेश की संभावनाएँ न रहें।

**6.2 राज्य स्तरीय संस्थाएं :** नीति के क्रियान्वयन से राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण संभव हो सकेगा, जो प्रदेश में जैविक खेती का मार्गदर्शन एवं वैधानिक प्रमाणीकरण का कार्य करेगी। इस नीति के क्रियान्वयन से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकताओं एवं भावी चुनौतियों का सामना किया जाना संभव होगा। वर्तमान स्थिति में नीति क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन को चिन्हित करना एवं उसको इस योजना से जोड़ा जायेगा। साथ ही यह नीति आदानों एवं उत्पादों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित कर उपयुक्त सेवायें उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्थायें करेगी।

**6.3 उत्पादक समूह का प्रमाणीकरण:** उत्पादन समूह जो एक ही उत्पादन प्रणाली को अपनाते हैं इनका प्रमाणीकरण एक प्रबंधन एवं विपणन संस्था के द्वारा किया जा सकेगा। ऐसी फसलें जिनका कि उत्पादन एक समूह के द्वारा जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हो, किया गया हो उनका सामूहिक प्रमाणीकरण किया जा सकेगा। उत्पादक समूह का अपने सभी उत्पादक सदस्यों की उत्पादन प्रक्रिया पर आंतरिक नियंत्रण होगा एवं उन्हें संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया का ब्यौरा रखना होगा, ताकि जैविक प्रमाणीकरण के नियमों का पालन किया जा सके। उत्पादक समूह द्वारा अपने उत्पाद का एकत्रीकरण कर प्रसंस्करण, वितरण एवं विपणन करना होगा। नई जैविक कृषि नीति के द्वारा उत्पादों के प्रमाणीकरण, व्यय में कमी, उत्पादों की गुणवत्ता, विभिन्न मानकों में वृद्धि पूरी सावधानी एवं जिम्मेदारी से किया जा सकेगा।

**6.3.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :** यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा पंजीकृत सदस्यों का निश्चित समय पर निरीक्षण कर उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादों, उनका भण्डारण, प्रसंस्करण, विपणन आदि का संपूर्ण सूचीबद्ध प्रक्रियाओं एवं मानक स्तरों के अनुरूप निरीक्षण एवं दस्तावेजीकरण कर बाह्य मान्य प्रमाणीकरण संस्था को वार्षिक अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाती है। आंतरिक नियत्रंण प्रणाली सदस्यों, कृषकों को खरीदी, बिक्री एवं प्रशिक्षण के प्रत्येक बिन्दु पर मार्गदर्शन भी देती है। यह नीति सभी संबंधित संस्थाओं को एक मंच प्रदान करेगी, जिससे जैविक खेती का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन संभव हो सकेगा एवं प्रबंधक के रूप में ये संस्थाएँ उत्पादकों को उच्चस्तरीय सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।

**6.3.2 मान्यता प्राप्त प्रमाणित प्रबंधक, निरीक्षक एवं अंकेक्षकों की व्यवसायिक सेवाएं :** वृहद स्तर पर जैविक नीति के क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि सभी संभावित माध्यमों को समुचित रूप से दोहन किया जाये इसके लिये ये आवश्यक है कि मानकीकरण की सेवाएं उच्च स्तरीय एवं विश्वसनीय हों ताकि प्रमाणीकरण भी प्रभावी हो, जिससे उत्पाद की वैधानिकता पर

प्रश्नचिन्ह न लगे? इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण युवा जो कि सुशिक्षित स्नातक/स्नातकोत्तर हो वो प्रमाणीकरण एवं जैविक खेती में निपुण हो जाये, ताकि इस नीति के प्रचार-प्रसार एवं इच्छुक उत्पादकों को दिशा-निर्देश दे सके या उत्पादन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर सके। नीति से वर्तमान प्रसार एवं प्रबंधन नीति को भी नई दिशा दी जा सकेगी। इससे स्थानीय ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सकेगा एवं उन्हें स्वतंत्र या सामूहिक रूप से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक, जैविक कृषि का विशेषज्ञ बनाने में मदद प्राप्त होगी।

**6.4 सहभागी गारंटी पद्धति :** सहभागी गारंटी पद्धति एक स्थानीय समूह (5 या अधिक कृषकों के समूह) की स्वनियंत्रित सहयोग प्रणाली है, जो गुणवत्ता सुनिश्चितता मापक भारतीय कार्बनिक परिषद द्वारा अपना मार्का लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान करती है जिसमें कि गुणवत्ता का उल्लेख रहता है। इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेन्ट द्वारा सहभागी ग्यारंटी पद्धति को परिभाषित किया है। इस प्रकार यह सहभागिता गारंटी की पद्धति है। यह प्रमाणीकरण सहभागियों की सक्रिय भागीदारी तथा विश्वसनीयता के आधार पर तथा सामाजिक सूचना तंत्र पर आधारित है।

**6.5** सहभागी गारंटी पद्धति के अंतर्गत ग्राम स्तर पर एक स्थायी समिति का गठन किया जाकर प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

**6.6 राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्तरों की समानता :** अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तरों के अनुरूप जैविक उत्पादन प्रारंभ होने से वास्तविक लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। प्रस्तुत नीति में इसका ध्यान रखते हुए अपीडा, जो देश की प्रमाणीकरण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है के मानकों का पालन किया जायेगा।

**7. जैविक आदान :**

जैविक खेती के मुख्य आदानों जैसे मृदा एवं पोषक पौध तत्व प्रदायक, जैविक कीटनाशक बीजों की किस्में, उन्नत तकनीक आदि है जो जैविक खेती के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मिट्टी में रसायनों के दुष्प्रभाव कम करने तथा जैविक खेती हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने हेतु आवश्यक उपाय किये जायेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण, पैकिंग, कीमत निर्धारण तथा यथा स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसे राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं संस्थानों की आवश्यकता है। नीति के तहत जैविक खेती के लिये जैविक आदानों को तैयार किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश एवं नियंत्रण आदेश का प्रावधान किया जायेगा।

**7.1 जैविक ऊर्जा तथा जैविक आदानों का सहयोजन :** जैव ऊर्जा विशेषकर गोबर गैस ऊर्जा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता का खाद भी प्रदाय करते हैं। नीति से कम से कम घरेलू ऊर्जा के लिये गोबर गैस-बायोगैस के विकास के साथ-साथ जैव एकत्रीकरण व जैविक खादों को अधिक गुणवत्तायुक्त बनाया जा सकता है। प्रदेश के पास पर्याप्त तकनीकी एवं ज्ञान है जिसके द्वारा इस दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। साथ ही वातावरण को प्रदूषणमुक्त रखा जा सकता है।

**7.2 सुदूर अंचलों में बायोगैस उत्पादक कम्पनियों का गठन एवं प्रोत्साहन :** नीति बायो ऊर्जा व जैविक आदान उत्पादन को आर्थिक रूप से सक्षम एवं व्यापारिक स्तर पर लाभकारी बनाने व स्थायित्व प्रदाय करने में ग्रामीण युवाओं, प्राथमिक जैविक उत्पादकों, सी.बी.ओ. सी.एस.ओ. प्राइवेट एवं सहकारी उत्पादक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी एवं इन संस्थाओं को अनुकूल वातावरण निर्माण करने, आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता देने के लिए एक प्रक्रिया का निर्धारण भी करेगी। ये उत्पादन के साथ-साथ ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार के स्थायी अवसर भी प्रदान करने में सहायक होगी। राज्य शासन बायोगैस उत्पादक कम्पनियों को प्रोत्साहित करेगी।

**7.3 शहरी जैविक कचरे की व्यवस्था:** नीति सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जन सहभागिता को आगे बढ़ाते हुए पब्लिक प्राइवेट सामुदायिक भागीदारी के तहत काम कर सकेंगी। शहरी क्षेत्रों की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्र जो कि कृषि योग्य क्षेत्रों से अलग-थलग हो गये हैं, जिनकी जैविक खेती में भागीदारी अधिकतम हो सकती है। इसका खेती के लिये उपयोग करने से रासायनिक खादों एवं दवाओं के कुप्रभाव को कम किया जा सकेगा जिससे उस क्षेत्र के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। नगरीय तथा ग्रामीण कचरे को बायोडिग्रेडेबिल तथा नान बायोडिग्रेडेबिल कचरे के रूप में पृथक-पृथक कर जैविक खाद बनाने की यूनिटें नगरीय प्रशासन तथा ग्रामीण पंचायत विभाग द्वारा स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। तैयार किये जाने वाले जैविक खाद को कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

**7.4 कार्बन व्यापार हेतु संरचना एवं संभावनाओं का विकास :** अभी भी जैविक तत्वों की उपस्थिति नापने के लिए हमारे पास उपयुक्त तकनीक नहीं है। नीति, उपरोक्त संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास में संलग्न संस्थाओं को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होगी। सबसे महत्वपूर्ण जैव ऊर्जा जो कि कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होती है वह उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों को रोकने में एवं कार्बन

उत्सर्जन को कम कर भूमि एवं वनस्पति में शोषण करने का सफल प्रयास कर सकेगी। इस प्रकार शोषित कार्बन को सर्टीफाइड एमीशन रिडक्शन मे परिवर्तित कर कार्बन के अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके फलस्वरूप सर्टीफाइड एमीशन रिडक्शन से प्राप्त आय राज्य में एक कार्बन फंड की स्थापना करने में सहायक होगा, जो भविष्य में इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के उपयोग में निवेश किया जा सकेगा। अतः राज्य के ऊपर इसके निवेश के भार में कमी लायी जा सकेगी।

**7.5 गौवंश आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था :** वैदिक काल से ही गाय का कृषि प्रणाली में माता के रूप में स्थान रहा है। नीति, आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अक्षय विकास की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में गौ वंश पर अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करते हुए नवीन तकनीकों के माध्यम से गौ वंश की गुणवत्ता, संवर्धन एवं गौ पालन को बढ़ावा देगी। विशेषकर लघु एवं सीमांन्त कृषकों को गौ पालन की ओर आकर्षित करने में सहायक होगी। इसके साथ-साथ निम्न आय वर्गीय लोगों के लिये रोजगार लाभदायी होकर आय के वैकल्पिक साधन प्रदाय करेगी, जिसके लिये पशुपालन विभाग को नई योजनायें विकसित करने की आवश्यकता होगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गौवंश आधारित आदर्श गौशालाएँ विकसित करने हेतु कार्यवाही की जावेगी। इन गौशालाओं को आस-पास के ग्रामों में जैविक कृषि विकसित करने के प्रयासों में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

**7.6 शुष्क डेरियां :** शुष्क डेरियां जैव ऊर्जा, जैविक खाद एवं इसी तरह के अन्य उत्पादों के उत्पादन का एक अच्छा स्त्रोत बन सकता है। जिससे बड़ी संख्या में भूमिहीनों, महिलाओं, ग्रामीण युवकों, कृषि श्रमिकों एवं छोटे पशुपालकों को सार्थक रोजगार एवं स्थायी आजीविका प्राप्त हो सकेगी। कृषि में पशुधन को सम्मिलित करने के उद्देश्य से किसान कल्याण तथा कृषि विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा एक समग्र परियोजना लागू की जावेगी।

**7.7 गोबर गैस का शुद्धीकरण, बॉटलिंग एवं घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग:** गोबर गैस में उपस्थित हाईड्रोजन सल्फाइड गैस को जल वाष्प रहित करने के पश्चात् इसका बॉटलिंग कर आवश्यकतानुसार दूरस्थ स्थानों पर सरलता से उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जायेंगे। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में हो सकता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ रोजगार उपलब्ध करायेगी बल्कि अन्य स्थानों पर ईंधन आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होगी, साथ ही कार्बन एवं अन्य हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में कमी कर सर्टीफाइड एमीशन रिडक्शन में परिवर्तित करने में सहायता प्राप्त होगी।

**7.8 ऊर्जा उत्पादन :** दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन से अनुत्पादक पशुओं से प्राप्त उत्सर्जित गोबर एवं मूत्र का उपयोग गुणवत्तायुक्त खादों के उत्पादन में किया जा सकता है साथ ही ये वैकल्पिक ऊर्जा के भी अच्छे स्त्रोत हो सकते हैं। गोबर की उपलब्धता के अनुसार गोबर गैस संयंत्रों से वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी, जिसके लिये उचित आकार एवं प्रकार के गोबर गैस संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है। यह भी संभावना तलाशी जा सकती है कि छोटे शीतगृह गोबर गैस प्लांट से ऊर्जा प्राप्त कर संचालित किये जा सकते हैं।

**पोषक तत्वों युक्त खादों की गुणवत्ता एवं मानक स्तर :** गोबर एवं अन्य जैविक खादों के मानक स्तर को निर्धारित करने के लिये अनुसंधान प्रणाली विकसित करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार व्यवसायिक स्तर पर संचालित गतिविधियों को प्रोत्साहित कर गौ आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

**7.9 ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार व उद्यमिता के अवसर :** ग्रामीण युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ना नीति का मुख्य लक्ष्य होगा। ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र की योजना के माध्यम से जैविक आदानों के उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं विपणन द्वारा ग्रामीण युवकों को व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कराने हेतु नीति हर संभव प्रोत्साहन देगी।

**7.10 ग्रामीण युवाओं हेतु जैविक आदान उपक्रम :** ग्रामीण युवाओं को जैविक आदानों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना आवश्यक है, जिसके लिये उन्हें जैविक आदान, उत्पादन एवं विपणन से संबंधित पर्याप्त प्रशिक्षण एवं व्यवसाय हेतु अवसर प्रदान किये जायेंगे। गाँवों में जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया को सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन से जोड़ा जावेगा।

**7.11 उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुविधायें :** जैविक इनपुट तथा उत्पाद की गुणवत्ता कृषकों के लिए एक समस्या बनी हुई है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नीति में वैधानिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। कॉमन क्वालिटी एश्योरेंस सुविधा प्रदायकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैविक आदानों एवं उत्पादों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।

**8. प्रमाणित जैविक उत्पादों को उच्च मूल्य वाले ब्रांड्स में बदलना**

**8.1 जैविक उत्पादों के उच्च मूल्य हेतु प्रमाणीकरण :** राज्य स्तर पर जैविक पदार्थों की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप प्रमाणीकरण की व्यवस्था का विकास सहभागी ग्यारंटी पद्धति एवं अन्य प्रणालियों के अंतर्गत किया जावेगा। जिसके अनुसार कृषक जैविक उत्पादनों को वस्तु के स्थान पर उच्च मूल्य के ब्रांड्स में विक्रय कर सकेंगे। मानक

स्तर की गुणवत्ता के साथ प्रमाणित किया जावेगा जो कि औपचारिक एवं विधिसम्मत ब्रांड लोगो जैसे इंडिया आर्गेनिक आदि के समरूप हो।

**9. राज्य जैविक कृषि मिशन**

**9.1** नई जैविक कृषि नीति मिशन की भावना के रूप में क्रियान्वित की जायेगी एवं इसके लिए राज्य जैविक कृषि मिशन स्थापित किया जावेगा। यह मिशन संरक्षक संस्थान के रूप में कार्य करते हुए नीति के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये किये जाने वाले समस्त प्रयासों को संस्थागत स्वरूप प्रदान करेगा। मिशन हेतु मंत्रिमंडलीय समिति गठित की जायेगी। सुचारू संचालन हेतु पूर्णकालिक मिशन संचालक के रूप में अनुभवी विशेषज्ञ को पदस्थ किया जावेगा, जिसका चयन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थानों से किया जावेगा। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित संस्थान जैसे कि म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, राज्य जैविक मिशन के अधीन कार्य करेंगे। मिशन वृहद आधारभूत अधोसंरचना एवं नीति में परिभाषित क्रियाकलापों को एक ही निकाय से क्रियान्वित करेगा। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने में कार्यरत व्यक्तियों, निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग अनुसंधान तथा कृषकों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्राप्त किया जावेगा।

**9.2** जैविक मिशन में जैविक कृषि के विशेषज्ञों का एक दल होगा, जो जैविक कृषि नीति का क्रियान्वयन कराने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम होगा। मिशन द्वारा राज्य के समस्त जिलों, ब्लाक एवं समूहों को चिन्हित कर कार्य प्रारम्भ करेगा। राज्य स्तरीय जैविक मिशन के तहत नीति के आयामों अन्तर्गत एक ऐसे स्वस्थ और ऊर्जावान वातावरण का निर्माण करेगा जिसके माध्यम से जैविक उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन, संस्थागत पुरस्कार उत्पादकों के लिए राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिमपोजियम वर्कशाप जैसे कार्यक्रम तथा अध्ययन भ्रमण और जैविक हाट का आयोजन जैविक खेती से सम्बद्ध समस्त संवर्गों के मानव संसाधन के लिए किया जावेगा। इन गतिविधियों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए तीन माह की अवधि में मिशन द्वारा एक उद्देश्यपरक समग्र, ऑरगेनोग्राम, संभावनाशील क्षेत्र, भौगोलिक विस्तार, मुख्य-मुख्य गतिविधियाँ, क्रियान्वयन की रणनीति, संसाधनों का युक्तीयुक्तकरण नियोजन, बजट संबंधी प्रावधान, वित्तीय विकल्प, कार्य योजना दस्तावेज तैयार किया जाकर सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना होगा।

**10. जैविक उत्पादक संस्थानों का विकास**

**10.1 संपर्क एवं समन्वय :** नीति प्राथमिक उत्पादकों को उत्पादन, प्रंसस्करण, विपणन आदि प्रक्रिया से जुड़े अवांछित तत्वों से मुक्त रखने का प्रयास कर जैविक उत्पादों के निर्माताओं हेतु एक संस्थान की स्थापना कर तत्सम्बन्धी ज्ञान वृद्धि एवं आर्थिक समन्वय स्थापित कर व्यवसायिक सम्भावनाओं को बढ़ावा देगी एवं उत्पादन से विपणन तक के सभी हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु आपसी संपर्क में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी।

**10.2 प्राथमिक जैविक उत्पादकों के साथ समन्वय स्थापित करना :** नीति, हाल ही में खुदरा व्यापार प्रबंधन के क्षेत्र में हुए विकास को ध्यान में रखते हुए जैविक उत्पादन प्रक्रिया में संगठित क्षेत्रों एवं बड़े व्यवसाईयों की रुचि को बढ़ाने का प्रयास करेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक मानक गुणवत्तायुक्त एकत्रीकरण, छटाई, पैकिंग तथा अन्य प्रसंस्करण प्रक्रिया के लिए सामूहिक सहकारी संगठन की आवश्यकता है जो उत्पादों को उच्च स्तरीय बाजारों तक पहुँचाने में सक्षम हो। नीति के तहत जैविक उत्पादकों का संगठन स्थापित कर प्राथमिक एवं अन्तिम कड़ी के रूप में मजबूती प्रदान की जावेगी।

**10.3 स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बाजारों से संपर्क एवं समन्वय :** जैविक उत्पादन एवं विपणन की प्रक्रिया में विपणन के उच्चतम स्तर पर पहुँचने हेतु कई तरह की गतिविधियाँ आवश्यक हैं। विशेषकर सामूहिक रूप से जैविक उत्पादों का विपणन किया जाना आवश्यक हो। इसके लिए जैविक उत्पादक जो कि इस प्रक्रिया के प्रारंभिक छोर पर उत्पादन का कार्य करते हैं का चयन एवं उन्हें विपणन में भागीदार बनाया जाकर मूल्य श्रृंखला से जोड़कर यथोचित रूप से लाभान्वित करना है। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जैविक उत्पादों के विपणन हेतु मंडियों में अलग से स्थान उपलब्ध करवाएगा, जिसमें पारम्परिक उत्पादों का जैविक उत्पादों के साथ संविलियन जो कि वैधानिक रूप से जैविक मानकों के अंतर्गत निषेध है। साथ ही प्रदेश की मण्डियों को संपूर्ण प्रदेश में जैविक उत्पादों की विपणन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावेगा। मण्डियों में ऐसी व्यवस्था की जावेगी, जिससे कि जैविक उत्पादों के प्रति क्रेताओं को आकर्षित किया जा सके ।

**10.4 तकनीकी व्यवस्था हेतु समन्वय:** जैविक खेती तकनीकी केंद्रित विषय है। नीति तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधिवत वैज्ञानिक, जैविक कृषि प्रणाली विकसित करने हेतु प्राथमिक उत्पादकों एवं अनुसंधान एवं विकास के मध्य सामंजस्य स्थापित करेगी।

**10.5 वित्तीय समन्वय :** जैविक कृषि के वृहद स्तर की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से नवीन निवेश की आवश्यकता प्रतिपादित करती है। इस हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय संस्थानों, नाबार्ड आदि का प्राथमिक उत्पादकों के साथ समन्वय अत्यावश्यक है। इस प्रकार निश्चित वित्तीय अनुबंधों के द्वारा जैविक उत्पादकों की संस्थाओं को तेजी से विकसित करने में प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

**11. जैविक कृषि विकास हेतु शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था**

**11.1 जैविक कृषि विकास केन्द्र :** प्रथमतः प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों तथा एक पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान एवं विस्तार हेतु नवीन "जैविक कृषि विकास केन्द्रों" की स्थापना की जायेगी। भविष्य में आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में जैविक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

**अल्पकालिक पाठ्यक्रमों हेतु स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय सुविधाओं का**

**विकास :** कार्यक्षमता निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जिससे अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल निर्माण किया जा सके। कृषि विज्ञान केन्द्र एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कृषक क्षमता उन्नयन केन्द्र जैविक कृषि विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने का काम करेंगे ताकि ग्रामीण नवयुवक जैविक कृषि को मुख्य आर्थिक गतिविधि के रूप में अपने व्यवसाय में जोड़ सके।

**11.2 कार्यक्षमता निर्माण की आवश्यकता का आंकलन :** नीति के तहत हितधारकों के प्रत्येक स्तर पर कार्य क्षमता, आंकलन एवं विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा किया जावेगा ताकि उनमें कौशल का वर्तमान स्तर ज्ञात कर प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुसार कार्यक्षमता वृद्धि कर विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक संवर्ग तैयार किया जा सकेगा। खेती के संबंध में दी जानकारी एवं कृषकों द्वारा अपने स्तर पर किये गये नये प्रयासों जो जैविक खेती को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक हो उन्हें वैधानिक मान्यता प्रदान कर ऐसी जानकारी तथा प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

**11.3 निरंतर सलाह एवं मार्गदर्शन :** जैविक कृषि नीति के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के विशेषज्ञों, सलाहकारों द्वारा नवीन जैविक परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण में हितधारकों को निरन्तर जानकारी, सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। नीति के अंतर्गत प्रस्तावित राज्य जैविक मिशन आवश्यकता अनुसार विशिष्ट सलाहकारों की सेवाओं को समय-समय पर ले सकेंगे। कृषकों को जैविक कृषि की जानकारी प्रदाय कर उन्हें जैविक खेती अपनाने हेतु सतत् प्रोत्साहित किया जायेगा।

**11.4 ऑनलाइन समाधान हेतु प्रावधान :** इस हेतु राज्य सरकार, राज्य ऑर्गेनिक मिशन के नाम से एक वेबसाइट का निर्माण कर, कृषकों को तत्सम्बन्धी समस्त आंकड़े एवं ज्ञान उपलब्ध करावेगी। जैविक खेती करने वाले कृषकों की जानकारी तैयार की जाने वाली वेबसाइट में प्रदर्शित की जायेगी।

**11.5 जैविक कृषि हेतु अत्याधुनिक एवं उच्च-स्तरीय शिक्षण अनुसंधान एवं विकास हेतु सुविधाओं की स्थापना**





**11.5.1** भविष्य में जैविक कृषि को उच्च-स्तरीय शिक्षण एवं अनुसंधान की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित दो कृषि विश्वविद्यालयों एवं एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में जैविक कृषि का एक नवीन विभाग स्थापित कर अनुसंधान, विस्तार एवं शिक्षण की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी तथा जैविक खेती में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जावेगा।

**11.5.2** नीति के तहत शालेय शिक्षण के अन्तर्गत जैविक खेती को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जावे जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अपने पाठ्यक्रम में जैविक कृषि के शिक्षण का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही करेगा।

**12. प्रयासों का अधिकतम सहयोजन**

**12.1** नीति सार्वजनिक, निजी एवं जनभागीदारी आधारित व्यवस्था के माध्यम से जैविक कृषि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सतत् विकास हेतु एक अत्यन्त उपयुक्त प्रौद्योगिकी के रूप में मान्य करती है। इस नीति के तहत राज्य किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश राज्य कृषक आयोग तथा समस्त सम्बद्ध विभाग जैसे : ग्रामीण विकास विभाग, जनसम्पर्क, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, वन, शहरी विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, वित्त एवं स्कूल शिक्षा आदि विभागों में सामंजस्य स्थापित करेगा, जिसमें कि शासकीय, अशासकीय संस्थाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए इस दिशा में किये गये प्रयासों का अधिकतम सहयोजन किया जायेगा।

**12.2** राज्य जैविक कृषि मिशन जैविक कृषि से संबंधित समस्त योजनाओं की अद्यतन सूचनाओं का संकलन कर एक दस्तावेज के माध्यम से समस्त हितधारकों को उपलब्ध करायेगा। राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय योजनाएं जैसे राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम, विशिष्ट परियोजनाएं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्रीय परियोजना आदि द्वारा आवश्यक संसाधन प्रदाय किये जा सकते हैं।

**12.3** सामूहिक उत्तरदायी समूह एक आदर्श साख प्रदाय करने हेतु एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जो कि लघु एवं सीमान्त उत्पादकों की गारंटी आवश्यकता का उत्तम समाधान है। नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित जैविक कृषि विकास की प्रायोगिक परियोजना को अन्य सघन जैविक क्षेत्रों में विस्तारित किया जावेगा।

**12.4** कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग जैविक एवं अक्षय कृषि विकास की अपनी पूर्व में संचालित योजनाओं को नवीन उत्साह के साथ अधिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा

**13. उपभोक्ता जागरूकता :** उपभोक्ताओं के संरक्षण व वातावरण के प्रति विश्वास, जन स्वास्थ्य व देखभाल को स्थायित्व देने में नीति स्वास्थ्य व सावधानी के सिद्धांतों का एकीकरण करेगी। यह नीति इस बात पर अधिक जोर देगी कि उपभोक्ताओं में जैविक उत्पादों के प्रति जागरूकता तथा अधिक से अधिक जैविक उत्पादों का उपभोग करे।

राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को इस बात के लिये प्रोत्साहित करेगी कि वह जैविक खेती के महत्व एवं उपयोगिता

**घोषणा**

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

**मध्यप्रदेश पंचायिका**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रकाशन स्थान | : | भोपाल |
| 2. | प्रकाशन अवधि | : | मासिक |
| 3. | मुद्रक का नाम | : | सुरेश तिवारी<br>अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम |
| | क्या भारत का नागरिक है? | : | हाँ |
| | (यदि विदेशी है तो मूल देश) | : | xxx |
| | पता | : | मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र<br>अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) |
| 4. | प्रकाशक का नाम | : | रघुवीर श्रीवास्तव, आयुक्त<br>पंचायत राज संचालनालय,<br>तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) |
| | क्या भारत का नागरिक है? | : | हाँ |
| | (यदि विदेशी है तो मूल देश) | : | xxx |
| | पता | : | पंचायत राज संचालनालय,<br>तिलहन संघ, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) |
| 5. | संपादक का नाम | : | राजीव तिवारी |
| | क्या भारत का नागरिक है? | : | हाँ |
| | (यदि विदेशी है तो मूल देश) | : | xxx |
| | पता | : | मध्यप्रदेश माध्यम, 40, प्रशासनिक क्षेत्र<br>अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) |
| 6. | उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हों, तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों | : | आयुक्त,<br>पंचायत राज संचालनालय,<br>तिलहन संघ, अरेरा हिल्स,<br>भोपाल (म.प्र.) |

मैं रघुवीर श्रीवास्तव एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

**रघुवीर श्रीवास्तव**

दिनांक 1.3.2014 प्रकाशक के हस्ताक्षर


## Eò{ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉB

Ê|ÉªÉ ºÉ®{ÉSÉ VÉÒ, VÉºÉÉ ÊEò +É{É VÉÉxÉiÉä ½éÆ ½ "Eò{ÉªÉÉ ¤ÉiÉÉB' EòÉ±ÉÉ¨É ¨É ½¨É +É{ÉEòÉ ½®| ¨ÉÉ½ ÊEòºÉÒ BEò ªÉÉVÉxÉÉ EòÉ xÉÉ¨É ºÉZÉÉiÉä ½* +É{É =ºÉ ªÉÉVÉxÉÉ Eò ¤ÉÉ® ¨É {ÉSÉÉªÉiÉÉ uÉ®É CªÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½ iÉlÉÉ CªÉÉ +É® ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½ =ºÉ ¤ÉÉ® ¨É º´ÉiÉjÉ Ê]{{ÉhÉÒ Ê±ÉJÉ ºÉEòMÉ* =ºÉ Ê]{{ÉhÉÒ Eò xÉÒSÉ +{ÉxÉÉ xÉÉ¨É, {ÉnxÉÉ¨É, OÉÉ¨É {ÉSÉÉªÉiÉ EòÉ xÉÉ¨É, VÉxÉ{Én {ÉSÉÉªÉiÉ EòÉ xÉÉ¨É, ÊVÉ±ÉÉ {ÉSÉÉªÉiÉ EòÉ xÉÉ¨É iÉlÉÉ ¦ÉVÉxÉ EòÒ iÉÉ®ÒJÉ +´É¶ªÉ Ê±ÉJÉ* <ºÉ ºiÉ¨¦É ¨É ½¨É {ÉÉ`ÉEòÉ ºÉ ¤ÉcÒ ºÉJªÉÉ ¨É |ÉÉ´ÉÎ¹]ªÉÉ Ê¨É±ÉxÉ EòÒ =¨¨ÉÒn ®JÉiÉ ½* {ÉSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉºlÉÉªÉ +ÊvÉEòÉ¶É ºÉ®EòÉ®Ò ªÉÉVÉxÉÉ+É Eò ºÉSÉÉ±ÉxÉ ¨É xÉÉb±É BVÉºÉÒ EòÉ EòÉ¨É Eò®iÉÒ ½* <ºÉ oÎ¹]
ºÉ ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ºÉ®EòÉ®Ò ªÉÉVÉxÉÉ Eò ÊGòªÉÉx´ÉªÉxÉ ¨É ºÉ¤ÉºÉ |É¦ÉÉ´ÉÒ Ê]{{ÉhÉÒ {ÉSÉÉªÉiÉ ®ÉVÉ ºÉºlÉÉ EòÒ ½ÉiÉÒ ½*

¨ÉÉSÉ **2014** Eò Ê±ÉB <ºÉ ¤ÉÉ® Ê´É¹ÉªÉ ½

*CªÉÉ +É{ÉEòÒ OÉÉ¨É {ÉSÉÉªÉiÉ ¨É VÉÉ´ÉEò JÉiÉÒ EòÉ |ÉÉiºÉÉ½xÉ Ênª ÉÉ MÉªÉÉ ½?*

¨ÉÉ½ EòÒ EòÊ´ÉiÉÉ

## नदियों को जोड़कर

जोड़कर नदियों का नया
इतिहास बनायेंगे।
दर-दर, घर-घर, खेत-खेत
खुशियाँ पहुँचायेंगे।।
आज नर्मदा के जल से
क्षिप्रा में गति है।
भगीरथी इस कोशिश पर
सबकी सहमति है।।
प्रकृति सम्मत यह जुड़ाव -
फिर-फिर दोहरायेंगे। ।।1।।
जोड़कर नदियों .....
व्रत-त्यौहार, स्नान-ध्यान को
बहता जल हो।
हो अथाह जलराशि जहाँ
जल-जल की कल-कल हो।।
नदियों के नए संगम पर
हम तीर्थ बनायेंगे। ।।2।।
जोड़कर नदियों .....
बढ़ेगा और सिंचाई का रकबा
गाँव-गाँव पहुँचेगा पानी।
यह विकास का बीज-मंत्र है -
जुड़ने की ताकत पहचानी।।
नदियों के मिज़ाज के माफिक -
राह बनायेंगे ।।3।।
जोड़कर नदियों .....


**आदित्य दुबे**
**आईसेक्ट विश्वविद्यालय**
**भोपाल (म.प्र.)**



½¨ÉÉ®É {ÉiÉÉ

ºÉ¨{ÉÉnEò
"¨ÉvªÉ|Énä¶É {ÉSÉÉÊªÉEòÉ'
¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É
**40**, |É¶ÉÉºÉÊxÉEò IÉäjÉ, +®®É Ê½±É,
¦ÉÉ{ÉÉ±É - **462011**
¡òÉxÉ : **2764742, 2551330**
¡òCºÉ : **0755-4228409**

Eò{ÉªÉÉ ´ÉÉÌ¹ÉEò OÉÉ½Eò ¤ÉxÉxÉ Eò Ê±ÉB +{ÉxÉ nÉ ºÉÉ ¯û{ÉªÉ Eò bÉ}]/¨ÉxÉÒ+Éb®
¨ÉvªÉ|Énä¶É ¨ÉÉvªÉ¨É, ¦ÉÉ{ÉÉ±É Eò xÉÉ¨É ºÉ ¦ÉVÉ*